लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 42, सोमवार, 15 अप्रैल, 1968/26 चैत्र, 1890 (शक)

No. 42, Monday, April 15, 1968/Chaitra 26, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1200. बैंक दर में कमी का प्रभाव	Effect of Reduction in Bank Rate	.. 155—157
1201. स्वर्णकारों द्वारा ऋण की अदायगी	Payment of Loan by Goldsmiths	.. 158—160
1205. पेट्रोलियम रसायन निगम की स्थापना	Setting up of Petro-Chemical Corporation	.. 160—166
1206. सरकारी क्वार्टरों में छत का एक अतिरिक्त पंखा	Additional Ceiling fan for Government Quarters	.. 166—168
1208. नरवारा डिवीजन नहर के टूट जाने के बारे में हरियाणा के गांवों के लोगों से अभ्यावेदन	Representation from villages of Haryana regarding Breach on Narwara Division Canal	.. 168—169
1211. दिल्ली की दुकानों से चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled goods from Delhi Shops	.. 169—172
1212. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक दर घटाई जाना	Reduction of Bank Rate by Commercial Banks	.. 172—173
1221. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Ministry of Irrigation and Power	.. 173—174
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
21. बिहार के पटना तथा मुंघेर जिलों में रबी की फसल को क्षति	Damage to Rabi Crop in Patna and Monghyr Districts of Bihar	.. 175—176

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1198.	न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी अहमदाबाद द्वारा आय को छिपाया जाना	Concealment of Income by the New Prabhat Publicity Company, Ahmedabad	176
1199	डाक्टरों में बेरोजगारी	Unemployment among Doctors	177
1202.	बिड़ला बन्धुओं द्वारा करापवंचन	Evasion of Excise Duty by Birla Concerns ..	177—178
1203.	सौराष्ट्र कैमिकल्स की अपील का निपटारा	Disposal of Appeal of Saurashtra Chemicals ..	178
1204.	चम्बल परियोजना में छंटनी	Retrenchment in Chambal Project ..	178—179
1207.	बर्मा आयल कम्पनी के साथ करार	Agreement with Burmah Oil Company	179
1209.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	National Buildings Construction Corporation ..	179—180
1210.	बीड़ी मजदूरों को क्षय रोग	T. B. Among Bidi Workers ..	180
1213.	जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation ..	180—181
1214.	गुजरात पेट्रो कैमिकल उद्योग समूह-	Gujarat Petro-chemical Complex ..	181
1215.	कोयला और नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाने	Coal and Naphtha Based Fertilizer Plants ..	182
1217.	सौराष्ट्र कैमिकल्स	Saurashtra Chemicals ..	182
1218.	पुरानी दिल्ली के लिये वृहद योजना	Master Plan for Old Delhi ..	182—183
1219.	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सर्वश्री के० एन० मेहता/ एन० के० मेहता से धन राशि का पता लगाया जाना	Amount Detected by Enforcement Driectorate from Shri K. N. Mehta/ N. K. Mehta ..	183
1220.	प्रत्यक्ष कराधान सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ	American Experts on Direct Taxation ..	183—184
1222.	यूनाइटेड प्रविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन के विरुद्ध जांच	Investigation Against UPCC ..	184—185
1223.	परिवहन मंत्रालय के इंजीनियरों को वेतन पत्रक	Pay Slips of Engineers in Transport Ministry .	185

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1224. तेल में मोम की प्रतिशतता	Percentage of Wax in Oil ..	185
1225. यूनिवर्सल प्रेस सर्विस मद्रास द्वारा अपने कर्मचारियों से आय-कर इकट्ठा किया जाना	Collection of Income Tax from their Employees by Universal Press Service, Madras ..	185—186
1226. खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों का प्रयोग	Use of Oral Contraceptives	186
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7045. उप प्रधान मंत्री का बंगलौर का दौरा	Deputy Prime Minister's visit to Bangalore ..	186—187
7046. नर्सिंग के प्रशिक्षण के लिये केरल से पश्चिमी जर्मनी को भेजी गई युवा लड़कियां	Girls from Kerala sent to West Germany for training in Nursing ..	187
7047. 1968 में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme during 1968 ..	187—188
7048. नई दिल्ली में संसद सदस्यों के बंगलों में उद्यान सेवाओं पर व्यय	Expenditure on Horticultural Section in M. P.'s Bungalows in New Delhi ..	188—189
7049. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Welfare Schemes in Madhya Pradesh ..	189—190
7050. सम्पर्क तथा क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल पुस्तकों का अभाव	Deficiency in Medical Books in Link Regional Languages ..	190—191
7051. भारतीय तेल निगम में भ्रष्टाचार	Corruption in I. O. C. ..	191
7052. नगरपालिका, बहादुरगढ़ की सीमाओं का विस्तार	Extension of Limits of Municipal Committee, Bahadurgarh ..	191
7053. श्रेणी 2 तथा 3 के कर्मचारी	Class II and Class III Employees	192
7054. मंदिरों की भूमि	Temple Lands ..	192—193
7055. हिन्दी आदेशों की कार्यान्विति	Implementation of Hindi orders	193
7056. श्रेणी दो और तीन के कर्मचारी	Class II and Class III Empolyees ..	193—194

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7057.	बुलन्दशहर में पानी तथा बिजली सप्लाई विभाग के कनेक्शन	Connections for Water and Electric Supply Department in Bulandshahr	.. 194
7058.	पानी तथा बिजली सप्लाई विभाग, बुलन्दशहर के लाइन-इन्सपेक्टर	Line Inspectors of Water and Electricity Supply Department, Bulandshahr	.. 194—195
7059.	विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations	.. 195
7060.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये शिक्षा नेता	Education Leaders for Family Planning Programme	.. 195—196
7061.	धन कर	Wealth Tax	.. 196
7062.	अशोधित तेल	Crude Oil	.. 196—197
7063.	दिल्ली में अवैध बस्तियों के लिए नागरिक सुविधायें	Civic Amenities for Unauthorised Colonies in Delhi	.. 197
7064.	होम्योपैथी में मोबाइल लेक्चर	Mobile Lectures in Homœopathy	.. 197—198
7065.	भारत-नेपाल सीमा पार करने वाली मोटर गाड़ियां	Vehicles Crossing Indo-Nepal Border	.. 198
7066.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	.. 198
7067.	भटिंडा जिले (पजाब) के एक ग्राम में नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations in a village in Bhatinda District (Pb.)	.. 198—199
7068.	दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी वासियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to the Jhuggi-Jhopri Dwellers of Delhi	.. 199
7069.	अमरीका से खाद्य उपहार भाड़ा	Freight Charges on Food Gifts from U. S. A.	.. 199
7070.	जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तर-प्रदेश में सरकारी अस्पताल	Government Hospital in District Pauri Garhwal, U. P.	.. 200
7071.	कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में बिजली बन्द हो जाना	Electricity Failures in Kasturba Nagar, New Delhi	.. 200
7072.	बिड़ला सार्थों द्वारा कराप-वंचन	Tax Evasion by the Birla Concerns	.. 200—201
7073.	चेचक की वैक्सीन की खरीद	Purchase of Small-pox Vaccine	.. 201
7074.	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	.. 201—202

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7075. चोथी योजना के लिये भारत को विदेशी सहायता	Foreign Aid to India for Fourth Plan ..	202
7076. विदेशी तेल समवायों के कर्मचारी	Employees of Foreign Oil Companies ..	202—203
7077. अशोक मार्केटिंग कम्पनी द्वारा देय आयकर	Income-Tax Arrears against Ashoka Marketing Company ..	203
7078. बैडफोर्ड के चेसिसों के लिये दर ठेका	Rate Contract for Bedford Chasis ..	203—204
7079. श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिये 120" ह्वीलबेस वाली बैडफोर्ड गाड़ियों की खरीद	Purchase of Bedford 120" Wheel-base for Audio Visual Publicity ..	204—205
7080. सरकारी मुद्रणालय, कोयम्बतूर की कटाई मशीनों के ब्लेडों का अन्य स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Cutting Machine Blades of Government Press, Coimbatore ..	205
7081. सरकारी मुद्रणालय कर्मचारी सहकारी समिति, कोयम्बतूर	Government of India Press Employees Co-operative Society, Coimbatore ..	205—206
7082. कलकत्ता में सामान्य पूल से डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for P. & T. Employees from General pool in Calcutta ..	206
7083. कागज की कम सप्लाई	Short Supply of Paper ..	206—207
7084. बिट्ठल भाई पटेल हाउस नई दिल्ली का छता हुआ क्षेत्र	Covered Area in Vithalbhai Patel House, New Delhi ..	207
7085. यमुना बाजार दिल्ली में झुग्गी निवासियों का हटाया जाना	Removal of Jhuggi Dwellers in Jamuna Bazar, Delhi ..	207—208
7086. गंडक परियोजना	Gandak Project	208
7087. दिल्ली विकास योजना की क्रियान्विति	Implementation of Delhi Development Plan ..	208—209
7088. राष्ट्रीय ऋण परिषदें	National Credit Councils ..	209
7089. दिल्ली में धोबियों के लिये मकान	Houses for Dhobies in Delhi ..	209
7090. मन्नारघाट मोफिल स्थानम् सम्पदा पर सम्पदा शुल्क	Estate Duty of Mannarghet Mooppil Sthanam Estate ..	210

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7091. दिल्ली में अधिकारियों के लिये बंगले	Bungalows for Officers in Delhi	.. 210—211
7092. निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रम	Undertakings under the Ministry of Works, Housing and Supply	.. 211
7093. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के नियंत्रण में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under the Control of the Ministry of Petroleum and Chemicals	.. 211—212
7094. वित्त मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम	Public Undertakings under the Ministry of Finance	.. 212—213
7095. अहमदाबाद में मिलों और कारखानों के विरुद्ध आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax Against Mills and Factories in Ahemdabad	213
7096. राज्यों को चिकित्सा सहायता	Medical Assistance to States	213
7097. तालकटोरा बैरकों में बिजली के पंखे	Electric Fans in Talkatora Barracks	.. 213—214
7098. भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के नये वेतनक्रम	New Pay Scales of Reserve Bank of India Employees	214
7099. मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा खर्च पर लगे प्रति-बन्धों को हटाया जाना	Lifting of Restrictions on Expenditure by Ministries/Departments	.. 214—215
7100. आयकर की बकाया राशि में कमी	Reduction in the Arrears of Income-tax	.. 215
7101. आयकर विवरण प्रपत्रों की छपाई की लागत	Cost of Printing of Income-tax Return Forms	216
7102. विलिंग्डन अस्पताल में मनोरंजन कार्य	Recreational Activities in Willingdon Hospital	.. 216—217
7103. विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के क्वार्टरों का गिराया जाना	Demolition of Staff Quarters, Willingdon Hospital, New Delhi	.. 217
7104. अधिक मंहगाई भत्ते की मांगें पूरी करने के लिये सहायता के सम्बन्ध में राज्यों से प्राप्त प्रार्थना	Requests from States for Assistance to Meet Demands of More D. A.	.. 217—218

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
7105. कार्यालयों का दिल्ली से फरीदाबाद स्थानान्तरण	Shifting of Officers from Delhi to Faridabad	.. 218
7106. दिल्ली के अस्पतालों के कर्मचारी	Employees of Delhi Hospital	.. 218—219
7107. नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों को छुट्टियां देना	Grant of Leave to Employees of Willingdon Hospital, New Delhi	.. 219
7108. विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता	Washing Allowance of Willingdon Hospital Employees	.. 219—220
7109. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब किताब की लेखा-परीक्षा	Audit of Central Social Welfare Board Accounts	.. 220
7110. विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ	Willingdon Hospital Workers Union	.. 221
7111. कर्मचारी सहकारी बचत तथा ऋण सोसाइटी, विलिंगडन अस्पताल	Willingdon Hospital Employees Co-operative Thrift and Credit Society	.. 221
7112. कृष्णा जल विवाद	Krishna Waters Dispute	.. 221—222
7113. पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब डिविजन में बाढ़	Floods in Contai Sub-Division of West Bengal	.. 222—223
7114. रसायनों का आयात	Import of Chemicals	.. 223—224
7115. रूस को प्राप्त भारतीय मुद्रा की कुल राशि	Total Amount of Indian Currency Received by Soviet Union	.. 224—225
7116. गांवों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in the Village	.. 225
7117. महाराष्ट्र में जल सप्लाई योजनाएं	Water Supply Schemes to Maharashtra	.. 225—226
7118. स्टेट बैंक द्वारा किसानों की सहायता	State Bank's Assistance to Farmers	.. 227
7119. पेय मद्यसार	Alcoholic Drinks	.. 227
7120. बरौनी तेल शोधक कारखाने के चालू होने में देरी	Delay in Commissioning of Barauni Refinery	.. 227—228

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7121. कानपुर स्थित लूप निर्माण कारखाना	Loop Manufacturing Factory, Kanpur	.. 228—229
7122. ऋषिकेश का प्रतिजीवाणु कारखाना	Rishikesh Antibiotics Plant	.. 229
7123. बरौनी उर्वरक कारखाने के लिए भूमि	Land for Barauni Fertilizer Factory	229—230
7124. बरौनी तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों की सेवा पुस्तक में खराब टिप्पणियां	Bad Remarks in the Service Books of the Employees of Barauni Oil Refinery	230
7125. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad	.. 230—231
7126. राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan	.. 231
7127. राजस्थान में बिजली की दरें	Electricity Rates in Rajasthan	231
7128. विदेशी ऋण	Foreign Loans	.. 231—232
7129. वेतजी काशुचन्द द्वारा की गई धोखाधड़ी	Forgery Committed by Vetji Kashu-chand	.. 232—233
7130. नकली रेशम के कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on the art silk Fabrics	.. 233—234
7131 नकली रेशम के कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on art silk fabrics	.. 234
7132. पश्चिमी घाट में तस्करी	Smuggling on West Coast	.. 234—235
7133. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले राजपत्रित अधिकारी	Hindi-knowing Gazetted Officers in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development	.. 235
7134. हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Oil Refinery	.. 236—237
7135. चिकित्सा स्नातक	Medical Graduates	237
7136. उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक अस्पतालों को अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों के अस्पतालों में बदलना	Change of Allopathic Hospitals into Integrated Hospitals in U. P.	237

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7137. हापुड़ में स्टेट बैंक के मैनेजर के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Manager, State Bank Hapur	.. 237—238
7138. बारी के बिना सरकारी क्वार्टरों का नियतन	Out-of-turn Allotment of Government Accommodation	238
7139. दिसम्बर, 1967 में फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी से पकड़ा गया सोना	Gold recovered from Frontier Mail in Delhi, 1967	.. 238—239
7140. स्टेट बैंक, उज्जैन	State Bank Ujjain	.. 239
7142. कम्पनियों पर आयकर का निर्धारण	Income-Tax Assessment of Companies	.. 239—240
7143. विद्युत शक्ति में वृद्धि के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for increase of Power	.. 240—241
7144. मध्य प्रदेश में उद्योगों को स्टेट बैंक द्वारा सुविधाएं	State Bank facilities to industries in M.P.	241
7145. मध्य प्रदेश में आयकर दाता	Income-Tax Payers in Madhya Pradesh	.. 241—242
7146. क्राउन कार्क पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Crown Cork	.. 242
7147. गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुदान तथा राज सहायता	Grant and Subsidies to Private Sectors	.. 243
7148. हरिजनों को न्यूनतम मजूरियों पर रोजगार	Employment to Harijans on Minimum Wages	243
7149. उर्वरक विशेषज्ञ मिस्टर थोमस गैस्ट के साथ बातचीत	Discussion with Mr. Thomas Guest Fertilizer Expert	.. 243—244
7150. मैसूर राज्य सहकारी गृह-निर्माण निगम को ऋण	Loan to Mysore State Co-operative Housing Corporation	.. 244
7151. दक्षिण कनारा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres of South Karnara District	.. 245
7152. सामान्य बीमा का प्रबंध व्यय	Management expenses of General Insurance	.. 246
7154. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की स्वेच्छा पूछना	Option from C. G. H. S. Doctors	.. 246—247

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7155. रोहतास इण्डस्ट्रीज की ओर करों की बकाया राशि	Taxes due from Rohtas Industries	.. 247—248
7156. ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता से करों की बकाया राशि	Taxes due from Transport Corporation of India (Pvt.) Ltd.. Calcutta	.. 248
7157. जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर से आयकर की बकाया राशि	Taxes due from Jaipur Udyog Ltd., Jaipur	.. 248—249
7158. एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Advance Insurance Co. Ltd., Bombay	.. 249—250
7159. भारत मिशी लिमिटेड से करों की बकाया राशि	Taxes due from Bharat Mishi Ltd.	250
7160. एसैक्स फार्म (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा देय कर	Taxes due from Exxes Farm (Pvt.) Ltd.	251
7161. श्री आदम हाजी पीर मुहम्मद इस्साक, कलकत्ता से करों की बकाया राशि	Taxes due from Shri Adem Haji Pir, Mohd. Issack, Calcutta	.. 251—252
7162. मद्रास में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Madras	.. 252
7163. भारत कोयलरीज लिमिटेड से करों की बकाया राशि	Taxes due from Bharat Collieries, Ltd.	.. 252—253
7164. कम्पनियों द्वारा देय आयकर	Income-tax due from Companies	.. 253
7165. कुछ कम्पनियों द्वारा आयकर का अपवंचन	Income-Tax Evasion by Certain companies	.. 254
7166. पश्चिमी बंगाल में सिनेमा-घरों के मालिकों द्वारा देय आयकर	Income-Tax Due from Cinema Owners in West Bengal	.. 254
7167. विदेशी औषध निर्माण कम्पनियां	Foreign Pharmaceutical Companies	.. 254—255
7168. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	Delhi Rent Control Act	.. 255—256
7169. विदेशी ऋण के बारे में छूट	External Debt Relief	.. 256

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7170. उत्तर प्रदेश में बिक्री कर अधिकारी	Sales Tax Officers in Uttar Pradesh ..	256—257
7171. पारी से पहले क्वार्टरों का आवंटन	Out of Turn Allotment of Quarters	257
7172. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Castes/Tribes Employees in Class III Establishment ..	257—258
7173. विदेशी ऋण	Foreign Loans	258
7174. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	International Monetary Fund	258
7175. राष्ट्रीय ऋण परिषद्	National Credit Council ..	259
7176. सामाजिक संगठन	Social Organisations	259
7178. विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली	Vishwayatan Yoga Ashram, New Delhi ..	259—260
7179. विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली को आवंटन	Allotment to Vishwayatan Yoga Ashram, New Delhi ..	260
7180. अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशियां	Deposits under C. D. S. ..	260—261
7181. पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों की उत्पादन लागत	Production Cost of Post Cards and Inland Letters ..	261
7182. जीवन बीमा निगम की अपना 'मकान बनाओ' योजना	L. I. C. 'Own your Home' Scheme ..	261—26
7183. कलाकारों का चयन करने वाली समिति	Committee for the selection of Artistes ..	262—263
7184. विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में चौकीदार	Chowkidars in Vithalbhai Patel House, New Delhi	263
7185. फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान	Income-Tax Payment by Film Stars ..	264
7187. दिल्ली के इर्द-गिर्द उपनगरों का विकास	Development of Ring Towns Around Delhi ..	264
7188. आसाम में बिजली की दरें	Rates of Electricity in Assam	265

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7189. आसाम में फर्मों द्वारा आय-कर का भुगतान	Payment of Income-Tax by Firms in Assam	265
7190. राज्यों के लिये सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation faclities in States ..	265—266
7191. टोंक (राजस्थान) में आयकर कार्यालय	Income-Tax Office in Tonk, Rajasthan ..	266
7192. कांडला में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in the Co-operative Sector at Kandla ..	266—267
7193. औषधियों की धातु निर्मित शीशियों पर चिह्न	Markings on Metal Foils containing Medicines	267
7194. उर्वरकों की बिक्री	Sale of Fertilizers ..	268
7196. भेषज जांच समिति	Pharmaceutical Enquiry Committee ..	268
7197. हाइपरटेन्शन के लिये नई दवाई "एपोक्लोरिन"	New Medicine Apochlorin for Hypertension ..	269
7198. हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन	Haldia-Barauni Pipe Line ..	269
7199. रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensary in R. K. Puram, New Delhi ..	269—270
7200. सिंचाई और विद्युत परि-योजनायें	Irrigation and Power Projects ..	270—271
7201. परियोजनाएं मंजूर करने के लिये तकनीकी तथा वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Technical and Financial Powers to Sanction Projects.. .	271—272
7202. आयकर अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Income-tax Officers ..	272—273
7203. गन्धक के तेजाब का कार-खाना, सिंदरी	Sulphuric Acid Plant, Sindri ..	273
7204. मनीपुर में मध्यम आकार की सिंचाई योजनायें	Medium Irrigation Schemes, Manipur ..	273—274
7205. चिटफंड कम्पनियों को विदेशों से अपनी शाखायें खोलने की अनुमति	Permission to Open Branches Abroad by Chit Fund Companies ..	274

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7206. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत नौ बड़े देशों द्वारा धन निकालने के विशेष अधिकार	Special Drawing rights of Nine Major Powers under International Monetary Fund	.. 274—275
7207. आयकर अधिकारियों की भरती की परीक्षा का परिणाम	I. T. O. Examination Result	.. 275
7208 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक दर का घटाया जाना	Reduction of Bank Rate by Commercial Banks	.. 275—276
7209. कलकत्ता बिजली संभरण निगम	Calcutta Electricity Supply Corporation	.. 276
7210. दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को बिना पारी के क्वार्टरों का आवंटन	Out-of-turn Allotment of Quarters to S. C. and S. T. Employees in Delhi	277
7211. अनुसूचित जातियों के लिये मकानों का आरक्षण	Reservation of Accommodation for Scheduled Castes	.. 277—278
7212. उर्वरकों का उत्पादन और वितरण	Production and Distribution of Fertilizers	.. 278
7213. दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्सें	Nursing Sisters and Staff Nurses in Delhi Hospitals	.. 279
7214. दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की सेवा शर्तें	Service Conditions of Nursing Staff in Delhi Hospitals	.. 279—280
7215. नर्मदा नदी जल सम्बन्धी चौपड़ा समिति	Chopra Committee on Narmada Waters	.. 280
7216. भारत के रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाने वाला ब्याज	Interest Charged by Reserve Bank of India from Commercial Banks	.. 280
7217. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक चिकित्सक	C. G. H. S. Ayurvedic Physicians	.. 281
7218. भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा प्रकाशित पत्र	Paper Published by I. I. P. A.	.. 281—282
7219. समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance	.. 282

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7220. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये होमियोपैथ डाक्टर	Homœpaths for Family Planning Programme ..	282
7221. नई दिल्ली विलिंगडन अस्पताल का एक्स-रे विभाग	X-Ray Department, Willingdon Hospital, New Dehli ..	283
7222. लिफ्टमैनों को नौकरी से हटाना	Termaination of Services of Liftmen ..	283—284
7223. दिल्ली में 'ड्राइव इन रेस्टोरेंट'	Drive in-Restaurants in the Capital ..	284—285
7224. इडिक्की पन-बिजली परियोजना	Idikki Hydro-Electric Project ..	285
7225. चीनी के कारखानों की ओर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Sugar Mills in arrears of Excise Duty ..	285
7226. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 8 तथा 9 में बिजली	Electricity in sectors 8 & 9 of R. K. Puram, New Delhi ..	286
7227. दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियां	Co-operative Houses Building Societies in Delhi ..	286—287
7228. कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोलियम	Synthetic Petroleum from Coal	287
7229. देश में स्टेट बैंक की शाखाएं	State Bank Cells in the Country ..	287
7230. मैसर्स अर्बन इम्प्रूवमेंट कम्पनी (पी०) लिमिटेड	M/s Urban Development Company (P) Ltd. ..	288
7232. राज्यों को सहायता	Aid to States	288—289
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
कलकत्ता के अस्पतालों में सभी प्रकार के सर्जरी आपरेशन स्थगित किये जाने से गम्भीर स्थिति का उत्पन्न होना	Serious situation arising out of suspension of surgical operations in Calcutta hospitals ..	289—291
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	291—292
सभा का कार्य	Business of the House	293
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for Grants, 1968-69 ..	293—325
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation ..	293—311

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 293—295
श्री पाशाभाई पटेल	Shri Pashabhai Patel	295
श्री स० दा० पाटिल	Shri S. D. Patil	.. 295—296
श्री ओ० प्र० त्यागी	Shri O. P. Tyagi	.. 297—299
श्री गं० च० दीक्षित	Shri G. C. Dixit	299
श्रीमती उमा राय	Shrimati Uma Roy	.. 299—300
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	.. 300—301
श्री कार्तिक ओराओं	Shri Kartik Oraon	.. 301—303
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	.. 303
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	.. 303—304
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	.. 304—305
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	.. 305
श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh	.. 305—306
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	.. 306—307
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	.. 307—311
इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय	Ministry of Steel, Mines and Metals	.. 312—325
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	.. 312—316
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	.. 317—319
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	.. 324—325
व्यवस्था का प्रश्न	Point of Order	297
उत्तर प्रदेश में संविधानिक स्थिति के बारे में	Re : Constitutional situation in UP	.. 316—317
सियालदह पठानकोट एक्सप्रेस रेल गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगने के बारे में एक वक्तव्य	Statement re. fire in a Coach of Sealdah-Pathankot Express	.. 326
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निधियों के नियतन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Allotment of funds to Public Sector Undertakings	.. 326
श्री स्वतंत्रत सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 326—328
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	.. 328—330

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 15 अप्रैल, 1968/26 चैत्र, 1890 (शक)
Monday, April 15, 1968/Chaitra 26, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Effect of Reduction in Bank Rate

*1200. **Shri Shiva Chandra Jha**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the reduction in the Bank rate has boosted investment in the country ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of the State in the Ministry of Finance (**Shri K. C. Pant**) : (a) It is too early to make any such assessment.

(b) and (c). Does not arise.

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether any assessment has been made of the extent to which engineering goods industry specially cables, meters; glass etc. is likely to benefit from this reduction in the Bank rate ?

Shri K. C. Pant : It is very difficult to make an assessment of this. But, when deposit rate is reduced, the advance rate will also be reduced and this will facilitate the availability of credit to the industry and there will not be credit bottleneck.

Shri Shiva Chandra Jha : May I know whether in view of the bumper crop, the credit has increased in the same proportion this year after the Bank rate reduction ?

Shri K. C. Pant: Some months before also, the Reserve Bank had taken some steps to expand the credit but it did not yield the desired results. The latest available commercial bank data show that between October 27, 1967 and March 15, 1968 scheduled commercial bank credit showed an expansion of Rs. 413 crores and exceeded for the first time the expansion of Rs. 410 crores recorded in the corresponding busy season of the previous year. Hence some change has been effected.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : निक्षेप दर में कितनी कमी की गई है और क्या इस कमी का बैंकों के निक्षेपों पर बुरा असर पड़ा है और अगले वर्ष किस हद तक बुरा असर पड़ने की संभावना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विभिन्न अवधियों के निक्षेपों के लिये विभिन्न स्तरों पर निक्षेप दर में कमी की गई है। बचत बैंकों के निक्षेपों की अधिकतम दर 4 प्रतिशत के स्थान पर 3.5 प्रतिशत होगी। 14 दिन से अनधिक निक्षेपों पर यह शून्य है ; 15 से 45 दिनों के निक्षेपों पर यह 1.25 प्रतिशत है ; 46 से 90 दिनों के निक्षेपों पर 2.5 प्रतिशत। 91 दिनों से कम और 6 मास से कम के निक्षेपों पर यह 4 से $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत है। कमी सामान्यतः आधा प्रतिशत है। 15 से 45 दिनों के निक्षेपों के मामले में कमी $\frac{1}{4}$ प्रतिशत है, फिर यह सामान्यतः आधा प्रतिशत है।

रिजर्व बैंक के अधिकारियों और बैंकरों की एक बैठक में बैंकों को उपलब्ध संसाधनों के प्रश्न पर विचार किया गया था और नीति यह है कि लगभग 80 प्रतिशत अग्रिम राशियों से उनकी बैंक दर लगभग $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम हो जायेगी और उनको हानि नहीं होगी और ग्राहकों को लाभ होगा।

श्री वेदव्रत बरुआ : यदि अनुसूचित बैंकों की ब्याज दर में कमी नहीं की जाती तो इस कमी का उद्देश्य विफल हो जायेगा। क्या अनुसूचित बैंकों की ब्याज दरों में कोई कमी की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने अभी बताया उद्देश्य यह है कि 80 प्रतिशत बैंक अग्रिम राशियों के सम्बन्ध में बैंक दर में लगभग $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी होगी। इस सम्बन्ध में बैंकों से विस्तृत योजनायें तैयार करने के लिये कहा गया था। मेरी जानकारी है कि ये योजनायें उन्होंने तैयार कर ली हैं परन्तु हमें अभी ये योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री प० गोपालन : क्या फसल के इस मौके पर इस कमी से खाद्यान्नों में सट्टा नहीं बढ़ेगा ? इस धन का सट्टे के प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं किया है क्या इसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कोई पूर्वोपाय किये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मन्दी के कारण सस्ता धन उपलब्ध कराया गया था। जहां तक सट्टे का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है कि बैंक का पैसा सट्टे के लिये इस्तेमाल न किया जाये।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : इस नई नीति से पैसा जमा कराने वालों को किस हद तक प्रोत्साहन मिलेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्योंकि निक्षेप दरों में भी कमी हुई है और डाकघर बचत बैंकों के निक्षेपों के सम्बन्ध में भी कमी हुई है। अत: निक्षेपकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे पहले की तरह पैसा जमा करा रहे हैं।

श्री रा० की० अमीन : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मन्दी का रुख अब भी काफी तेज है और इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि कमी यदि एक प्रतिशत की बजाय 2 प्रतिशत हो तो अर्थ-व्यवस्था को झटका लगेगा, क्या सरकार का मत यह है कि नई नीति में एक प्रतिशत की बजाय दो प्रतिशत की कमी होनी चाहिये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी नहीं।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : May I know whether due to this reduction in the Bank rate there will also be a fall in the interest charged on loans advanced to Co-operative Societies for agricultural purposes ?

Shri K. C. Pant : Co-operatives are charged preferential rates which are less than the Bank rate by ½ to 2 percent.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने अपने इतिहास में पहली बार ब्याज दर में कमी की है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्यिक बैंकों की दरों में कमी रिजर्व बैंक की दर में कमी के अनुसार नहीं है, क्या सरकार तथाकथित वर्तमान मन्दी को वास्तव में गम्भीर समझती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को केवल अधिक कारोबार के दिनों में ही धन देता है और वह भी बहुत कम और धन की लागत पर बैंक दर का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव निक्षेप दर पर पड़ता है, और चूंकि निक्षेप दर में कमी आधा प्रतिशत रही है, इसलिये ऋण देने की दर पर भी कमी आधा प्रतिशत ही है। ये तुलनात्मक आंकड़े हैं, न कि बैंक दर।

श्री लोबो प्रभु : बैंकिंग समवाय विनियमन अधिनियम तथा प्रस्तावित सामाजिक नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास ब्याज की दर विनियमित करने की पर्याप्त शक्तियां हैं। निक्षेप दर तथा ऋण की दरों में 5 से 6 प्रतिशत और बैंक दर तथा ऋण की दर में 4 से 5 प्रतिशत का अन्तर है। क्या इस अन्तर को उचित ठहराने के लिये सरकार इन बैंकों के आंकड़ों की जांच करती है और यदि नहीं, तो सामाजिक नियन्त्रण का सही अर्थ क्या है जबकि यह जनता के पक्ष में नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सामाजिक नियन्त्रण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका संबंध तो बैंकों की अर्थ-व्यवस्था से है।

स्वर्णकारों द्वारा ऋण की अदायगी

*1201. **श्री रमानी :**
श्री एस्थोस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्णकारों को उन ऋणों की अदायगी किश्तों में करने की अनुमति दे दी है जो उन्होंने 31 मई, 1967 के बाद सरकार से लिये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में अब तक किश्तों में भुगतान स्वीकार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या स्वर्णकारों की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन्हें ऋणों की अदायगी किश्तों में करने की अनुमति देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पुनर्वास ऋणों की शर्तों के अनुसार इन ऋणों की वापस अदायगी केवल आसान किस्तों में होनी है, ये ऋण चाहे 31-5-1967 से पहले अथवा उसके बाद प्राप्त हुए हों। किन्तु सुनार के अपने पुराने पेशे में वापस आने का विकल्प चुनने पर, उसे सुनार के रूप में काम करने का "प्रमाण-पत्र" जारी करने से पहले, यह आवश्यक है कि वह नियमों में निर्धारित अवधि के अन्दर ऋण वापस अदा कर दे।

(ख) इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सुनारों को वस्तुत: ऋण देना तथा उनकी वसूली करना सम्बद्ध राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी होती है। केन्द्रीय सरकार उन सरकारों को इस निमित्त केवल पेशगी धन देती है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रमानी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्वर्णकारों और श्रमिकों में बेरोजगारी व्याप्त है, क्या सरकार उनको दिये गये ऋणों को वापस न लेने तथा आवेदन-पत्र देने पर उन्हें अपना परम्परागत काम करने के लिये प्रमाण-पत्र देने पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है उसका उत्तर है 'नहीं'। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि जब स्वर्णकार पुनर्वास उपायों का लाभ उठाते हैं तो वे अपने परम्परागत व्यवसाय को नहीं कर सकते। यह असंगत चीज है। किन्तु जैसा मैंने पहले बताया, एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत वे ऋण वापस कर सकते हैं और परम्परागत व्यवसाय अपनाने के लिये उन्हें लाइसेंस देने पर विचार किया जा सकता है।

श्री रमानी : पैसा वे किस प्रकार वापस कर सकते हैं ? कठिनाई यह है कि पैसा वापस करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होगा। मुझे बहुत से पत्र प्राप्त हुये हैं कि पैसा वापस करने के पश्चात् भी उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये और दूसरा कारण यह था कि निर्धारित

तारीख 31-5-1967 थी । क्या इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दे सकती ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अनुदेश पहले से जारी कर दिये गये हैं ; यदि वे ऋण चुका दें तो उन्हें निश्चय ही लाइसेंस दिये जा सकते हैं । मैं यह नहीं मानता कि सारे स्वर्णकार कष्ट उठा रहे हैं ।

श्री उमानाथ : ऋण लेने की पुनर्वास योजना के समय प्रमाण-पत्र जारी करने की यह पद्धति नहीं थी । अब सरकार ने यह शर्त लगाई है कि जब तक वे पूरी राशि नहीं चुका देते उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं मिल सकते । इस शर्त के कारण एक बड़ी संख्या में स्वर्णकार जौहरियों की दासता स्वीकार करने के लिये बाध्य हो गये हैं । क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और इस पृष्ठभूमि में मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी मांग को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है । यदि वे पहले वाला व्यवसाय करना चाहें तो वे कर सकते हैं । ऐसे लोगों के नाम मुझे भिजवा दिये जायें तो हम देखेंगे कि उस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ।

श्री उमानाथ : उन्हें सारी धनराशि एकमुश्त चुकानी है, किश्तों में नहीं ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि उन्हें देना है तो ठीक है —उन्होंने इसी शर्त पर ऋण लिया था ।

श्री रमानी : उन्हें यह राशि एक मुश्त चुकानी है ।

श्री मोरारजी देसाई : उन्होंने या तो उसका उपयोग कर लिया है या उसे रखा हुआ है ।

Shri B. N. Kureel : What are the main objectives of Gold control order in the present form and how far these objectives have been achieved.

Shri K. C. Pant : The objective of the Gold Control order is to reduce the demand of Gold in this country gradually and to curb the business of smuggled gold in open market and put restrictions thereon.

Shri Onkar Lal Berwa : How much amount has been sanctioned by the Central Government for the Goldsmiths and may I know whether any interest has also been charged thereon ; if so, at what rate ?

Shri K. C. Pant : The Central Government have disbursed an amount of Rs. 13.60 crores in the form of loans to State Governments and Governments of Union Territories, out of which an amount of Rs. 10.34 crores has been distributed. Nearly 1,09,000 Goldsmiths have been benefited. The interest on loan is four and a half per cent.

पहले 4 प्रतिशत सूद था ; फिर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ; बाद में 5 प्रतिशत और फिर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत था । परन्तु जिस दर पर ये ऋण राज्य सरकारों द्वारा स्वर्णकारों को दिए जाते हैं और जिस पर केन्द्र सरकार राज्यों को ऋण देती है, उन दोनों में जो अन्तर होता है, उसे केन्द्रीय सरकार पूरा करती है ।

श्री क० लकप्पा : जिन विस्थापित स्वर्णकारों ने लघु उद्योगों की सहकारी समितियां बनायी हैं, सरकार ने उनकी सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है, जिससे वे जीवन-निर्वाह कर सकें ? क्या स्वर्णकारों के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्र सरकार स्वर्णकारों को सीधे सहायता नहीं देती है ; राज्य सरकारें यह कार्य करती हैं । परन्तु यदि कोई विशिष्ट मामले हमें बताये जायें जहां सहकारी समितियों को सहायता न दी गयी हो तो हम सम्बन्धित राज्य सरकार को वह सूचना भिजवा देंगे ।

श्री क० लकप्पा : मैंने सरकार को विशिष्ट पत्र लिखे हैं कि मैसूर राज्य में उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है । परन्तु हमें उत्तर मिला है कि यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, केन्द्रीय सरकार का नहीं । मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि वे सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना चाहते हैं अथवा नहीं ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य को गलतफहमी हो रही है । यह स्पष्टतः बताया गया है कि भारत सरकार स्वर्णकारों को सीधे कोई ऋण नहीं देती । यदि राज्य सरकारें स्वर्णकारों को कोई ऋण देती हैं तो भारत सरकार वह धनराशि राज्यों को दे देती है । यह स्थिति है ।

Shri Awadesh Chandra Singh : How far the objectives enunciated by the Hon'ble Minister have been achieved ?

Shri K. C. Pant : One of the achievements is that the price of Gold in this country has not risen as compared to price rise in gold in other countries owing to gold rush.

Shri Y. S. Kushwah : Will the Hon'ble Minister give some concessions to the former goldsmiths in respect of granting loans ? The goldsmiths who are not in a position to repay the loan, but on their furnishing a security, they may be issued the licence to continue their business.

Shri K. C. Pant : This is not possible, because it is the policy of the Government that goldsmiths should do more productive work and they should not go back to this profession. Unless Gold is smuggled, we do not have that much gold to engage them in this business.

पेट्रोलियम-रसायन निगम की स्थापना

+

*1205. **श्री शारदा नन्द** :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री दी० पी० शाह :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम-रसायन निगम के अब तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि तेल शोधक कारखानों की स्थापना के साथ-साथ पेट्रोलियम रसायन उद्योग का विकास नहीं हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तेल-शोधक कारखानों में प्रयोग में आने वाले नैफ्था आवश्यकता से अधिक होने के कारण, प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता था ; तथा उसका देश में उपयोग नहीं किया जाता था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) सरकार ने सिद्धान्त रूप में एक पेट्रोलियम रसायन निगम की स्थापना को स्वीकर किया है किन्तु ऐसे एक निगम की स्थापना तभी लाभदायक हो सकती है जबकि संयंत्र निर्माण के ठेकों पर हस्ताक्षर हो जाएं । गुजरात एरोमैटिक परियोजना के ठेकों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है और ज्योंही वे पूरे होंगे ; तब ही निगम की स्थापना पर विचार किया जायेगा ।

(ख) से (घ). पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास निम्न दो तथ्यों पर निर्भर है :

(i) अन्त उत्पादों के उपभोग का स्तर, जो आर्थिक वृद्धि और निवेश पर निर्भर है ; और

(ii) इन उद्योगों में बहुत भारी पूंजी का विनियोजन/पूंजी लगाने से पहले आयोजन एवं आंकन-सम्भावनाओं पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है । शोधन क्षमता का विकास पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वृद्धि से नितान्त जुड़ा हुआ था और वास्तव में, पेट्रो-रसायन उद्योग का आयोजन सम्भाव्य फालतू नैफ्था की स्थिरता पर निर्भर था ।

पेट्रो-रसायन उद्योग द्वारा नैफ्था के पूर्ण खपत होने तक ; इसका सबसे उत्तम प्रयोग का तरीका निर्यात ही है और इसलिए देश में फालतू नैफ्था का निर्यात किया गया है ।

Shri Sharda Nand : The Hon. Minister has just now stated that the proposal for setting up a Petro-chemical Corporation is under consideration. May I know the time by which it would be set up ?

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविदाएं लगभग तैयार हैं और उनके तैयार हो जाने पर, निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

Shri Sharda Nand : I want to know how much Naphtha which is used by Oil Refineries, is exported by Government and how much profit is earned by Government thereby.

श्री रघुरामैया : 1954 में हमने 57,753 टन, 1965 में 106,904 टन, 1966 में 498,192 टन और 1967 में 613,812 टन नैफ्था का निर्यात किया ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the time by which the proposed Petro Chemical Industry would start its production, the number of such units to be set up in public

and private sectors respectively and their capacity ? I also want to know the quantity of petro-chemical products imported during the last three years.

श्री रघुरामैया : लगभग 176 करोड़ रुपये का जो कुल धन विनियोजन किया गया है उसमें से 36 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के गुजरात ऐरोमेटिक परियोजना पर खर्च होंगे । गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 140 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । हमने $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये खर्च करके बेन्जीन तथा टोलोन के कुछ कारखाने लगाये हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have asked about the time by which production would start and about their capacity and about the quantity you are importing at present ?

श्री रघुरामैया : बेन्जीन और टोलोन के बारे में मैंने कहा है कि संयंत्र लगाये जा रहे हैं । गुजरात ऐरोमेटिक्स परियोजना के सम्बन्ध में संविदाएं पूरी होने वाली हैं । बातचीत आरम्भ हो गई है और हम ठेका देने वाले ही हैं । जब संविदा पूरी हो जायेगी, तब संयंत्र लगाने और उत्पादन आरम्भ करने का प्रश्न उठेगा । गैर-सरकारी क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है, अनेक मामलों में हमने आशय-पत्र जारी कर दिये हैं । चूंकि विभिन्न प्रस्ताव आये हैं इसलिए इन पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लग जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आयात के बारे में पूछा है ।

श्री रघुरामैया : इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

श्री हेम बरुआ : पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना का निश्चय कौन करता है—सरकार या प्रस्तावित पेट्रो-रसायन निगम ? क्या यह सच है कि सरकार ने किसी पेट्रो-रसायन उद्योग को कोचीन और गोहाटी तेल-शोधक कारखानों के निकट स्थापित न करने का निश्चय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है । हम केवल एक पैट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करने की स्थिति में हैं जोकि गुजरात में लगाया जा रहा है । जब वह कारखाना लग जायेगा और संसाधनों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, हम अन्य स्थानों पर भी पैट्रो-रसायन कारखाने लगायेंगे । मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये कारखाने एकीकृत रूप में होंगे और उन्हें अलग-अलग नहीं बांटा जायेगा । हर तेल-शोधक कारखाने के साथ कोई छोटा संयंत्र जोड़ना सम्भव नहीं है । किसी एक विशिष्ट कारखाने का काम आगे बढ़ाने के लिए कोई उत्तम स्थान ढूंढना है ।

श्री हेम बरुआ : सरकार ने केवल गुजरात में ही नहीं वरन् बरौनी, बड़ौदा और हल्दिया में भी पैट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया है फिर गोहाटी और कोचीन की क्यों उपेक्षा की गई है ?

श्री अशोक मेहता : गुजरात में जो पैट्रो-रसायन कारखाना स्थापित किया जा रहा है वह बड़ौदा के निकट ही है । बरौनी या हल्दिया के बारे में कुछ नहीं किया गया है । विभिन्न

प्रस्ताव मिले हैं जिन पर चौथी योजना बनाते समय विचार किया जायेगा । आसाम तथा मद्रास और कोचीन तेल-शोधक कारखानों पर भी विचार किया जायेगा । इस अवस्था में इससे अधिक विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । भारत सरकार ने जो एक समिति नियुक्त की थी क्या उसने यह सिफारिश की थी कि कोचीन और गोहाटी में पैट्रो-रसायन उद्योग स्थापित नहीं होने चाहिये ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य को तथ्य मालूम हैं । चौथी योजना जब पहली बार तैयार की गई थी तब एक समिति नियुक्त की गई थी । जब योजना आयोग के सामने विभिन्न प्रस्ताव रखे गये थे । तब संसाधनों की कमी के कारण यह निश्चय किया गया था कि केवल एक ही कारखाना लगाया जाना चाहिये और इसके लिए गुजरात को चुना गया क्योंकि वहां पर तकनीकी-आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थीं । मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि उस क्षेत्र को ही क्यों चुना गया ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह देखते हुए कि पेट्रो-रसायन उद्योगों में नैफ्था का इस्तेमाल किया जायेगा और नैफ्था उर्वरकों के उत्पादन में भी इस्तेमाल की जा रही है, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस पैट्रो-रसायन उद्योग की बात चलाते समय सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा था कि पैट्रो-रसायन कारखानों में जितने कच्चे माल की आवश्यकता होगी उतना कच्चा माल जोकि इस समय उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है उपलब्ध किया जायेगा । दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या योजना आयोग को सारा मामला सौंपा गया है क्योंकि टाटा ने पूरे पैमाने पर पैट्रो-रसायन और उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये स्वयं प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो योजना आयोग इस मामले में कब तक अपने सुझाव दे देगा ताकि सरकार अन्तिम निर्णय ले सके ?

श्री अशोक मेहता : नैफ्था की आवश्यकता के बारे में मैंने बताया है कि हम उसके उत्पादन और मांग का तथा प्रतिवर्ष होने वाले आधिक्य तथा घाटे का अनुमान लगा चुके हैं । यह बात भी योजना आयोग के विचाराधीन है क्योंकि उन्हें भी यह देखना है कि हमारे ये अनुमान योजना में किस हद तक शामिल किये जा सकते हैं । योजना आयोग का सम्बन्ध दो बार पड़ता है । एक तो जब योजना तैयार की जाती है और दूसरे जब कुछ विशेष योजनाओं पर विचार करना होता है । जहां तक टाटा के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह देखना है कि क्या इतना बड़ा कारखाना जिसमें अत्यधिक टैक्नोलोजी का उपयोग किया जाता है ; लगाया जाना चाहिये । इससे सम्बन्धित परिणामों पर विचार करना है जिसके बारे में महीने पंद्रह दिन में रिपोर्ट मिल जाने की आशा है । योजना आयोग द्वारा जब किसी बात पर निश्चय कर लिया जाता है, तो प्रस्तावित परियोजनाओं को सामान्यतः सम्बन्धित मंत्रालय पर छोड़ दिया जाता है और योजना आयोग का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether it is a fact that the Estimates Committee has observed in their Report that more than 3 lakh tons of Naphtha is lying with us unused every year since 1957 and this surplus Naphtha could be utilized in case Government had paid more attention to the development of basic industries ? If so, what is the concrete steps Government propose to take further in this regard ?

Shri Ashok Mehta : This Naphtha is exported and is not lost. The petro-chemical industries would have been taken up earlier but there were difficulties. For this Government require resources and foreign exchange. For dearth of foreign exchange we had to postpone projects for two to four years, we fully appreciate that the available Naphtha should be utilized immediately but this objective is difficult to achieve. Government have earned profit by selling the surplus Naphtha.

श्री ई० के० नायनार : पहले एक प्रस्ताव रखा गया था कि कोचीन में पैट्रो-रसायन उद्योग होना चाहिए । किसकी वजह से यह प्रस्ताव रद्द हुआ मुझे नहीं मालूम, पर केरल के साथ भेदभाव बरतने का यह दूसरा उदाहरण है । पालघाट के प्रेसिजन टूल्स कारखाने के काम को धीमा कर दिया गया है । पैट्रो-रसायन कारखाने को कोचीन में स्थापित करने की बात स्थगित कर दी गई है । कौन व्यक्ति है जो केरल के साथ भेदभाव बरतने के लिए जिम्मेवार है ।

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह अनुचित है । कोचीन में तेल-शोधक कारखाना और अल्वाय में उर्वरक कारखाना है कोचीन में दूसरा उर्वरक कारखाना लगाया जा रहा है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : देश में जो यह आशंका फैली हुई है कि मंत्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य, जो किसी मंत्रालय का भार संभालता है, अपने-अपने प्रदेश में कारखाने को ले जाना चाहता है, उसे हमेशा के लिये दूर करने के लिये क्या सरकार का विचार है कि किसी क्षेत्र में किसी कारखाने के लगाने से पहले तकनीकी या पैट्रो-रासायनिक सर्वेक्षण कर लिया जाये ?

श्री अशोक मेहता : मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता । मैं गुजरात का नहीं हूं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : यह सुझाव माननीय मंत्री को सम्बोधित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उत्तर निर्णायक रूप में दिया है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : आपको मैं याद दिला दूं कि आप पर यह आरोप लगाया जा चुका है कि इस्पात मंत्री की हैसियत से आपने विशाखापत्तन में इस्पात कारखाना स्थानान्तरित किया था । यह प्रश्न किसी एक विशिष्ट मंत्री को सम्बोधित नहीं है वरन् ऐसा विचार सामान्य रूप से देश भर में फैला हुआ है ।

श्री एस० कुण्डू : श्रीमन्, उर्वरक निगम बना हुआ है, फिर एक पैट्रो-रसायन निगम बनाया जा रहा है । नैफ्था पैट्रो-रासायनिक उप-उत्पाद है और नैफ्था पर आधारित उर्वरक

कारखाने लगे हुए हैं। तो क्या ये नैफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाने इस पैट्रो-रसायन निगम में शामिल किये जाने हैं या वे उर्वरक निगम के अन्तर्गत ही बने रहेंगे।

श्री अशोक मेहता : उर्वरक निगम एक पृथक् संस्था है। सभी उर्वरक कारखानों की देखभाल एक अलग निगम द्वारा की जायेगी।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, in view of the fact that nowadays a number of things are produced from petro-chemicals through modern technique such as Naphtha, Kerosene etc. are obtained without any expenditure during this process ; may I know whether all sorts of things or two to three selected things will be produced at this first petro-chemical project being set up in Gujarat?

श्री रघुरामैया : मैं कुछ उत्पादों के नाम पहले ही बता चुका हूं जैसे कि ओ—आइलीन, केप्रोलेक्टम, पोलिथिलीन, पी० वी० सी० आदि।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है कि जब तक हम नैफ्था का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते, तब तक के लिए कुछ तेल-शोधक कारखानों में उत्पादन प्रक्रिया बदल दी जाये ताकि अधिक नैफ्था के उत्पादन के बजाय अधिक केरोसीन निकाला जा सके ?

श्री अशोक मेहता : इस समय यह संभव नहीं है। आगामी दो वर्षों में हम केरोसीन के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे और फिर तीसरे वर्ष हमारे पास अधिक केरोसीन बच रहेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नैफ्था के निर्यात के जो वार्षिक आंकड़े अभी कुछ देर पहले सभा में दिये गये उनसे पता लगता है कि नैफ्था का निर्यात प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। गत दो वर्षों में 400,000 टन और 600,000 टन नैफ्था का निर्यात दिखाया गया है जिससे पता लगता है कि हमारे पास बहुत अधिक नैफ्था बच रहता है जिसका देश में उपयोग नहीं किया जाता। कुछ समय पहले सरकार की ओर से बताया गया था कि देश में भारी मात्रा में नैफ्था उपलब्ध हो जाने की वजह से, उर्वरक कारखानों को आयात किये गये अमोनिया के बजाय जो कि अधिक खर्चीला पड़ता है, इस नैफ्था पर आधारित किया जा रहा है। यही वजह है कि धर्मसे मोरारजी जैसी कम्पनियों को अनुमति दे दी गई है कि वे विदेशी सहयोग लेकर उर्वरक कारखाने लगायें जिनका आधार आयातित तरल अमोनिया हो। यह तरल अमोनिया देशी नैफ्था से अधिक खर्चीली पड़ती है जबकि यह नैफ्था विदेशों को भारी मात्रा में भेजा जाता है।

श्री अशोक मेहता : इस सीमित प्रश्न के उत्तर में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। अगले पांच-छः वर्षों में नैफ्था का यह आधिक्य समाप्त हो जायेगा और उसका घाटा पड़ जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर आप उसका निर्यात क्यों कर रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : उसका निर्यात हम इसलिये कर रहे हैं क्योंकि वह हमारे पास इस समय अधिक है। नये कारखानों में उसकी खपत हो जायेगी। नये कारखाने स्थापित करने से पहले हम उसके लिये आवश्यक कच्चे माल के बारे में विचार करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि देश में जो उर्वरक बनाये जायेंगे उनका 70 प्रतिशत भाग तो नैफ्था से, 30 प्रतिशत भाग कोयले, इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार किया जायेगा। केवल 7 प्रतिशत भाग ही ऐसा होगा जो अमोनिया से तैयार किया जायेगा। ऐसा हम इसलिये कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार उर्वरक बनाते समय सल्फर का मिलना बहुत जरूरी है। यदि हमें सल्फर मिलना निश्चित हो जाये तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी उर्वरक में अमोनिया इस्तेमाल किया जाये या नहीं हर मामले को देखकर निर्धारित किया जायेगा।

सरकारी क्वार्टरों के छत का एक अतिरिक्त पंखा

*1206. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन सरकारी क्वार्टरों में पहले एक पंखा लगाया जाता था उनमें छत का एक अतिरिक्त पंखा लगाने के लिये सरकार सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पंखे अब तक कितने क्वार्टरों में लगाये जा चुके हैं। तथा ऐसे पंखें कितने क्वार्टरों में अभी लगाये जाने शेष हैं;

(ग) पंखे लगाने में देरी होने के क्या कारण हैं तथा ऐसे सभी क्वार्टरों में कब तक पंखे लगा दिए जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी ग्रीष्म ऋतु से पहले ऐसे पंखे लगाने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। दिल्ली में सामान्य पूल के पुराने टाईप II तथा III क्वार्टरों में एक अतिरिक्त पंखे की व्यवस्था कर दी जायेगी।

(ख) अभी तक 2,659 क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखों की व्यवस्था कर दी है तथा 15,387 क्वार्टरों में और व्यवस्था करनी है।

(ग) और (घ). अधिक लागत होने के कारण कार्य को चरणों में किया जा रहा है। पहले दो चरण जिनमें 13,586 क्वार्टर हैं, स्वीकृत पहिले ही किये जा चुके हैं। चालू वर्ष में जहां तक निधियां उपलब्ध होंगी इन्हें पूरा किया जायेगा। अतएव आगामी गर्मियों से पूर्व शेष सभी मकानों में पंखों की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

श्री चेंगलराया नायडू : किन कालोनियों में बिजली के पंखे लगाये जाने चाहिए इसकी क्या कसौटी अपनायी गई है ?

श्री इकबाल सिंह : हमने यह निर्णय किया है कि टाइप 2 तथा 3 के सभी फ्लैटों में पंखे लगाये जायें पर यह कहना तो मुश्किल है कि यह काम कालोनी या टाइपवार किया जायेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : चूंकि अनेक क्वार्टरों में पंखे नहीं हैं, क्या मंत्रालय इन सभी क्वार्टरों में पंखे लगवाने के लिए वित्त मंत्रालय से विशेष निधियों के आवंटन के लिए कहेगा ? सरकार कम वेतन वाले कर्मचारियों को यह जो सुविधा दे रही है वह बहुत छोटी सी सुविधा है। चूंकि गरमी का मौसम आ चुका है, क्या मंत्री महोदय पंखे लगाने के काम को शीघ्र पूरा करायेंगे ?

श्री इकबाल सिंह : हमने वित्त मंत्रालय से लिखा पढ़ी की है और 13000 क्वार्टरों में पंखे लगाने की मंजूरी मिल गई है जिस पर 33 लाख रुपये की लागत आयेगी । बाकी क्वार्टरों में पंखे बाद में लगेंगे ।

Shri Balraj Madhok: The major portion of Delhi's population consists of Government servants, and most of them belong to class III and IV. May I know whether it is a fact that an assurance was given previously to provide at least one fan in each quarter of class IV employees and if so, in how many quarters these fans have been fitted and in how many quarters such fans have not been fitted so far and why they have not fitted ?

May I know whether it was also demanded that power plugs should be provided in quarters of Class III employees and Government have given an assurance to provide such power plugs? In how many quarters of Class III employees such power plugs have been fitted and in how many quarters such plugs have not been fitted and why it has not been done ?

Shri Iqbal Singh: I will be able to answer the question of the Hon. Member regarding power plugs, only when he gives separate notice for this.

An additional fan is being fitted in each quarter of Type II and III. The scheme for fitting additional fans in 13,000 quarters out of the 18,000 quarters has been sanctioned and the fittings is to be completed during the current year keeping in view the availability of funds. Since the fitting of fans cannot be completed in all the quarters of type II and III, this work is being done in phases. There will remain 4000 quarters without fans which will be fitted during the next year.

Shri Achal Singh: May I know whether the rent of these quarters charged from Government employees will be increased or will remain unchanged ?

Shri Iqbal Singh: I think that there will be no change in rentals since it is a facility which we are providing ourselves.

श्री गिरिराज शरण सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि पंखे लगाने के लिए काफी बड़ी रकम मंजूर की गई है । क्या ये पंखे टैंडरों के आधार पर खरीदे जायेंगे ? यदि ये पंखे खरीदे जा चुके हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कम्पनियों को इनको क्रय-आदेश दिया गया था ?

श्री इकबाल सिंह : इस समय मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है, पर मैं यह कह सकता हूं कि हम बिना टैंडर मंगाये कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं ।

Shri Ram Charan: The type II and III quarters generally consist of 2 rooms. In one room fan is already provided and in the other room fan is being provided. As the Hon. Minister has stated that the requisite funds are not available with Government for fitting an additional fan in all these quarters and this work will take some time, may I know whether Government would propose to allow the Government employees to instal fans in their quarters from their own resources and to adjust the amount so spent from the rent recoverable from them.

Shri Iqbal Singh: We cannot allow the Government employees to instal fans in their quarters and to recover the cost from Government but it is certain that we are going to provide an additional fan in phases in the second room as fan is already fitted in on room of type II quarters.

नरवारा डिवीजन नहर के टूट जाने के बारे में हरियाणा के गावों के लोगों से अभ्यावेदन

*1208. **श्री सत्य नारायण सिंह** :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री भगवान दास :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नरवारा डिवीजन नहर के सुखाव नाले के टूट जाने के बारे में हरियाणा की तहसील कैथल के गांव हारसोल, सिसले, सिसमोरा और खारी शेरो के लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) नरवाणा डिवीजन के शुद्कन डिस्टी के टूट जाने के फलस्वरूप फसलों के खराब हो जाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए और रबी की फसलों के लिये राजस्व की छूट दी जाए । यह भी कहा गया है कि इस मामले की जांच की जाए ।

(ग) फसलों को हुई हानि को आंकने के लिये हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने हर क्षेत्र का निरीक्षण किया है । लगभग 90 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसमें 50 एकड़ में उगी

फसलें बिलकुल नष्ट हो गई हैं जबकि बाकी 40 एकड़ में हानि आंशिक रूप में हुई है। हानि पहुंची फसलों के लिये कितना मुआवजा दिया जाए इसका अनुमान लगाया जा रहा है। जल की दरों की छूट खतौनियों के जरिये रबी 1967-68 के लिये दी जाएगी।

Shri Satya Narain Sinha: The entire crop of farmers has been destroyed as a result of breach in Narwara Division canal and the affected people have sent a memorandum to Government for grant of some compensation. In view of this I want to know whether Government propose to give full compensation to the farmers to enable them to meet their requirements during the whole year.

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): नहर टूट जाने के कारण लगभग 90 एकड़ भूमि के लिए कुछ नुकसान पहुँचा है। क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है और उचित मुआवजा दिया जायेगा।

Shri Satya Narain Singh: Mr. Speaker, Sir, entire State of Haryana is in difficulty in regard to the opening and closing of canal gate since the authorities concerned ask money for this and it happens that gate is not opened when water is required and the gate is opened when water is not required and it causes damage to crops. May I know whether Government propose to make any permanent arrangement therefor?

डा० कु० ल० राव: भारी संख्या में पशुओं के घुस आने के कारण यह नहर टूट गई थी। अधिक पानी छोड़ देने के बारे में जांच की रही है और आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। हम एक घाट बनवायेंगे ताकि पशुओं के आने की वजह से नहर टूटेगी नहीं। संबंधित अधिकारियों के बारे में जांच की जा रही है और जो अधिकारी दोषी ठहरेंगे उनके साथ कड़ाई बरती जायेगी।

Shri Bhagwan Das: May I know whether any enquiry committee will be appointed to enquire into the breach of Narwara Canal caused on account of some officers' fault and the damage suffered as a result thereof in the entire State of Haryana and whether the report will be brought out at an earlier date?

डा० कु० ल० राव: जी हाँ। जांच की जा रही है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

दिल्ली की दुकानों से चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना

\+

*1211. **श्री वेदव्रत बरुआ:** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव:**

श्री अंबचेजियान: **श्री रा० रा० सिंह देव:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने हाल में राजधानी में कुछ दुकानों से लगभग 80,000 रुपये के मूल्य का चोरी छिपे लाया गया माल पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये माल का ब्योरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) तस्करों के गिरोह का जो राजधानी में सक्रिय है पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इस मामले में किसी विदेशी व्यक्ति का भी हाथ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 12 और 13 मार्च, 1968 को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली के कुछ इलाकों में दूकानों की तलाशी ली गयी और कुल मिलाकर लगभग 60,000 रुपये मूल्य की विदेशी वस्तुएं पकड़ी गईं जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे विदेशों से चोरी-छिपे आयात की गई थीं ।

(ख) पकड़े गये माल का ब्योरा इस प्रकार है :

पकड़े गये माल का विवरण	**मूल्य**
(i) 197 घड़ियां	17,795
(ii) 4 ट्रान्जिस्टर रेडियो	1,000
(iii) नायलन की 226 साड़ियां	32,000
(iv) शृगार का सामान और सौन्दर्य प्रसाधन	6,400
(v) ह्विस्की की 2 बोतलें	100
(vi) ताश के 15 पैकेट	150
(vii) सिगरेट	450
(viii) सिगरेट लाइटर	800
(ix) ब्लेड	50
(x) बिजली का सामान	1,300

इन मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

(ग) अब तक की गई जांच-पड़ताल से ऐसा नहीं लगता है कि तस्कर व्यापारियों का कोई संगठित गिरोह चोरी छिपे आयात किया गया माल दिल्ली भेज रहा है ।

(घ) इस मामले में किसी विदेशी व्यक्ति के शामिल होने का कोई आभास नहीं मिला है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : तस्करी एक आम बात हो गयी है और पाकिस्तान से मछली पकड़ने वाली नावों द्वारा चोरी छिपे माल लाया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हाल में सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई उसको देखते हुए सरकार तस्करी को रोकने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार इस समस्या से अवगत है और उसके बारे में चिन्तित है । हाल में सीमाशुल्क कलक्टरों की एक बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी, और तस्करी पर काबू पाने के लिए अनेक उपायों पर विचार किया गया था ।

श्री वेदव्रत बरुआ : तस्करी द्वारा इस देश से भारी मात्रा में सोना तो नहीं पर चांदी बाहर ले जाई गई है । डालरों की भी तस्करी की जाती है। तस्कर लोग पर्यटकों से ऊंची कीमत देकर पौंड मुद्रा तथा अन्य विदेशी मुद्राएं खरीद लेते हैं और इस प्रकार पर्यटक अपना भुगतान रुपये में करते हैं । क्या सरकार के सामने कोई प्रस्ताव आया है कि विदेशी पर्यटकों पर होटल आदि के अपने बिलों की सारी रकम विदेशी मुद्रा में ही अदा करने के लिए जोर डाला जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसे सुझाव भी समय-समय पर आये हैं और विचाराधीन हैं ।

श्री धीरेन्द्र नाथ देव : पिछले वर्ष ऐसे कितने मामले पकड़े गये थे और सरकार ने कितने मूल्य का सामान जब्त किया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न दिल्ली में मारे गये छापों के बारे में है । दिल्ली में 1967 में 8,67,070 रुपये मूल्य का माल और 31 मार्च, 1968 तक 2,55,598 रुपये मूल्य का माल पकड़ा गया था ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने दिल्ली में हाल में हुए सीमाशुल्क कलक्टरों के सम्मेलन का उल्लेख किया । उसके बाद उन्होंने भारतीयों को विशेष रूप से स्त्रियों को यह सलाह दी कि वे सोने के आभूषणों के प्रति आकर्षण को त्याग दें जिससे तस्कर लोगों को इस देश में सोना चोरी छिपे लाने में मदद मिलती है । क्या इस सम्मेलन में पूरे मामले पर विस्तृत आधार पर चर्चा की गई थी और कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया गया था ? उदाहरण के लिए स्वयं उन्होंने इस सम्मेलन में कहा था कि सोना चोरी छिपे लाकर मछली पकड़ने वाली नावों में रख दिया जाता जाता है और हमारी तट रेखा बहुत लम्बी है । अतः क्या हेलीकोप्टरों का उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया था और यदि हां, तो औरतों को सलाह देने के अलावा सरकार की इस सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यद्यपि यह सच है कि हमारा समुद्री तट दूर तक फैला हुआ है और तेज साधन न होने की वजह से हमें तस्करी रोकने में कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं क्योंकि सोना चोरी छिपे लाकर मछली पकड़ने वाली नावों में रख दिया जाता है और उनके द्वारा तट पर लाया जाता है । हेलीकोप्टरों के इस्तेमाल के प्रश्न पर पहले भी विचार किया गया था और अब भी विचाराधीन है ।

Shri Prakash Vir Shastri: I want to know whether the smuggled goods seized from Delhi shops, also include goods smuggled from China and if so, whether Government have made efforts to find out the countries through which these goods are smuggled and whether the matter has been pursued with the Governments of these countries in writing or by holding talks. Whether it is also a fact that some currency notes printed in China are being brought to India and have been seized in markets in the country specially in Delhi?

Shri K. C. Pant: The goods seized during recent raids do not include Chinese goods and no currency notes have been recovered.

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक दर घटाई जाना

*1212. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों ने बैंक दर एक प्रतिशत घटाई जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप ऋणों पर ब्याज की दर केवल $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक इस कटौती से सहमत है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की ऋण तथा धन सम्बन्धी नीतियों का रिजर्व बैंक द्वारा सही निर्वचन किया जाये; और वह बैंक वाणिज्यिक बैंकों का अपेक्षित मार्गदर्शन और नेतृत्व करें तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण रखे, जिससे कि सरकार की नीतियों का पोषण हो, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख). वाणिज्यिक बैंकों ने, भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर, अपने द्वारा दिये गये 80 प्रतिशत अग्रिमों के ब्याज की दर में 1 अप्रैल, 1968 से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमी करना स्वीकार कर लिया है। वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से उस रकम में से ऋण देते हैं जो उन्हें अपने जमाकर्त्ताओं से प्राप्त होती है और इसलिए मुख्यतः, जमा की जाने वाली रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर में हुई कमी के आधार पर ही, जो सामान्यतः $\frac{1}{2}$ प्रतिशत हुई है, उधार दी जाने वाली रकमों के ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। बैंक आम तौर पर रिजर्व बैंक से अधिक कामकाज के मौसम में थोड़ी अवधियों के लिए बैंक दर पर ऋण लेते हैं, इसलिए बैंक दर में हुई कमी का, बैंकों की मुद्रा सम्बन्धी लागत पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) रिजर्व बैंक समय-समय पर विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखकर अपनी मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण सरकार से सलाह करके करता है। रिजर्व बैंक को इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं कि वाणिज्यिक बैंक उसके द्वारा निर्धारित नीति का पालन करें।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : बैंक दर घटाते समय यह आशा थी कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण सुविधा की व्यवस्था करना चाहती है ताकि अर्थ-व्यवस्था आर्थिक मंदी से बच सके और धन-विनियोजन बढ़े तो सरकार वाणिज्यिक बैंकों पर रिजर्व बैंक, के माध्यम से

यह दबाव क्यों नहीं डाल रही है कि वे अपनी ब्याज दर में कम से कम 1 प्रतिशत की कटौती अवश्य कर दें ? जब बैंक दर बढ़ायी गई तो वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को अनुपात से अधिक बढ़ाने की होड़ सी लगा ली थी । जब बैंक दर घटायी जाती है तो ये बैंक अपनी ब्याज दर अनुपात से अधिक क्यों नहीं घटाते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ब्याज की दरों पर बैंक दर का नहीं वरन् जमा दर का प्रभाव पड़ता है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि बैंक अधिक कामकाज के मौसम में रिजर्व बैंक से थोड़ी अवधियों के लिये ऋण लेते हैं और रकम सीमित होती है । अतः जमा राशियों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर में कमी को ध्यान में रखते हुये इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये । हमें यह तथ्य भी ध्यान में रखना है कि बैंकों के कार्य परिणामों तथा बैंकों की रक्षित राशियों पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है । ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दर में कितनी कमी की जाये इसका निश्चय करते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी ऋण सम्बन्धी जो नई नीति निर्धारित की गई है उसको ध्यान में रखते हुये कितनी ब्याज दर पर लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र को ऋण दिये जायेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वर्तमान दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम कर दी जायेगी ।

श्री सु० कु० तापड़िया : बैंक दर में इस कटौती की घोषणा के शीघ्र बाद सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि लघु उद्योगों को हुंडियों को समय से पहले भुना कर दिये गये अग्रिमों को स्पष्ट अग्रिम नहीं समझा जायेगा क्योंकि इससे लघु उद्योगों को अधिक अनुदान और अग्रिम मिलने में सहायता मिलेगी । क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि वाणिज्यिक बैंक इस सलाह पर नहीं चल रहे हैं और बैंकों से जिनमें स्टेट बैंक भी शामिल है अग्रिम मिलने में लघु उद्योगों को अभी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इसका पता नहीं है कि बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिये जाने में आने वाली किसी कठिनाई का कारण यह है । यदि माननीय सदस्य के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है तो वह मुझे सूचित करें मैं उस पर गौर करूंगा ।

Industrial undertakings under Ministry of Irrigation and Power

*1221. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state

(a) the names of industrial undertakings. statewise, which are functioning under the control of his Ministry and the amounts invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to the set up in each state during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployement in the State and to bring at par with other states the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details in regard to all the above parts ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) और (ग). सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के नियन्त्रण में किसी औद्योगिक उपक्रम को स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Molahu Prasad : No reply has been given as to what sort of undertakings are functioning under the control of this Ministry.

Shri Sidheshwar Prasad : I have already stated that no undertaking is functioning.

श्री रंगा : सम्भवतः माननीय सदस्य उन वर्कशापों के बारे में जानना चाहते हैं जो देश के विभिन्न भागों में राज्यों के सिंचाई विभागों और केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे हैं । ताले वाले दरवाजों और अन्य सामान को बनाने के लिये क्या देश के विभिन्न भागों में कोई मरम्मत कारखाने और वर्कशाप हैं और यदि हां, तो वह कितने हैं और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था तथा अधीक्षण-व्यवस्था का क्या रूप है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : विभिन्न राज्यों के सिंचाई विभागों द्वारा और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा भी जो वर्कशाप चलाई जा रही हैं वे ताले वाले दरवाजों तथा छोटे दरवाजों का निर्माण तथा मरम्मत करती हैं । हम उन्हें औद्योगिक उपक्रम नहीं मानते क्योंकि वे कोई माल नहीं बनाते ।

Shri Sarjoo Pandey : Recently the U. P. Governor has said that Uttar Pradesh should get assistance according to its population since it is a most backward state. May I know whether Government are going to pay their attention to the irrigation in Uttar Pradesh in view of the above fact and if so, Government propose to draw up any scheme for giving irrigational facilities in the state ?

डा० कु० ल० राव : प्रश्न इस सम्बन्ध में नहीं है, पर यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि चौथी योजना के दौरान उसकी ओर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दामोदर घाटी निगम द्वारा जो बिजली तैयार की जाती है वह कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को बेच दी जाती है और यह निगम उसे उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर बेचता है । क्या सरकार इन परिस्थितियों को देखते हुये इस ब्रिटिश संगठन का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है ?

डा० कु० ल० राव : इस कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम का, जोकि अच्छा काम कर रहा है, राष्ट्रीयकरण करने का हमारा विचार नहीं है । इसमें बहुत अधिक धन लगा हुआ है जिसे हम देश में बिजली के विकास के लिये उपयोग कर सकते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

बिहार के पटना तथा मुंघेर जिलों में रबी की फसल को क्षति

अ० सू० प्र० संख्या 21. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलों तथा तूफान से बिहार के पटना तथा मुंघेर जिलों में रबी की खड़ी फसल को बहुत क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) सरकार का विचार उन किसानों को सहायता देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है जिनको नुकसान हुआ है तथा जो निर्धन हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मुँघेर जिले की 6 पंचायतों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ओलों से खड़ी फसलों को 50 से 80 प्रतिशत हानि पहुंची है। पटना जिले में ओलों से फसलों को क्षति पहुंचने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मुंघेर जिले में फसलों को अनुमानतः 10 लाख रुपये की क्षति हुई है।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में राशन सप्लाई किया जा रहा है। जख्मी व्यक्तियों और पशुओं को डाक्टरी सहायता दी गई है। स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुंघेर और पटना की सारी पट्टी तल क्षेत्र के नाम से मशहूर है। यदि सरकार के पास क्षति की सूचना नहीं आई है तो क्या इसका अर्थ यह है कि पटना जिले में क्षति नहीं हुई है। इसमें रिपोर्ट भेजने वाले की कुछ गलती है। क्या सरकार के पास उन्हीं फसलों को कीड़ों द्वारा पहुंची क्षति की सूचना पहले मिली थी और जो कुछ फसल बाकी बच गई थी वह ओलों से नष्ट हो गई और यदि हां, तो किसानों को मदद देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं क्योंकि उनकी एक ही फसल होती है और वह भी पूरी तरह नष्ट हो गई ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर ही विश्वास करना पड़ता है। हमने यह प्रश्न राज्य सरकार को भेजा था और उन्होंने सूचना दी कि मुंघेर जिले में लगभग छः ब्लाकों पर बुरा असर पड़ा है। जैसा कि मैं बता चुका हूं मदद देने के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सभी उपाय किये जा रहे हैं। सर्वविदित है कि ये उपाय करना राज्य सरकारों का काम है क्योंकि वे प्राकृतिक प्रकोपों आदि के सम्बन्ध में सहायता देने के लिये राज्य सरकारें कुछ प्रावधान करती हैं। यदि राज्य सरकार द्वारा उससे अधिक खर्चा होता है तो केन्द्रीय दल वहां जाकर स्थिति की जांच करते हैं और सहायता की रकम निर्धारित करते

हैं । इस स्थिति में ही केन्द्रीय सहायता का प्रश्न उठता है। बिहार सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है । उन्होंने सूचना दी है कि बिहार सरकार आवश्यक कदम उठा रही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह देखते हुए कि इस पूरे क्षेत्र में एक फसल उगायी जाती है और इस तल क्षेत्र में गंगा के जल के अलावा सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं यह जानना चाहती हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो तल सिंचाई योजना बनाई गई थी पर जिसे आरम्भ नहीं किया गया था, क्या उसे अब बड़े पैमाने पर लागू करने का विचार है ताकि इस पूरे क्षेत्र में दो फसलें उगायी जा सकें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चूंकि महिला सदस्य उस क्षेत्र की हैं इसलिए वहां के बारे में उनकी चिन्ता करना स्वाभाविक है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तल सिंचाई योजना के लिए केन्द्रीय सरकार को धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी । क्या सरकार इस प्रस्तावित योजना के लिये कुछ धन की व्यवस्था करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न स्वीकार कर लेने से स्पष्ट है कि वह आप पर और आपके निर्वाचन क्षेत्र पर मेहरबान हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Some damage has been caused in Uttar Pradesh and some other states as a result of hailstorm. Is it a fact that hailstorm does not affect the wheat of triple dwarf variety and if so, what efforts Government are making to increase the cultivation of this variety of wheat ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे नहीं मालूम कि यह प्रश्न यहां पर क्यों उठाया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी, अहमदाबाद द्वारा आय को छिपाया जाना

*1198. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों का ध्यान अहमदाबाद की न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी द्वारा अखबारी कागज की चोर बाजारी बिक्री किये जाने तथा आय को छिपाये जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). चोर बाजार में अखबारी कागज की बिक्री द्वारा कर-अपवंचन करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है ।

डाक्टरों में बेरोजगारी

*1199. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से डाक्टर बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न चिकित्सा कालिजों में दाखिला कम करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1967 को विभिन्न काम दिलाऊ केन्द्रों में ऐसे कितने डाक्टरों के नाम दर्ज थे ; और

(घ) उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) सामान्य चिकित्सकों के लिये रोजगार की कोई कमी नहीं है हालांकि विशेषज्ञों को रोजगार दिलाने में कुछ कठिनाई महसूस की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा करापवंचन

*1202. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3521 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच से किन छोटी-छोटी अनियमितताओं का पता लगा है ;

(ख) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन दो बिड़ला सार्थों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है ; और

(घ) जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जांच से जिन छोटी-छोटी अनियमितताओं का पता चला है उनका स्वरूप तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस प्रकार है :

(i) मेसर्स इण्डिया प्लास्टिक लिमिटेड काण्दीवली के माल की जांच करते समय, बिना शुल्क अदा किये माल को रखने के कमरे में ढलाई के पाउडर का 25 किलोग्राम

वजन का एक थैला अधिक पाया गया। जांच करने से पता चला कि हिसाब ठीक से नहीं रखने के कारण ऐसा हुआ। कारखाने को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और अतिरिक्त मात्रा को हिसाब में शामिल कर लिया गया।

(ii) मेसर्स दिग्विजय वूलन मिल्स, जामनगर, द्वारा रखे गये हिसाब की छान-बीन करते समय पाया गया कि हिसाब में धागे और ऊनी वस्त्रों की कुछ मात्रा कम दिखाई गई है। इसमें किसी बदनीयती का सन्देह नहीं हुआ। तथापि इस मात्रा पर 2,585 रुपये शुल्क की मांग जारी की गई जो मिल ने अदा कर दी।

(ग) इन दो बिड़ला कम्पनियों के नाम मेसर्स वल्लभ टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई और मेसर्स इण्डिया स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग, भाण्डुप हैं।

(घ) मेसर्स वल्लभ टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई, के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी है, परन्तु जांच-परिणामों की छान-बीन की जा रही है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। आशा है कि मेसर्स इन्डिया स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग, भाण्डुप, के सम्बन्ध में की जा रही जांच शीघ्र ही पूरी हो जायगी।

सौराष्ट्र केमिकल्स की अपील का निपटारा

*1203. **श्री गणेश घोष** : क्या **वित्त** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने बम्बई के सीमा शुल्क कलक्टर के आदेश पर सौराष्ट्र केमिकल्स के निदेशकों, प्रबन्धकों और अधिकारियों द्वारा दायर की गई अपील का निपटारा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस निर्णय पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) प्रेषक का नाम क्या है जिस पर बम्बई के सीमाशुल्क कलक्टर ने जुर्माना किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के उपबन्धों का अपीलार्थियों द्वारा पालन नहीं किये जाने के कारण बोर्ड ने अपील खारिज कर दी है।

(ग) इस समय यह सवाल ही नहीं उठता।

(घ) श्री खीमजी एन० मेहता।

Retrenchment in Chambal Project

*1204. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to retrench the employees of the Chambal Project ;

(b) whether it is also a fact that these employees have launched an agitation since the 19th March, 1968 against the said decision ; and

(c) if so, the reasons for making retrenchment ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Government of Madhya Pradesh is reported to have decided to retrench surplus Chambal employees.

(b) The Chambal employees are reported to have been on agitation from the 19th March, 1968, and they have since suspended the agitation.

(c) These employees had been employed by the State Government on a temporary basis and exclusively for the Chambal Project. Since the work on the Project is almost complete, the State Government appears to have considered it necessary to retrench them, as there were no vacancies available on other irrigation works in the State to absorb them.

बर्मा आयल कम्पनी के साथ करार

*1207. **श्री अनिरुद्धन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा आयल कम्पनी से एक करार किया है कि नूनमाटी और बरौनी स्थित सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों के उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग उसको मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बर्मा आयल कम्पनी तेल शोधक कारखानों पर अथवा तेल भरे जाने वाले स्थानों पर (टेप आफ प्वायंट) किन आधारों पर तेल प्राप्त कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण-मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां :

(ख) यदि गौहाटी और बरौनी शोधनशालाएं वर्ष में आयल इंडिया के 2.75 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल को शोधित करेंगी, तो बर्मा आयल कम्पनी ग्रुप की कम्पनियां कुछ उत्पादों के प्रति वर्ष 4,00,000 मीटरी टन लेंगी । शोधक में कमी होने की दशा में, यथानुपात आधारों पर, उत्पादवार मात्राओं में कमी कर दी जायेगी ।

(ग) सप्लाई प्रत्येक शोधनशाला और/या प्रत्येक पाइपलाइन टर्मिनल्स/खपत केन्द्रों और/या अन्य वितरण स्थानों पर की जाती हैं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

*1209. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने कब से काम करना आरम्भ किया था ;

(ख) क्या वह पुल तथा हवाई अड्डे तुरन्त बना सकता है ;

(ग) क्या इस निगम द्वारा बाहर से मंगाई जाने वाले उपकरण विदेशी निर्माताओं के स्टाक में से देश में ही मिल सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका आयात करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम समिति 15 नवम्बर, 1960 को निगमित हुआ था और मार्च 1961 से वह कार्य कर रहा है ।

(ख) फिलहाल निगम पुलों के निर्माण करने के लिए सुसज्जित नहीं है। तथापि यह हवाई अड्डों का निर्माण कर सकता है ।

(ग) और (घ). इस समय की सूचनाओं के अनुसार एक विशेष श्रेणी के बाहर कुछ स्परैडर्स तथा पाइल ड्राइविंग उपकरण, जोकि स्थानीय तौर पर नहीं बनते । उपलब्ध होते हैं, उनका आयात करना पड़ता है । निगम के द्वारा स्थिति की जांच की जा रही है ।

T. B. Among Bidi Workers

*1210. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the incidence of tuberculosis is largest among the bidi workers in our country ;

(b) if so, the number of such bidi workers all over India as are suffering from tuberculosis ;

(c) the name of the State where the largest number of bidi workers are suffering from tuberculosis ;

(d) whether Government have taken any step for eradication of this disease among them ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satyanarayan Sinha) : (a) to (c). No specific survey of incidence of T.B. has been carried out among the Bidi Workers alone and there is no authentic evidence to show that the incidence of T.B. is highest amongst the Bidi Workers. The total number of Bidi Workers suffering from T.B. and their distribution in the different States is also not known as no separate records are maintained for Bidi workers only.

(d) and (e) . No special steps are being taken for the eradication of the T.B. disease among Bidi workers alone. There is a National T.B. Control Programme operating in the country, which seeks to provide coverage to the entire population.

जीवन बीमा निगम

*1213. **श्री नम्बियार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के एजेंट काफी समय से भविष्य निधि

योजना के लिये आन्दोलन करते आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनसे इस बारे में कोई ज्ञापन मिला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). एजेंटों के महासंघ द्वारा 1964 में जीवन बीमा निगम को पेश किये गये मांगपत्र में अंशदायी भविष्य निधि की मांग भी शामिल थी। महासंघ द्वारा इस मांग-पत्र की एक प्रति सरकार के पास भी भेजी गयी थी। इस मामले पर विचार करना निगम का काम है।

गुजरात पेट्रो केमिकल उद्योग समूह

*1214. **श्री रविराय** :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह में जो दिसम्बर, 1963 में सरकारी क्षेत्र में स्वीकार किया गया था संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी समय स्वीकार किए गए गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक कारखाने चालू हो गये हैं और कुछ 1968 के मध्य तक चालू हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह के चालू होने में देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) उद्योग समूह के स्थिर परिसम्पति में, कुल निवेश लगभग 176 करोड़ रुपये का कई चरणों में है। इस में से 140 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र में है। 90 करोड़ रुपये की स्थिर निवेश परियोजनाओं को लाइसेन्स दिये गये हैं या आशय-पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये निर्माण एवं कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में हैं। सन्यन्त्रों के ठेकों को, जिनका स्थिर परिसम्पत्ति मूल्य 21 करोड़ रुपये है, अन्तिम रूप दिया जा रहा है। शेष 65 करोड़ रुपये के मूल्य के स्थिर परिसम्पत्ति के विस्तृत प्रस्ताव अब प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच पूरी की जा रही है।

(ख) 1961 में अनुमोदित किये गये कई गैर-सरकारी क्षेत्रीय सन्यन्त्रों ने 1967 में संचालन शुरू किया। 1963 में अनुमोदित कई दूसरे सन्यन्त्रों के 1968 में चालू होने की आशा है।

(ग) रुपया तथा विदेशी मुद्रा निधियों की कमी, विदेशी प्रक्रिया लाइसेन्सकर्ताओं एवं नियोजकों के साथ सन्तोषजनक सहयोग करारों पर पहुंचने में कठिनाइयों और पूर्वानुमानित मांग की वृद्धि की गति में ढीलापन के कारण पर्याप्त देरी हुई है।

कोयला और नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाने

*1215. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 11 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला-आधारित और नेफ्था-आधारित उर्वरक कारखानों के लाभ और हानि के बारे में उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क)और(ख). मध्य प्रदेश में एक कोयला-आधारित उर्वरक सन्यन्त्र पर भारतीय उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग द्वारा तैयार की गई तकनीकी आर्थिक सम्भाव्य रिपोर्ट की भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों के बोर्ड की एक उप-समिति इस समय जांच कर रही है। सरकार निदेशकों के बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

सौराष्ट्र केमिकल्स

*1217. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **वित्त** मंत्री सौराष्ट्र केमिकल्स के बारे में 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कौन सी दस्तावेजें पकड़ी गई हैं ; और

(ख) इसमें अनधिकृत विदेशी मुद्रा का सौदा कुल कितने रुपयों का था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मामले का प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय-निर्णय किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पकड़े गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में इस समय कुछ बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) जिन अनधिकृत लेन-देनों का आरोप है उनमें ग्रस्त विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य लगभग 30 लाख रुपया है।

पुरानी दिल्ली के लिये वृहद योजना

*1218. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामों से प्रतिवर्ष 70,000 लोग नगर की चारदीवारी में आ जाते हैं जिससे भारी नगरीय समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के लिये वृहद योजना बनाते समय इन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) 1959-60 में यह अनुमान लगाया गया था कि बाहर के स्थानों से दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख व्यक्ति आकर बसते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली शहर में आकर बसने वाले लोगों की ठीक-ठीक संख्या का निर्धारण करना कठिन है।

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान में प्रायोजित जनसंख्या की व्यवस्था है तथा इन प्रायोजनों में निश्चय ही ग्रामीण प्रवासियों का ध्यान रखा जाता है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सर्वश्री के० एन० मेहता/एन० के० मेहता से धनराशि का पता लगाया जाना

*1219. **श्री प० गोपालन**: क्या **वित्त** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने जिस समय लंदन के एक बैंक में धनराशि का पता लगाया था उस समय श्री के० एन० मेहता/श्री एन० के० मेहता के खाते में कुल कितनी विदेशी मुद्रा थी ;

(ख) लंदन के जिस बैंक में खाता खोला गया था उसका नाम क्या है ;

(ग) क्या न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सम्भवतः इसका संदर्भ अतारांकित प्रश्न संख्या 3569 के उत्तर से है जिसका सम्बन्ध श्री के० एन० मेहता द्वारा भारत के रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना लन्दन में रखे गये बैंक खाते से है। जिस बैंक में खाता रखा गया था उसका नाम फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क, सिटी आफिस, लन्दन है।

श्री मेहता द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के प्राथमिक रूप से उल्लंघन का प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब पता लगाया गया उस समय श्री मेहता के नाम उक्त खाते में जमा विदेशी मुद्रा की कुल रकम का पता नहीं है।

(ग) और (घ). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री मेहता के खिलाफ की जा रही न्याय-निर्णय की कार्यवाही अभी चल रही है। यह ठीक-ठीक कहना सम्भव नहीं है कि यह कार्यवाही कब पूरी होगी यद्यपि उसे शीघ्रता से पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

प्रत्यक्ष कराधान संबंधी अमरीकी विशेषज्ञ

*1220. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्यक्ष कराधान की व्यवस्था में सुधार के लिये सरकार को परामर्श देने वाले अमरीकी विशेषज्ञों के नाम क्या हैं;

(ख) इन अमरीकी विशेषज्ञों पर सरकार का कितना व्यय होता है और भारत में उनके कितने दिनों तक ठहरने की आशा है; और

(ग) 1967-68 के आयव्ययक के लिये उनके द्वारा दिये गये विशेष परामर्श की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जो विशेषज्ञ इस समय भारत में हैं उनके नाम हैं :

1. श्री ई० एच० वान	दल के नेता
2. श्री डी० जी० रास	कर-वसूली सलाहकार
3. श्री अर्नेस्ट एल० लैंगबीन	कर-निर्धारण सलाहकार
4. श्री एण्ड्रयू जे० बार्डेन	कर-विषयक-जालसाजी तथा अपवंचन सम्बन्धी वरिष्ठ सलाहकार
5. श्री विलियम सी० चर्च	प्रशिक्षण सलाहकार
6. श्री गुस्ताव एफ० श्रोडर	संगठन तथा प्रणाली सलाहकार

(ख) भारत सरकार प्रत्येक विशेषज्ञ को 15/- रुपये रोज का दैनिक भत्ता देती है। विशेषज्ञों का दल भारत में 31-12-1968 तक रहेगा।

(ग) दल से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह 1967-68 के बजट के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे और न ही उसने इस सम्बन्ध में कोई सलाह दी है।

दल ने सुझाव दिया था कि विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्यों के अनुसार कर्म-विभाजन तथा कार्य-निर्धारण की प्रणाली लागू की जाय। सरकार द्वारा यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया था तथा वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 के माध्यम से आयकर अधिनियम तथा प्रत्यक्ष करों के अन्य कानूनों में इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

यूनाइटेड प्रविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन के विरुद्ध जांच

*1222. **श्री उमानाथ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के तथा 11 मार्च, 1968 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 4175 तथा 3404 के उत्तरों के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्राविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन के चेयरमैन के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जांच पड़ताल में विस्तृत रिकार्डों का परीक्षण और अत्यधिक साक्ष्य की सूक्ष्म परीक्षा करने का काम शामिल है । जांच के कार्य को गति देने के सम्बन्ध में यत्न किए जा रहे हैं ।

परिवहन मंत्रालय के इंजीनियरों को वेतन पत्रक

*1223. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में पिछले दो महीने से महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को यह निदेश दे रखे हैं कि परिवहन मंत्रालय के सड़क निर्माण स्कंध के इंजीनियरों को वेतन पत्रक न दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Percentage of Wax in Oil

*1224. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the percentage of wax in the oil produced at the Kalol oil fields, and

(b) the steps taken to extract the wax from oil ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Approximately 13.6% by weight on crude.

(b) Extraction of wax from Kalol Crude will be possible only when facilities for the manufacture of lubricating oils are installed ; at present no such facilities exist in Koyali Refinery nor are they contemplated for installation, because the studies so far made reveal that lube oil production from Kalol Crude is uneconomic.

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस मद्रास द्वारा अपने कर्मचारियों से आय-कर इकट्ठा किया जाना

*1225. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस, मद्रास 1962 से अपने कर्मचारियों से आय-कर इकट्ठा कर रही है;

(ख) क्या उसके नई दिल्ली कार्यालय के श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारियों से 1966-68 में इकट्ठी की गई आय-कर की राशि जमा करा दी गई है; और

(ग) इस संगठन ने 1962 से अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई पर तथा मुद्रण तथा समाचार कतरण विभागों के लाभ पर कितना कर दिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Use of Oral Contraceptives

*1226. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Narasimha Rao :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5858 on the 1st April, 1968 and state :

(a) whether Government have studied the probable adverse effect of use of oral contraceptives on the health of women ; and

(b) the propriety of implementing the said schemes for propagation of oral contraceptives in view of the adverse effects on the health of women ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) and (b). Yes, Sir. The Indian Council of Medical Research have carried out detailed studies before approving the use of certain oral contraceptives under restricted conditions for an experimental cum demonstration project which we have launched.

उप-प्रधान मंत्री का बंगलौर का दौरा

7045. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के हथकरघा उद्योग संबंधी दक्षिण भारत के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिये 17 फरवरी, 1968 को विशेष विमान द्वारा दिल्ली से बंगलौर जाने पर कितना धन व्यय हुआ;

(ख) इस यात्रा पर श्री मोरारजी देसाई के साथ जाने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या वापसी पर भी विशेष विमान द्वारा यात्रा की गई थी और यदि हां, तो कब और उस पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) विमान को किराये पर लेने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस मंत्रालय को खर्च का पता नहीं है क्योंकि उप-प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के वायुयानों के इस्तेमाल के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई रकम नामे नहीं डाली जाती है।

(ख) (1) श्री टी० पी० सिंह, वित्त सचिव
(2) श्री कान्तिलाल देसाई
(3) श्री वी० वाई० टोम्पे, उप-प्रधान मंत्री के विशेष सहायक।
(4) श्री जी० गोविन्दन, जन-सम्पर्क निदेशक
(5) श्री मार्तण्डम्, उप सचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
(6) श्री के० श्रीनिवासन्, उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

(ग) जी हां 18 तथा 19 फरवरी 1968 को। खर्च का पता नहीं है।

(घ) भारतीय वायु सेना के वायुयान तभी काम में लाये जाते हैं जब भारतीय एयर-लाइन की व्यापारिक उड़ानें सुविधाजनक नहीं होतीं।

Girls from Kerala Sent to West Germany for Training in Nursing

7046. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount spent on 240 girls of Kerala sent by 'Nirmala Sevak Dal' to West Germany from Cochin by air for receiving training in Nursing in December, 1964 in respect of their journey and stay in Germany for 4 years :

(b) by whom the expenditure was met ;

(c) the grounds on which passport, Reserve Bank's approval for journey expenses and 'P' Form were issued ;

(d) whether facility for training in Nursing is available in India ; and

(e) if so, why these girls were sent to West Germany ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). To a similar Question (Unstarred No. 952 answered in the Rajya Sabha on 19.3.68) reply has been given that Christian Missionary Institutions and the Archbishop of Trivandrum sponsored girls for training in institutions in Germany ; and that Government are not concerned with the training of these girls in Germany and no expenditure was incurred by the Government in this behalf.

It is not known whether 'Nirmala Sevak Dal' is a different organisation. Accordingly, the Government of Kerala has been addressed for information on this and other points raised by the Hon'ble Member. The same will be laid on the Table of the Sabha.

Family Planning Programme During 1968

7047. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons proposed to be covered by Family Planning Programme during 1968 ;

(b) the number of persons in Rural and Urban areas separately who adopted family planning measures during 1967-68 ; and

(c) the number of doctors, nurses and other workers respectively, engaged in family planning programmes in villages ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) According to the targets fixed for 1968-69, 8.42 million persons are proposed to be covered by the Family Planning Programme.

(b) Complete information regarding the number of persons in Rural and Urban areas separately who adopted family planning measures during 1967-68 is not available. On the basis of the available information, the ratio of IUCD acceptors in the rural and urban areas is 63.3% and 36.7% respectively.

(c) According to the information so far available, the required information is as follows :—

Number of doctors ..	3,241
.. A. N. Ms ..	15,725
.. P. H. Nurses/ L. H. Vs.	3,014
.. Extension Educators	2,505
.. F. P. Health Assistants ..	6,292
.. Computors ..	2,060
.. Clerk/Store Keeper	1,953

नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के बंगलों में उद्यान सेवाओं पर व्यय

7048. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसत्सदस्यों के बंगलों के उद्यानों आदि के रखरखाव पर औसतन कितनी धनराशि व्यय की जाती है ;

(ख) कितनी-कितनी अवधि के पश्चात् प्रत्येक बंगले में क्या-क्या सेवायें की जाती हैं ;

(ग) इस काम के लिये कितने और कौन-कौन से कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं तथा उनके वेतन पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होता है ; और

(घ) वर्ष 1967 में इन सेवाओं के सम्बन्ध में कितनी शिकायत की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) लगभग 2,500 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ ।

(ख) (i) **झाड़ियों का काटना**

मार्च से अक्तूबर तक	—	15 दिन में एक बार
नवम्बर से दिसम्बर के मध्य तक	—	महीने में एक बार

(ii) **घास के मैदानों की कटाई**

मार्च से अक्तूबर तक	—	15 दिन में एक बार
नवम्बर से दिसम्बर के मध्य तक	—	महीने में एक बार

(iii) **घास के मैदानों और झाड़ियों की सिंचाई**

गर्मियों में	—	सप्ताह में दो बार
सर्दियों में	—	3 सप्ताह में एक बार

(ग)

संख्या	**स्टाफ की किस्म**	**वार्षिक मजूरी**
88	चौधरी	
	वरिष्ठ माली	
	माली	
	गाड़ीवान	1,73,520.00 रुपए

(घ) 137 ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय

7049. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) यह धन राशि किन कामों पर खर्च की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिये राशि कितनी मंजूर की गई है ; और

(घ) क्या सहायता योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) रुपए लाखों में

1964-65	1965-66	1966-67
310.40	382.37	356.80

(ख) प्रमुख योजनाओं की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-857/68]**

(ग)

रुपए लाखों में

1967-68	1968-69 अस्थाई व्यवस्था	1969-70 के लिए व्यवस्था
254.35	355.16	निश्चित नहीं की गई है ।

(घ) अनुबंध में दिए गए ढंग के अनुसार चालू वर्ष में योजनाएं आरम्भ की जाएंगी। 1 अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाली पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं ।

सम्पर्क तथा क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल पुस्तकों का अभाव

7050. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पर्क तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त वैज्ञानिक साहित्य के अभाव के कारण क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से मेडिकल कालेजों में अध्यापन में बहुत अधिक कठिनाई होगी;

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और 1967 के अन्त तक भाषा-वार कितनी मेडिकल पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ;

(ग) क्या 'मेडिकल कालेजों' से सरकार का अभिप्राय केवल उन्हीं कालेजों से है जहां केवल एलौपेथी पढ़ाई जाती है या उन कालेजों से भी है जहां अन्य चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा दी जाती है ; और

(घ) यदि अन्य चिकित्सा प्रणालियां भी शामिल हैं, तो 1967 के अन्त तक क्षेत्रीय भाषाओं में प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एलौपेथी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों का विचार है कि क्षेत्रीय भाषाओं को चिकित्सा कालेजों की शिक्षा का माध्यम बनाने में तब तक कठिनाई होगी जब तक इन भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता । अगस्त 1967 में हुई चिकित्सा कालेजों के डीनों तथा प्राध्यापकों के तीसरे सम्मेलन में यह सुझाया गया था कि चिकित्सा शिक्षा के लिए निर्धारित सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में होनी चाहियें । यह सुझाव राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है ।

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अब तक कितनी चिकित्सा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया

है इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा संबंधी पुस्तकों की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) में दिये गये उत्तर का संबंध एलौपेथिक कालेजों से है।

(घ) इस बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

Corruption in I. O. C.

7051. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints in regard to corruption and nepotism in the working and dealings of the Indian Oil Corporation; and

(b) whether Government have conducted any enquiry on the basis of the said complaints and if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) There have been several complaints of corruption against various officials of the Indian Oil Corporation.

(b) According to the existing procedure, all complaints against employees of the Corporation drawing a salary below Rs. 1,000/-per month are dealt with by the I. O. C. on the basis of the investigations done by the Central Bureau of investigations or on its own. In respect of employees drawing a salary of Rs. 1,000/- and above, cases are referred to the Central Vigilance Commission and disposed of on the basis of the advice tendered by that Commission. Regarding the latter category of employees, Government is kept informed of the progress in each case.

नगर पालिका बहादुरगढ़ की सीमाओं का विस्तार

7052. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के रोहतक जिले में बहादुरगढ़ नगर पालिका की सीमाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और इन सीमाओं का विस्तार कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्रेणी 2 तथा 3 के कर्मचारी

7053. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8866-ख के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि तकनीकी सहायकों/आशुलिपिकों/अनुवादकों के नि:संवर्ग श्रेणी 3 के पदों को नियमित सहायकों/आशुलिपिकों/अनुवादकों के श्रेणी 2 के पदों के बराबर किये जाने सम्बन्धी सरकार का निर्णय सभी सरकारी कार्यालयों को सूचित नहीं किया गया है, कुछ सरकारी कार्यालयों ने अपने उन कर्मचारियों को एफ० आर० 22-सी का लाभ दिया है जिन्हें श्रेणी 3 (नि:संवर्ग) पद से जिसका वेतनमान 210-425 रुपये है श्रेणी 2 पद पर जिसका वेतनमान 210-530 रुपये है तरक्की दी गई है यद्यपि उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी कार्यालयों को अपने निर्णय की सूचना देने के लिये नये आदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो ये आदेश कब से लागू होंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मूल नियम 22-सी के अन्तर्गत वेतन नियत किये जाने का लाभ दो पदों के उत्तरदायित्व की तुलना की दृष्टि से दिया जाता है, श्रेणी III, श्रेणी II आदि वर्गीकरण के आधार पर नहीं। वित्त मंत्रालय को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है जिसमें किसी कर्मचारी को संवर्ग वाह्य श्रेणी III के सहायक (रु० 210-425) पद से श्रेणी II के सहायक (रु० 210-530) के पद पर अथवा श्रेणी III के आशुलिपिक के पद से श्रेणी II के आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किये जाने पर किसी विभाग द्वारा मूल नियम 22-सी का लाभ दिया गया हो।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये सवाल नहीं उठते।

मंदिरों की भूमि

7054. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार सरकारी तथा गैर-सरकारी कितने मन्दिर हैं;

(ख) इन मन्दिरों के पास कितनी भूमि है;

(ग) क्या मन्दिर भूमि के राष्ट्रीयकरण तथा उसे सरकारी फार्म में बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). यह सूचना सुलभ नहीं है ।

(ग) और (घ). हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक में इस प्रकार का एक सुझाव दिया गया था । विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने अनुभव किया कि वर्तमान असामियों तथा पट्टेदारों को मन्दिरों की भूमि से बेदखल करने में कठिनाइयां होंगी । उस भूमि का क्षेत्र भी इतना नहीं है कि उससे भूमिहीन हरिजनों तथा आदिमजातियों की समस्याओं को यथेष्ट परिमाण में सुलझाने की सम्भावना हो ।

हिन्दी आदेशों की कार्यान्विति

7055. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में हिन्दी के बारे में आदेशों की कार्यान्विति बहुत धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न आदेशों की कार्यान्विति के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सिंचाई व बिजली मंत्रालय में हो रहे काम का बहुत-सा हिस्सा तकनीकी किस्म का है । फिर भी हिन्दी के बारे में जारी किये गये विभिन्न आदेशों की कार्यान्विति यथासम्भव की जा रही है । हाल ही में इस मंत्रालय के हिन्दी कक्ष में स्टाफ की वृद्धि के लिए मंजूरी दे दी गई है । आशा है कि इससे शीघ्र ही इस ओर हो रही प्रगति में तेजी आ जाएगी ।

श्रेणी दो और तीन के कर्मचारी

7056. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8866-ख के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सहायकों/आशुलिपिकों/अनुवादकों के निःसंवर्ग श्रेणी तीन के पदों को सहायकों/आशुलिपिकों के श्रेणी के पदों के बराबर घोषित किया गया है, ऐसे कर्मचारियों के जो श्रेणी 3 (निःसंवर्ग) पदों से श्रेणी 2 के अधिक वेतनमान 210-530 रुपये वाले पदों पर जाते हैं, वेतन/वरिष्ठता/वेतन वृद्धि की तिथि आदि को संरक्षण नहीं दिया जाता है जिससे उन्हें भारी वित्तीय हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके वेतन/वरिष्ठता/वेतन वृद्धि की तिथि आदि को संरक्षण देने के लिये नये आदेश जारी करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सहायकों, आशुलिपिकों, अनुवादकों आदि के पदों के संवर्ग अलग-अलग हैं और प्रत्येक संवर्ग के, भर्ती प्रवरता आदि के बारे में अपने-अपने नियम हैं। एक पद को दूसरे पद के समकक्ष घोषित करने का केवल यह अर्थ है कि एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण होने पर वेतन का नियमन तदनुसार होगा और ऐसा करने में वेतन, प्रवरता, वेतन-वृद्धि की तारीख, आदि के किसी प्रकार के संरक्षण की बात निहित नहीं रहती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

Connections for Water and Electric Supply Department in Bulandshahr

7057. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to State :

(a) the time-limit for giving new connections after they have been sanctioned by the Water and Electric Supply Department in Bulandshahr (U. P.) ; and

(b) the time taken to provide new connections after their sanction had been given during the last two years?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Due the heavy demand for connections and limited resources, no time limit is fixed for giving connections, if these are taken under the normal programme of the State Electricity Board. However, connections are given on priority within three months, if the consumer deposits full cost of line and sub-station under the Electricity Board's Deposit Scheme.

(b) There was no time limit, but efforts were made to give the connections as expeditiously as possible, subject to availability of funds and completion of formalities by the consumers.

Line Inspectors of Water and Electricity Supply Department, Bulandshahr

7058. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people of Bulandshahr have sent complaints regarding acceptance of illegal gratification by the Line Inspectors of Water and Electricity Supply Department of Bulandshahr (U. P.) ; and

(b) if so, the number of such complaints received during the last three years and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The information is awaited from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House.

विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन

7059. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) वर्ष 1966, 1965 और 1964 में विदेशी मुद्रा नियमों के अन्तर्गत जिन लोगों को दण्ड दिया गया और जुर्माना किया गया, उनके नाम तथा पते क्या हैं और उनको दिये गये दण्ड का ब्योरा-क्या है ;

(ग) विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि देश में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन में वृद्धि हुई है।

(ख) अनुपात-विरुद्ध समय, श्रम तथा व्यय लगाये बिना, आवश्यक सूचना इकट्ठी करना संभव नहीं है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय, भारत का रिजर्व बैंक तथा सीमा शुल्क अधिकारी बराबर सतर्क हैं तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन के मामलों में वे समुचित कार्यवाही कर रहे हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये शिक्षा नेता

7060. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने परिवार नियोजन शिक्षा नेता नियुक्त किये गये हैं प्रत्येक के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है और उनके खर्चे के लिये उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं की संख्या बढ़ाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-858/68**] इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित राज्य सरकारों ने खण्ड स्तर पर परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं/वर्ग नेताओं की नियुक्ति की है।

(ख) परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं की योजना को अधिक व्यावहारिक और व्यापक रूप दिया जा रहा है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवाओं का कार्यक्रम में सहायकों (हेल्पर्स) के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

धन कर

7061. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धन कर के हेतु कितने व्यक्तियों के पास आठ करोड़ रुपये से अधिक का धन है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) धनकर हेतु विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति का मूल्यांकन किन तरीकों से किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31-3-1967 को परम महामान्य स्वर्गीय निजाम सर मीर उसमान अली खां बहादुर, हैदराबाद ही केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर शुद्ध 8 करोड़ रुपये से अधिक के धन पर धन कर लगाया गया था।

(ख) धनकर के प्रयोजन के लिये विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का मूल्य मूल्यांकन की तारीख को उनके बाजार मूल्य के अनुसार आंकी जाती है।

अशोधित तेल

7062. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में और 1968 में अब तक प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा किन, किन देशों से अशोधित तेल की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि में किन-किन देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में देश में अशोधित तेल की कितनी मात्रा और तैयार की गई और कितनी मात्रा का अशोधित किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क)	1967	**जनवरी, फरवरी**, 1968
	"000" मीटरी टन	"000" मीटरी टन
बर्मा शैल	3200	505
एस्सो स्टैन्डर्ड	2051	377
कालटैक्स	1204	216
कोचीन शोधनशाला	2248	408

ईरान, साऊदी अरब और कुवैत देशों से ये आयात किये गये थे।

(ख)	1967	जनवरी, फरवरी, 1968
	"000" मीटरी टन	"000" मीटरी टन
	1027	104

सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, लंका, जापान, दक्षिणी कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, ईरान, इराक, साइप्रस, इटली, चिल्ली, हालैण्ड, इंगलिस्तान, आयर लैण्ड और पेरू देशों को ये निर्यात किये गये ।

(ग)	1967	जनवरी, फरवरी, 1968
	"000" मीटरी टन	"000" मीटरी टन
उत्पादित किया गया अशोधित तेल	5667	983
आयातित कच्चे तेल को शामिल करते हुए शोधन किया गया कच्चा तेल ...	14430	2496

Civic Amenities for Unauthorised Colonies in Delhi

7063. **Shri Nihal Singh :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of unauthorised colonies in Delhi and names of colonies out of them where roads have been constructed and electricity supplied ;

(b) whether Government have prepared a scheme to remove these colonies ; and

(c) if so, the expenditure incurred in regard to the provision of water, electricity and construction of roads in these colonies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course :

होम्योपैथी में मोबाइल लेक्चर

7064. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथी में मोबाइल लेक्चरशिप संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिससे कि होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के विद्यार्थियों को होम्योपैथी के अनुभवी प्राध्यापकों के सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ; होम्योपैथी की एक सचल व्याख्यान योजना चल रही है ।

(ख) योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-859/68]**

Vehicles Crossing Indo-Nepal Border

7065. **Shri Molahu Prasad** ; Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of vehicles which crossed from India to Nepal and back through the outposts situated at Uttar Pradesh Nepal border during the period from April, 1966 to December, 1967 and the details in respect thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

7066. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे केन्द्रीय इस्पात, खान तथा धातु मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि वे उस क्षेत्र की स्वायत्तता को कार्य-कुशलता तथा अधिक उत्पादन प्राप्ति का साधन बनाने की बजाय स्वायत्तता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को बदलने तथा सरकारी क्षेत्र से ठीक कार्य कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता को बनाये रखने के साथ-साथ उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के उपायों पर सरकार हमेशा ध्यान रखती रही है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है ।

भटिंडा जिले (पंजाब) के एक ग्राम में नसबन्दी आपरेशन

7067. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भटिंडा (पंजाब) के गांव डवरीखाना में प्राय: सभी पुरुषों का नसबन्दी आपरेशन कर दिया गया है ;

(ख) क्या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिल्ली के एक दैनिक समाचार-पत्र के सम्वाददाता को बताया है कि लगभग 90 प्रतिशत पुरुषों ने नसबन्दी आपरेशन कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह बात लोगों के हितों से मेल रखती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख). जी नहीं । पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जिला भटिंडा के गांव डवरीखाना के प्रजनन आयु-वर्ग के 90 प्रतिशत दम्पत्तियों ने परिवार नियोजन के नसबन्दी/लूप/ट्युवेक्टोमी/प्रचलित गर्भनिरोधक साधनों में से एक न एक साधन अपना लिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Allotment of Land to the Jhuggi-Jhonpri Dwellers of Delhi

7068. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to allot land to the Jhuggi-Jhonpri dwellers of Jumuna Bazar at Seemapuri ;

(b) if so, whether all the civic amenities are available in Seemapuri ; and

(c) if not, the time by which these amenities would be made available there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). Squatters of Jamuna Bazar area, majority of whom were 'ineligibles', were shifted to the Seema Puri site. The eligible squatters amongst them, will be allotted plots/tenements in the regular J. J. Colonies on application and as and when available. Civil amenities like water, community latrines, drains and street lighting have been provided at Seema Puri. Ration shops have also been opened at the site.

अमरीका के खाद्य उपहार पर भाड़ा

7069. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को पी० एल० 480 की धारा दो के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्य उपहार के भाड़े में, जिसका भुगतान अमरीका करता है, 10 प्रतिशत भाड़े को वहन करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Government Hospital in District Pauri Garhwal U. P.

7070. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proper medical treatment is not given to the patients in the Government Hospital in District, Pauri, Garhwal in Uttar Pradesh ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the fact that the Doctors and Civil Surgeons of the said Hospital do not issue medicines to the patients and ask them to purchase the medicines from the market while medicines etc. supplied to the Hospital are sold in the market; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha. It may be added that these are matters within the administrative control of the State Government.

Electricity Failures in Kasturba Nagar, New Delhi

7071. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electricity failures are more frequent in Kasturba Nagar colony, New Delhi, as compared to other Government colonies in the city ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to take steps in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Power supply breakdowns in Kasturba Nagar Colony are comparatively few. In the last six months there was only one breakdown for about 36 minutes in the month of February, 1968. The low voltage system has since been improved by laying additional feeders, dividing the loads suitably between them, thus improving the supply position. Also alternate feeding arrangement on the Low Tension side has been made.

बिड़ला साथों द्वारा करापवंचन

7072. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला साथों द्वारा पिछले पांच वर्षों में कोई करापवंचन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस अवधि में बिड़ला सार्थों द्वारा अर्जित कुल लाभ की तुलना में कुल कितना कर दिया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ बिड़ला फर्मों द्वारा कर की चोरी किये जाने के आरोप सरकार की जानकारी में आये हैं ।

(ख) जांच-पड़ताल चल रही है, और एक मामले में पूरे किये जा चुके चार कर-निर्धारणों में कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई है जिससे कर-निर्धारण से बची आमदनी का भी कर-निर्धारण किया जा सके ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

चेचक की वैक्सीन की खरीद

7073. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार भारत को चेचक की वैक्सीन का संभरण करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किन शर्तों पर संभरण किया जायेगा ; और

(ग) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां । रूस सरकार ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये 1962 से 7 अप्रैल, 1968 तक चेचक वैक्सीन की 74.25 करोड़ मात्रायें नि:शुल्क उपहार के रूप में दी हैं । उन्होंने 1968-69 में 10 करोड़ मात्रायें आगे और देना भी मंजूर कर लिया है ।

वैक्सीन देने के लिये कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

7074. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को कार्यान्वित करने में किन विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस नहर के निर्माण में आ रही मुख्य बाधायें निम्नलिखित बातों से सम्बन्ध रखती हैं :

(1) नेपाल में गुजरने वाली इस नहर के पहले 22 मीलों के लिये भूमि ; और

(2) इस परियोजना के लिये धन का प्रबन्ध।

नेपाल सरकार की अनुमति से नेपाल क्षेत्र में नहर का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उस सरकार से परामर्श करके नेपाल क्षेत्र में इस नहर के रेखांकन कार्य को अन्तिम रूप देने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

रेखांकन कार्य को अन्तिम रूप दे देने के पश्चात् धन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

चौथी योजना के लिये भारत को विदेशी सहायता

7075. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की सफल क्रियान्विति के लिये भारत ने किन-किन देशों से कितनी-कितनी विदेशी सहायता मांगी है ; और

(ख) चौथी योजना के लिये उन देशों ने कितनी सहायता देना स्वीकार कर लिया है तथा कितनी सहायता के बारे में बातचीत जारी है और इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चूंकि चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969-1974) अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है, इसलिये सरकार द्वारा इसको सफलतापूर्वक अमल में लाने के उद्देश्य से विदेशों से सहायता देने का अनुरोध किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी तेल समवायों के कर्मचारी

7076. **श्री गणेश घोष :**

श्री वि० कु० मोडक :

श्री भगवान दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल समवायों के कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) विवाद को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अशोक मार्केटिंग कम्पनी द्वारा देय आयकर

7077. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री नायनार : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहू जैन समूह की अशोक मार्केटिंग कम्पनी पर अब तक केन्द्रीय कर की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1968 को आयकर की 48 लाख रुपये की मांग की अदायगी होनी बाकी थी ।

(ख) बकाया मांग 1954-55 से लेकर 1959-60 तक के वर्षों के कर निर्धारणों के सम्बन्ध में है । कर निर्धारिती ने उपर्युक्त वर्षों के लिए अग्रिम कर तथा कर की अन्तिम मांगों की बराबर अदायगी की है । वसूली के लिये बाकी रही रकमों का सम्बन्ध कर-निर्धारणों में की गई वृद्धियों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 273 तथा धारा 271 (1) (ग) के अधीन लगाये गये दण्ड तथा भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 23-क के अधीन जारी की गई मांगों से है । निर्धारिती ने इन मांगों के विरुद्ध अपील की है । जिन मांगों के बारे में विवाद उठाया गया है, उनकी वसूली अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अपीलों का फैसला होने तक स्थगित कर दी गयी है ।

बैडफोर्ड के चेसिस के लिये दर ठेका

7078. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का विचार नवनिर्मित 120″ व्हील-बेस फुल फारवर्ड बेडफोर्ड के चेसिस के लिये दर ठेका करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने इसके मूल्य और इसके मूल माडल 5 टन के ट्रक के चेसिस के, जोकि पहले ही दर ठेके पर हैं, मूल्य में स्पष्ट भारी अन्तर की जांच की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने 29-3-68 को मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता से उनके 1-1$\frac{1}{2}$ टन क्षमता के बेडफोर्ड माडल के फुल फारवर्ड कंट्रोल लाइट कमर्शियल चेसिस, 120" व्हील-बेस के लिए एक दर-ठेका किया है। यह नया माडल इस फार्म के 1$\frac{1}{2}$ टन की क्षमता वाले सिंगल रीअर लाइट कमर्शियल चेसिस पर आधारित है, जो कि पहले ही दर-ठेके में शामिल है और जिसका मूल्य आदि औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया जा चुका है।

इसी किस्म के लाइट कमर्शियल चेसिस के लिए दो अन्य मोटरगाड़ी निर्माताओं से भी दर-ठेके किए गए हैं, अर्थात् डाज फार्गो 119" व्हील-बेस चेसिस के लिए मैसर्स प्रीमियम आटो-मोबाइल लिमिटेड, बम्बई से और स्टैंडर्ड 20-वन टन ट्रक चेसिस के लिए मेसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास से दर-ठेके किए गए हैं।

श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिये 120" व्हीलबेस वाली बेडफोर्ड गाड़ियों की खरीद

7079. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में श्रव्य-दृश्य प्रचार कार्यक्रम के लिये प्रयोग में लाने के लिये बेड-फोर्ड 120" व्हीलबेस/फुल फार्वर्ड चैसियां बड़ी संख्या में खरीदने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्वोत्तम उपयुक्त मेक और माडल चुनने के लिये प्रतिरक्षा विभाग के अनुसन्धान तथा विकास संगठन जैसे किसी विशेषज्ञ निगम का परामर्श लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का विचार तब तक के लिये बेडफोर्ड 120" व्हीलबेस चैसियों के लिये प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जारी करने का है जब तक कि संभरण तथा निपटान महा-निदेशक की सामान्य स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार दर-ठेके में इसे सम्मिलित नहीं कर लिया जाता जिसके अनुसार तभी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है जब इस प्रयोजन के लिये 'कोई अन्य मेक ब्रांड उपयुक्त नहीं होगा ?"

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। आवश्यकताओं के अनुसार संख्या निर्धारित की जायेगी।

(ख) और (ग). रक्षा मन्त्रालय के गाड़ियों के निदेशक (आर० एण्ड डी०) की सलाह पर श्रव्य-दृश्य प्रचार कार्यक्रम के लिए बेडफोर्ड के प्रचलित टाइप 120" व्हीलबेस की स्वीकृति

दी गई थी। चूंकि बेडफोर्ड के पूर्ण फावर्ड कन्ट्रोल माडल-120" व्हीलबेस में मूल बेडफोर्ड की सभी महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषताएं मौजूद हैं। अतः रक्षा मंत्रालय के किसी अन्य तकनीकी अधिकारी से अतिरिक्त परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(घ) प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जारी करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बेडफोर्ड के पूर्ण फार्वर्ड कन्ट्रोल माडल के लिये दर-ठेका महानिदेशक, सम्भरण और निपटान ने पहले ही तय कर दिये हैं।

सरकारी मुद्रणालय, कोयम्बतूर की कटाई मशीनों के ब्लेडों का अन्य स्थान पर ले जाया जाना

7080. **श्री नायनार :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नम्बियार : **श्री रमानी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर के सरकारी मुद्रणालय, से कटाई की मशीनों के ब्लेड 8 नवम्बर, 1967 को सरकारी मुद्रणालय, वेराही में लाये गये थे;

(ख) ये ब्लेड कैसे लाये गये थे;

(ग) क्या उस मुद्रणालय का प्रबन्धक इन ब्लेडों के साथ आया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। ब्लेड भारत सरकार मुद्रणालय, कोराट्टी के हैं तथा इन्हें भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर को ग्राईंडिंग के लिये भेजे गये थे क्योंकि अभी तक कोराट्टी मुद्रणालय में ग्राईंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) इन्हें भारत सरकार मुद्रणालय कोयम्बतूर की जीप के द्वारा भेजा गया था।

(ग) और (घ). प्रबन्धक अपने नगर (केरल में) आकस्मिक छुट्टी पर जा रहे थे। उन्होंने अपने नगर की यात्रा का एक भाग सरकारी जीप में जोकि कोयम्बतूर से कोरट्टी कटाई मशीन के ब्लेडों के साथ भेजी जा रही थी, तय किया।

सरकारी मुद्रणालय कर्मचारी सहकारी समिति, कोयम्बतूर

7081. **श्री नायनार :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री रमानी : **श्री उमानाथ :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मुद्रणालय कर्मचारी सहकारी समिति, कोयम्बतूर को मद्रास सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। किन्तु कोयम्बतूर के कोआपरेटिव के सोसाइटियों के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है तथा जांच चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में सामान्य पूल से डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

7082. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को कलकत्ता में सामान्य पूल से क्वार्टर देने से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये कलकत्ता में डाक व तार विभाग के कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) डाक तथा तार विभाग के टाईप I से IV तक के अधिकारी कर्मचारियों को कलकत्ता में सामान्य पूल वास के आवंटन से विवर्जित कर दिया गया है क्योंकि इन टाइपों में विभाग का अपना विभागीय पूल है। टाइप V तथा इससे ऊपर के अधिकारी कर्मचारी अभी तक भी कलकत्ता में सामान्य पूल वास के आवंटन के लिये पात्र हैं, क्योंकि इन टाइपों में विभागीय पूल में रिहायशी यूनिटों की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) कलकत्ता में टाइप के अनुसार डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

टाइप	कर्मचारियों की संख्या
I	10,066
II	10,253
III	1,627
IV	145

(ग) कलकत्ता में डाक तथा तार पूल में 337 क्वार्टर उपलब्ध हैं।

कागज की कम सप्लाई

7083. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कलकत्ता में प्रेस तथा लेखन-सामग्री कार्यालय को कागज

तथा अन्य मदों की कम सप्लाई के बारे में की गई कितनी शिकायतों का पता लगाया गया है;

(ख) इस मामले में कितने अधिकारियों का हाथ है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी ।

विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली का छता हुआ क्षेत्र

7084. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली का कुल स्तम्भपीठ-क्षत्र (प्लिन्थ एरिया) मंजिल-वार, कितना है;

(ख) उसका कुल छता हुआ (कवर्ड) क्षेत्रफल कितना है ;

(ग) उसका दरी-क्षेत्रफल (अर्थात् केवल कमरों का) कितना है;

(घ) एक-एक तथा दो-दो कमरे वाले कितने खण्ड हैं ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक खण्ड में स्नानागार, शौचालय तथा बरामदा सहित छती हुई औसतन जगह कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 29,375 वर्ग फुट × 6 अथवा 1,76,250 वर्ग पुट छः मंजिलों में ।

(ख) 29,375 वर्ग पुट (ग्राउंड फ्लोर) ।

(ग) 40,375 वर्ग फुट ।

(घ) एक कमरे के यूनिट 108

दो कमरे के यूनिट 36

(ङ) एक कमरे का यूनिट ... ग्राउंड फ्लोर पर 675.81 वर्ग फुट तथा अन्य मंजिलों (फ्लोर्ज) पर 692.81 वर्ग फुट ।

दो कमरे का यूनिट ... ग्राउंड फ्लोर पर 893.89 वर्ग फुट तथा अन्य मंजिलों (फ्लोर्ज) पर 1,010.88 वर्ग फुट ।

Removal of Jhuggi Dwellers in Jamuna Bazar, Delhi

7085. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Lobo Prabhu :**
Shri N. K. Somani : **Shri Gadilingana Gowd :**
Shri M. Amersey :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of Jhuggi-Jhonpari dwellers from Jamuna Bazar, rehabilitated in Seemapuri ;

(b) whether it is also a fact that the late Prime Minister Jawahar Lal Nehru had given an assurance to these squatters, when he visited Jamuna Bazar in 1956, that in case they were removed from that place, they would be rehabilitated at a place not more than three miles away ;

(c) whether it is also a fact that the same assurance was given to these squatters of Jamuna Bazar by the present Deputy Minister of Works, Housing and Supply ; and

(d) if so, the justification in rehabilitating them at a forest like place, which is seven miles away from Jamuna Bazar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) About 3,500 families.

(b) The late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru, visited the Jamuna Bazar area on the 7th May, 1957. After this visit it was decided that the Jamuna Bazar slum area should be completely cleared and it was not desirable to have any tenements or other constructions in this area. It was, however, felt that out of about 2,600 families living in that area in 1957, 25 per cent of them could not be taken away far from this area without upsetting their occupations and, therefore, they should be provided alternative accommodation within reasonable distance. As against this, more than 1,000 families of Jamuna Bazar area were provided with alternative accommodation at Kilokri, Jhilmil Tahirpur and Jangpura.

(c) No.

(d) Does not arise in view of the replies given to parts (b) and (c) of the question.

Gandak Project

7086. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 983 on the 1st April, 1968 and state :

(a) the amount of financial assistance Government propose to give for the completion of the Gandak Project; and

(b) the total estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Cent per cent earmarked Central loan assistance within the State Plan Ceilings is given to the Governments of Bihar and U. P. for financing expenditure on this project, the estimated cost of which is Rs. 141.71 crores. In respect of Nepal Benefit Schemes included in the overall estimate of Rs. 141.71 crores Central assitance is given to the Government of Bihar as a grant over and above the State Plan Ceiling.

Implementation of Delhi Development Plan

7087. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it a fact that powers have been delegated to D. D. A. in regard to the implementation of the Development Plan of Delhi ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No. The D. D. A. has its own powers under the Delhi Development Act, 1957.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय ऋण परिषदें

7088. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ऋण परिषद् के निर्णय रिजर्व बैंक आफ इंडिया और वाणिज्य बैंकों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे एक अपेक्षित विधान बना कर संविदित निकाय बनाने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राष्ट्रीय ऋण परिषद्, सलाह देने वाला निकाय है और उसका उद्देश्य सम्पूर्ण ऋण का बजट तैयार करने और उसका आयोजन करने के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय करने में सरकार तथा रिजर्व बैंक को सहायता देना है।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली में धोबियों के लिये मकान

7089. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के धोबियों के सामान्य कल्याण तथा मकानों की समस्या को हल करने के लिये भूतपूर्व निर्माण तथा आवास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) दिल्ली/नई दिल्ली के धोबियों के लिये धोबी-घाटों, मकानों आदि की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए भूतपूर्व निर्माण तथा आवास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना ने जनवरी, 1965 में एक समिति की नियुक्ति की थी।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-860/68]

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मन्नारघाट मोफिल स्थानम सम्पदा पर सम्पदा शुल्क

7090. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3472 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करापवंचन की शिकायतों को देखते हुए केरल के पालघाट जिले की मन्नार-घाट सम्पदा में मन्नारघाट मोफिल स्थानम के सम्पदा शुल्क के निर्धारण के बारे में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्योरा क्या है और उस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) कर-अपवंचन की शिकायतों के आधार पर चल रही जांच अभी पूरी नहीं हुई है और सम्पदा शुल्क का निर्धारण होना अभी बाकी है, यद्यपि रिसीवर द्वारा विवरणी में दिखाये गये शुद्ध 4,57,799 रुपये के मूल मूल्य पर 37,197 रुपये की अनन्तिम मांग जारी कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस बात को देखते हुए कि प्रार्थी (रिसीवर) द्वारा 15,000 रुपये जमा कराने पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा सम्पदा शुल्क की वसूली तथा अन्य सभी कार्यवाहियों के स्थगन का आदेश जारी किया गया है, जब तक न्यायालय इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि 'अन्य सभी कार्यवाहियों से" क्या अभिप्राय है, जांच पूरी नहीं की जा सकती। स्पष्टीकरण मालूम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है।

दिल्ली में अधिकारियों के लिए बंगले

7091. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अधिकारियों को सरकारी कोटे से दिल्ली में इस समय बंगले मिले हुए हैं ; और

(ख) अधिकारियों के बंगलों के रखरखाव पर गत पांच वर्षों में वर्षवार कुल कितनी धन-राशि व्यय की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) दिल्ली में

सामान्य पूल में से 1576 अधिकारियों को निम्न प्रकार से बंगले तथा अन्य मकान आवंटित किये गये हैं :–

(i) बंगले ... 516

(ii) अन्य मकान (जहां उद्यान प्रभार वसूल किये जा सकते हैं)। 1060

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Undertakings under the Ministry of Works, Housing and Supply

7092. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details in regard to all the above parts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) A statement is enclosed (Annexure I). **[Placed in Library. See No. LT-861/68]**

(b) A statement is enclosed (Annexure II). **[Placed in Library. See No. LT-861/68]**

(c) Yes, two Forms Presses as conceived at present in order to cover the deficiencies of demand for forms on a regional basis.

(d) As indicated in reply to part (c) and in Annexures I and II.

Industrial Undertakings Under the Control of the Ministry of Petroleum and Chemicals

7093. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of industrial Undertakings State-wise which are functioning under the control of the Ministry of Petroleum and Chemicals and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial Undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial Undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par the backward economy of Uttar Pradesh with the other States ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (b). A statement in two parts giving the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-862/68].** It may be stated that as the Fourth Plan period is still to commence information has been given on slightly different lines.

(c) and (d). There is no such proposal at present under consideration. But a fertilizer factory in the public sector with a capacity of 80,000 tonnes of Nitrogen at Gorakhpur in U. P. has gone into production recently. An Antibiotics Project at Rishikesh is also now operating. A licence has been granted to M/s. Indian Explosives Ltd. for the establishment of a fertilizer factory with a capacity of 200,000 tonnes of Nitrogen at Kanpur, in which Government of India has an interest.

Public Undertakings Under the Ministry of Finance

7094. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring the backward economy of Uttar Pradesh at par, with other States; and

(d) if so, the details in regard to all the above parts?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The industrial undertakings functioning under the Ministry of Finance, as departmental undertakings, are the following:

			Government Capital invested (as at end of March, 1967) (In Rs. lakhs) (approx.)
Mints	Bombay	Maharashtra State	357
	Calcutta	West Bengal	328
	Hyderabad	Andhra Pradesh	85
India Security Press, Nasik Road		Maharashtra	944
Security Paper Mill, Hoshangabad		Madhya Pradesh	939
Kolar Gold Mining Undertakings		Mysore	524
Silver Refinery, Calcutta		West Bengal	319
Government Opium Factory, Neemuch/Mansur		Madhya Pradesh	30
Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur		Uttar Pradesh	372

(b) to (d). A proposal to set up a modern Alkaloid factory at Neemuch in Madhya Pradesh at a cost of Rs. 53 lakhs was approved by the Government in 1965. The work on the factory is still continuing. No proposals for setting up any new industrial undertakings during the Fourth Plan period have been decided upon at present.

Arrears of Income-Tax Against Mills and Factories in Ahmedabad

7095. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of income-tax arrears due against each of the mills and factories in the public and private sector with their names in Ahmedabad for the last three years and the action taken to realise the same ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The information asked for is not readily available.

Medical Assistance to States

7096. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of medical assistance provided to Uttar Pradesh, Bihar and Himachal Pradesh by the Central Government during the last five years;

(b) the consideration on the basis of which dispensaries are opened in villages in the State of Uttar Pradesh ;

(c) the places in U. P. where Government dispensaries are functioning ;

(d) whether Central Government have looked into the alleged instance of non-availability of medicines in dispensaries in Uttar Pradesh and charging money for administering injections at these dispensaries ; and

(e) whether it is also a fact that there are no lady doctors in dispensaries in rural areas causing great inconvenience to rural people and if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (e). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha.

Electric Fans in Talkatora Barracks

7097. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the electric fittings and fans which were fitted during 1966-67 in Talkotora Barracks in New Delhi in which Central Government Offices (including Parliament Secretariat) are housed, are not giving proper service since the fans are very old and are unserviceable ;

(b) whether it is also a fact that the sanitary material etc. fitted in these Barracks are also dirty and old ; and

(c) whether Grvernment propose to replace these old materials immediately?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) At the time of conversion of power supply from DC into AC during 1966-67 and 1967-68, old serviceable ceiling fans, which had become surplus on account of demolition of barracks and buildings, were provided in the Talkatora Barracks. The electrical wirings and other fittings are all new. Occasional complaints about minor defects in the fans are attended to promptly.

(b) and (c). The dirty and unserviceable sanitary fittings have been replaced and repaired. There is no proposal to replace the ceiling fans but defective fans and regulators are being replaced as and when necessary.

भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के नये वेतनक्रम

7098. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के नये वेतनक्रमों सम्बन्धी न्यायाधीश वेंकटरामा अय्यर आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से कितना व्यय बढ़ेगा; और

(ग) क्या सरकार के निर्णय से अन्य बैंकों में वेतनक्रम पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ की, रिजर्व बैंक के श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के कर्मकार कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों में संशोधन करने की मांगें, सम्बद्ध पक्षों की इच्छा से, मध्यस्थ, श्री टी० एल० वेंकटराम अय्यर को सौंप दी गयी थीं। मध्यस्थ के फैसले को मानना अनिवार्य था और यह फैसला 5 अप्रैल, 1968 से लागू हो गया है। बैंक इस फैसले में दिये गये निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठा रहा है।

(ख) रिजर्व बैंक के श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के कर्मकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में मौजूदा वार्षिक सिब्बंदी व्यय 5.36 करोड़ रुपया बैठता है। मध्यस्थ के फैसले के अनुसार संशोधित वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय लगभग 62 लाख रुपया प्रति वर्ष बैठता है।

(ग) अन्य बैंकों में वेतनमान और भत्ते उन द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं, जिनको मानना दोनों पक्षों के लिए 31 दिसम्बर, 1968 तक अनिवार्य है।

मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा खर्च पर लगे प्रतिबन्धों को हटाया जाना

7099. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों आदि द्वारा खर्च पर लगे हुए प्रतिबन्धों तथा आपात काल में लागू किये गए मितव्ययिता के उपायों को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस वर्ष की तुलना में जब पूरे वर्ष भर आपात की स्थिति लागू थी, आगामी वर्ष में कितना खर्च बढ़ने की आशा है ;

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) आपात की अवधि में जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे और बचत सम्बन्धी जो उपाय किये गये थे अधिकांश में उनका सम्बन्ध प्रशासनिक व्यय से था । इसके अलावा, मंत्रालयों को इस आशय के सामान्य आदेश भी दिये गये थे कि वे खर्च में कमी करने के लिए अपने उन कार्यों को स्थगित रखें अथवा छोड़ दें जिन्हें अविलम्ब पूरा करना आवश्यक नहीं हो । साधनों की तंगी के प्रसंग में लगातार बचत करते रहने की आवश्यकता को देखते हुए, इन उपायों और बाद में किये गये उपायों को भी चालू रखना पड़ा है । इनमें से हटाए गये कुछ उपायों में अधिक महत्वपूर्ण ये हैं—असैनिक सरकारी कार्यालयों के काम के समय में वृद्धि और सुरक्षा अथवा आयोजना की योजनाओं के असम्बद्ध पदों के निर्माण पर रोक ।

(ख) ऊपर उल्लिखित प्रतिबन्धों को हटा लेने से ही व्यय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना नहीं है क्योंकि कर्मचारियों की वृद्धि को रोकने के लिए समुचित उपाय किये जा चुके हैं ।

आयकर की बकाया राशि में कमी

7100. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 को आयकर की कितनी राशि वसूल करनी बकाया थी;

(ख) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1967 की आयकर की बकाया राशि इस बीच काफी कम रह गई है; और

(ग) जिस अन्तिम तिथि तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उस तिथि तक आयकर की कितनी राशि बकाया थी तथा उस तिथि तक की कितनी राशि अब बकाया है तथा उसमें कितनी कमी हुई और कितनी राशि नकद प्राप्त हुई तथा कितनी राशि का समायोजन किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 541.71 करोड़ रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) जो अद्यतन सूचना उपलब्ध है वह जनवरी 1968 के अन्त तक की है । 1 अप्रैल, 1967 को कर के 541.71 करोड़ रुपये वसूल होने बाकी थे जिस रकम में से अपीलों और नजरसानी की दरख्वास्तों पर हुए निर्णयों तथा दुरुस्ती की कार्यवाही के कारण किये गये समायोजनों से 90.22 करोड़ रुपये कम हो गये, और 69.88 करोड़ रु० की रकम नकद वसूल हुई है । इससे अप्रैल, 1967 को कर की वसूल होनी बकाया रकम कम होकर जनवरी, 1968 के अन्त तक 381.61 करोड़ रुपये रह गई है ।

आयकर विवरण प्रपत्रों की छपाई की लागत

7101. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में आयकर के नये विवरण प्रपत्रों की छपाई पर कुल कितनी लागत आई और ये प्रपत्र कितनी संख्या में छापे गये;

(ख) उपरोक्त अवधि में कुल कितने प्रपत्रों का प्रयोग हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 से पुनः कुछ फार्मों के स्थान पर कुछ नये फार्म छापे जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो इन नये फार्मों की छपाई पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ङ) पहले छपे अप्रयुक्त फार्मों के कारण कितनी धनराशि की हानि होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1965-66 तथा 1966-67 में प्रत्येक वर्ष छपाये गये आयकर विवरणी के फार्मों की संख्या 81,25,000 थी। इन फार्मों की छपाई की लागत के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) आय की विवरणियों के पुराने फार्मों में संशोधन किये गये हैं। भारत के राजपत्र के दिनांक 29 फरवरी, 1968 के विशेष अंक में संशोधित फार्म अधिसूचित किये गये हैं। 1 अप्रैल, 1968 से ये फार्म इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

(घ) चूंकि छपाई अभी खत्म नहीं हुई है इसलिए इनकी छपाई की वास्तविक लागत का पता नहीं है। लागत का पता लगाकर उसके बारे में सूचना सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ङ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विलिंगडन अस्पताल में मनोरंजन कार्य

7102. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों के लिए भीतरी और बाहरी खेल तथा मनोरंजन के अन्य कार्यों के लिए विलिंगडन अस्पताल के अधिकारियों/प्रबन्धकों ने कोई खेल अथवा मनोरंजन क्लब नहीं चलाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इसकी व्यवस्था करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तथा अस्पताल के प्रबन्धकों द्वारा चलायी जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों की रूपरेखा क्या है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). इस समय वहां कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारियों को खेल तथा मनोरंजन संबंधी क्लब बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सरकार की नीति है। जब कर्मचारी किसी क्लब का संगठन कर लें तो सरकार द्वारा मंजूर की गई योजना के अधीन वे वित्तीय सहायता पाने के हकादर हो जायेंगे।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के क्वार्टरों का गिराया जाना

7103. **श्री द० रा० परमार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल के परिसर में बने हुए कर्मचारियों के कुछ क्वार्टरों को गिराने का समय आ गया है;

(ख) यदि हां, तो उनको कब तक गिराये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उन क्वार्टरों में अब रहने वाले कर्मचारियों को, उनके गिराये जाने के समय, अन्य निवास-स्थान देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कहां ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक कठिनाई के कारण नये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव न होने के फलस्वरूप यह बताना संभव नहीं है कि ये वर्तमान क्वार्टर कब गिराये जायेंगे।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

अधिक महंगाई भत्ते की मांगें पूरी करने के लिए सहायता के सम्बन्ध में राज्यों से प्राप्त प्रार्थना

7104. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के मामले में समानता लाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने कुछ वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) किन राज्यों को, और कितनी राशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

कार्यालयों का दिल्ली से फरीदाबाद स्थानान्तरण

7105. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से कुछ कार्यालयों को फरीदाबाद ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यालय कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन कार्यालयों के वहां ले जाये जाने से कर्मचारियों को घाटा रहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उनकी कुल पूर्ण उपलब्धियां कम न हों ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) फरीदाबाद को सम्पूर्ण रूप में अथवा भाग में सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले कार्यालयों के निर्णय का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-863/68]

(ग) और (घ). जो सरकारी कर्मचारी फरीदाबाद को स्थानान्तरित हुए हैं उनके द्वारा लिए जाने वाले वेतन में कोई कमी नहीं होगी वे महंगाई भत्ता उसी दर पर लेंगे जैसा कि दिल्ली में है तथा प्रतिकर भत्ता फरीदाबाद में लागू दरों पर लेंगे ।

संलग्न विवरण में दिखाये गये कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजना राजधानी में घनी आबादी को कम करने के लिए, दिल्ली से कार्यालयों को हटाने की सरकार की सामान्य नीति के अनुसरण में आवश्यक हो गया है ।

दिल्ली के अस्पतालों के कर्मचारी

7106. **श्री रामचन्द्र ज० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पताल सेवाएं अत्यावश्यक सेवाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पतालों के डाक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवाएं भी अत्यावश्यक समझी जाती हैं क्या उनसे पूरे दिन काम लिया जा सकता है; तथा उन्हें काम पर किसी समय बुलाया जा सकता है;

(ग) क्या दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों के ऐसे कर्मचारियों को नि:शुल्क तथा निकट से निकट आवास दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा कहां ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां ।

(ख) डाक्टरों तथा नर्सों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को जो उन्हें (डाक्टरों तथा नर्सों को) सहायता पहुंचाते हैं चौबीस घण्टे पारीवार काम करना पड़ता है ।

(ग) और (घ). सभी कर्मचारियों को अस्पताल के निकट मकान देना संभव नहीं । निशुल्क मकान उन्हें दिया जाता है जो इस उद्देश्य के निमित्त निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों को छुट्टियां देना

7107. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों की आम शिकायत यह है कि इस अस्पताल के अधिकारी उन्हें अर्जित तथा आकस्मिक अवकाश उस स्थिति में भी नहीं देते जब उन्हें इनकी अत्यन्त आवश्यकता होती है और छुट्टियां भी उनके नाम में जमा रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले एक वर्ष में छुट्टियों के कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । कर्मचारी की सच्ची आवश्यकता तथा नौकरी की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर छुट्टी मंजूर की जाती है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1-4-67 से 31-3-68 के दौरान तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से मिले 1395 प्रार्थना-पत्रों में से केवल 47 प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया गया । इन आंकड़ों में चिकित्सा कर्मी सम्मिलित नहीं हैं ।

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता

7108. **श्री किकर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विलिंगडन अस्पताल में कर्मचारियों को धुलाई भत्ता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय दिया जाने वाला धुलाई भत्ता वही है जो गत 20 वर्षों से दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि साबुन और सोडे के मूल्य में गत 20 वर्षों में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के धुलाई भत्ते में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ की मांग पर विचार करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और धुलाई भत्ता कितना बढ़ाया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस समय विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता इस प्रकार दिया जाता है :

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक रुपया प्रतिमास, हविलदार/ड्राइवर को 1.50 रुपये प्रतिमास/नर्सिंग स्टाफ को 4.50 रुपये प्रतिमास ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका से यह अस्पताल 1 जनवरी, 1954 को लिया गया था और उसी तिथि से उपर्युक्त धुलाई भत्ता दिया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). यह भत्ता इस विषय पर गृह-मंत्रालय के आदेशों के अनुसार दिया जाता है । इस पर पुनर्विचार करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा

7109. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा पिछली बार कब हुई थी ;

(ख) कुल कितनी राशि के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि अस्वीकृत धन की काफी राशि का उपयोग नहीं किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के वर्ष 1966-67 के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा पिछली बार फरवरी-मार्च 1968 में की गई थी ;

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब-किताब की सालाना लेखा-परीक्षा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा किये जाने के कारण यह निर्णय किया गया है कि बोर्ड से कोई उपयोग प्रमाण-पत्र न मांगा जाये ।

(ग) जी, नहीं ।

विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ

7110. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ एक पंजीबद्ध संघ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी पंजीयन संख्या क्या है तथा उसकी आज की सदस्य संख्या क्या है;

(ग) संघ को मान्यता देने के लिये कितनी सदस्य संख्या अथवा प्रतिशतता होनी आवश्यक है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में नर्सों तथा डाक्टरों की अलग संगठन तथा संख्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) पंजीकरण संख्या 1191 है। सदस्यों की संख्या मालूम नहीं है।

(ग) जहां एक संस्था में एक से अधिक यूनियन होती हैं वहां मान्यता प्राप्त करने के अधिकारी होने के लिये कम से कम स्टाफ के 15 प्रतिशत की सदस्यता होनी आवश्यक है।

(घ) जी हां।

कर्मचारी सहकारी बचत तथा ऋण सोसायटी, विलिंगडन अस्पताल

7111. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी सहकारी बचत तथा ऋण सोसायटी लिमिटेड नामक सहकारी समिति अभी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल के प्रबन्धकों द्वारा इस सोसायटी को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) अस्पताल अधिकारियों ने इस समिति को कोई सुविधायें नहीं दी हैं।

कृष्णा जल विवाद

7112. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कृष्णा जल विवाद के बारे में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री आन्ध्र प्रदेश सरकार से मिले हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री ने 21-3-68 को राज्य की विधान-सभा में निम्नलिखित रूप से कहा था :

> "मैं निश्चित रूप से यह मानने के लिये तैयार हूं कि अवश्य ही एक संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे यह संकेत मिलता है कि केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आपस में मिलकर कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे बहाने बना-बना कर समस्या को लम्बा किया जा सके।"

(ख) यह आशंका नितांत निराधार है और यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि महाराष्ट्र के मंत्री ने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं।

पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में बाढ़

7113. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ से उड़ीसा के बड़े भागों और इसके साथ लगने वाले कन्टाई सब-डिवीजन और पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के अन्य भागों पर कुप्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ऐसी आवश्यक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, जिससे कि बाढ़ आना रोका जा सके ताकि फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट न होने पायें और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार हो सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में तथा उड़ीसा के साथ लगने वाले क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ का तथा जल निकास संकुलन का कुप्रभाव पड़ता है।

(ख) मिदनापुर जिले में बमुनिया और दाड़दपुर खालों की पुनः खुदाई की गयी है। राज्य सरकार द्वारा कन्टाई बेसिन योजना के पहले चरण को क्रियान्वित किया जा रहा है, दुबदा बेसिन योजना के ब्योरे, कालमीजोल खाल को पुनः ढालने, कालियाघेयी तथा रसूलपुर नदियों को सुधारने, मिदनापुर जिले के ऊंचे-नीचे प्रदेश की सरिताओं में रोक-बांध तथा जल निकास बनाने और कालियाघेघी के स्रवणक्षेत्र में भूमि-संरक्षण तथा वनरोपण सम्बन्धी कार्य को पश्चिमी बंगाल सरकार कर रही है। इन योजनाओं की कार्यान्विति साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

उड़ीसा सरकार द्वारा सुबर्णरेखा और बड़हाबालांग बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :

(1) बालासोर नगर की संरक्षा के हेतु परमितघाट के समीप बड़हाबालांग के दाएं किनारे पर पर्वत प्रक्षेप बनाने का कार्य।

(2) भोगराई बांध नं० 1 बी—सुबर्णरेखा तथा जमकुण्डा बांध के बाढ़-बांध को बाटगांव से बंगाल सीमा तक दृढ़ करने का कार्य।

(3) पुराने बालाशोर नगर के संरक्षण के लिये पर्वत प्रक्षेप का कार्य ।

(4) बाड़ीपद नगर संरक्षण कार्य ।

(5) खालजोड़ी के मुहाने पर एकतरफा (नावापसी) जल कपाट का निर्माण ।

वर्ष 1968-69 के दौरान निम्नलिखित नये कार्य किये जाने का प्रस्ताव है :

(1) खारसूनी विद नईदूली तथा घोड़ामारा भोगराई पर कुम्भारमूली से भण्डारी खाल तक एक फीडर चैनल की खुदाई ।

(2) बहालिया हतशिरशिया चैनल की खुदाई तथा शिरशाहत पर एक नाले (कलवर्ट) का निर्माण ।

(3) टाँग्रामानों से भाण्डारिया नाला तक एक फीडर चैनल खोदना ।

इसके अतिरिक्त, निधि (फन्ड्स) की उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित बाढ़-नियंत्रण कार्य करने का प्रस्ताव है :

(1) सुबर्णरेखा में लूप काटना ।

(2) बालाशोर नगर के प्रतिस्रोत तथा अनुस्रोत में बड़हाबालांग में लूप काटना ।

(3) बड़हाबालांग के बाएं और दाएं किनारों पर रिटायर्ड लाइनों का निर्माण ।

(4) जल के निकास हेतु औशा-पाथेरेश्वर खाल के लिये एक बड़ी चैनल की व्यवस्था करना ।

(5) सुबर्णरेखा के बाएं और दाएं किनारों पर रिटायर्ड लाइनों का निर्माण ।

उड़ीसा सरकार ने बालाशोर तथा मयुरभन्ज जिलों में जिन पर सुबर्णरेखा की बाढ़ का कुप्रभाव पड़ता है, बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये एक मास्टर प्लान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के दो परामर्शदाता सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिये पश्चिमी बंगाल में सुबर्णरेखा तथा कन्टाई क्षेत्र के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बाढ़ सम्बन्धी जटिल समस्याओं का भी अध्ययन कर रहे हैं ।

जहां तक सिंचाई की सुविधाओं का सम्बन्ध है कंग्साबाती परियोजना पूर्ण होने पर मिदनापुर कैनाल के जरिये मिदनापुर जिले में लगभग एक लाख एकड़ भूमि को फायदा पहुंचायेगी । उड़ीसा सरकार सुबर्णरेखा—बड़हाबालांग सिंचाई परियोजना की जांच कर रही है, जिससे मयुरभन्ज और बालाशोर जिलों में 6.4 लाख एकड़ को लाभ होने की आशा है ।

रसायनों का आयात

7114 **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये विदेशों से बड़ी मात्रा में किन-किन

रसायनों का आयात देश-वार किया जाता है और प्रति वर्ष इस आयात पर कितना व्यय होता है ;

(ख) भारत विदेशों से कब तक इन रसायनों का आयात करता रहेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में इन रसायनों के उत्पादन की संभावना का पता लगाया है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रूस को प्राप्त भारतीय मुद्रा की कुल राशि

7115. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋणों की अदायगी और ऋणों पर ब्याज के रूप में 1964-65 से 1967-68 तक रूस ने भारतीय मुद्रा की कितनी धनराशि प्राप्त की अथवा 1968-69 में उसके द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त करने की सम्भावना है ;

(ख) रूस अथवा उसका भारत स्थित दूतावास भारतीय मुद्रा की कितनी राशि और किस प्रकार भारत में खर्च करता है ;

(ग) क्या भारत सरकार को भारत स्थित रूसी दूतावास द्वारा भारतीय मुद्रा के व्यय के प्रयोजन और तरीके के बारे में अवगत रखा जाता है ; और

(घ) क्या भारत स्थित किन्हीं राजनैतिक संगठनों और रूस समर्थक 'फ्रैंडशिप' संगठनों को रूसी दूतावास द्वारा भारतीय मुद्रा की इस निधि में से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). आर्थिक सहयोग ऋण करारों के अन्तर्गत सोवियत संघ को ब्याज और मूलधन के रूप में अदा की गयी या सम्भवतः अदा की जाने वाली रकमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

	मूलधन	ब्याज	जोड़
1964-65	8.37	3.78	12.15
1965-66	4.34	5.14	9.48
1966-67	17.78	8.99	26.77
1967-68	48.95	9.36	58.31
1968-69	41.73	10.98	52.71

इन रकमों का उपयोग सोवियत संगठनों द्वारा भारत-सोवियत करार व्यापार के अनुसार भारत में सामान की खरीद करने के लिये किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। ऐसे खर्च का ब्योरा आतिथेय देश की सरकार को बताने की प्रथा नहीं है।

(घ) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

Shortage of Kerosene Oil in the Villages

7116. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is still shortage of Kerosene Oil in the villages even after the quotas of States have been increased with effect from the 1st March, 1968 ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure the distribution thereof in the rural areas at fair price ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Some reports of such shortage have recently been received.

(b) The State Governments have been advised to ensure equitable distribution of kerosene within the States at fair prices in accordance with the Statutory Powers already available.

महाराष्ट्र में जल सप्लाई योजनाएं

7117. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजना आरम्भ करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा 1966-67 और 1967-68 में सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कितनी तथा क्या सहायता दी गई थी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार को इन योजनाओं के लिए दिये गये ऋण का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये लाखों में
1961-62	126.08
1962-63	102.97
1963-64	87.25
1964-65	192.77
1965-66	152.09
1966-67	68.54
1967-68	106.16

1966-67 तक प्रचलित प्रणाली के अनुसार "स्वास्थ्य" सम्बन्धी सभी केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिए जिनमें ग्राम जलपूर्ति योजनाएं भी सम्मिलित हैं, राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त नियत की जाती थी/अथवा दी जाती थी । इसलिए किसी राज्य विशेष को किसी खास केन्द्र सहाय्यित "स्वास्थ्य" योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई यह बतलाना सम्भव नहीं है । महाराष्ट्र सरकार को सभी "स्वास्थ्य" योजनाओं के लिए जिनमें ग्राम जलपूर्ति योजनाएं भी सम्मिलित हैं निम्नलिखित धनराशि दी गई :

वर्ष	रुपये लाखों में
1961-62	90.67
1962-63	71.00
1963-64	97.28
1964-65	127.52
1965-66	83.09
1966-67	92.43

1967-68 में महाराष्ट्र सरकार को ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए 106.67 लाख रुपये की एक राशि भी दी जा चुकी है ।

1966-67 तक राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही केन्द्रीय सहायता का स्वरूप इस प्रकार था :

(i) नगर जलपूर्ति योजनाएं — 100 प्रतिशत ऋण के रूप में

(ii) मल निष्कासन योजनाएं — ,, ,, ,, ,,

(iii) ग्राम जलपूर्ति योजना — 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में

1967-68 से केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जा रही है :

(1) नगर जलपूर्ति योजनाएं — 100 प्रतिशत ऋण के रूप में

(2) मल निष्कासन योजनाएं — 75 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत सहायता के रूप में यदि मल का उपयोग कृषि के कामों के लिए किया जाय वहां इस राशि को केन्द्र और राज्य बराबर वहन करेंगे ।

(3) ग्राम जलपूर्ति योजनाएं — 50 प्रतिशत अनुदान यह सहायता ग्राम क्षेत्रों के साथ-साथ उन छोटे नगरों के लिए भी उपलब्ध होगी जिनकी आबादी 1961 की जनगणना के अनुसार 20,000 तक है ।

State Bank's Assistance to Farmers

7118. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India and its subsidiary Branches have made arrangements for advancing money to the farmers for agricultural purposes ;

(b) if so, the number of applications received, State-wise, till date from the various States alongwith the number of the farmers and the amount of advance applied for as also the nature of agricultural works ;

(c) the number of applications in regard to which advances have been paid as also the number pending ; and

(d) whether for paying the advances, the Bank keeps in view the paying capacity of the farmers based on their property or their agricultural produce ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Necessary arrangements for advancing money to farmers for agricultural purposes are being made by the State Bank of India and its subsidiaries.

(b) and (c). The information is not readily available. It would, however, appear that the number of applications so far received is not significant. The applications are mainly for financing agricultural inputs as also for the purchase of farm machinery and equipment. A few applications have also been recieved for poultry farming, dairy farming, pisciculture and seed farming.

(d) In granting farm advances, the State Bank is mainly influenced by the production programme of the farmers.

Alcoholic Drinks

7119. **Shri D. S. Patel** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that free sale of mild alcoholic drinks and toddy would commence from 1st April, 1968 in cities and villages of Maharashtra with the permission of Central Government ; and

(b) if so, the reasons for giving such a permission ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) (a) : The permision of the Central Government is neither necessary nor it has been sought since Prohibition is a State subject.

(b) Does not arise.

बरौनी तेल शोधक कारखाने के चालू होने में देरी

7120. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के सभी तीनों चरणों के चालू होने में एक वर्ष से तीन वर्ष तक की देरी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण थे और बाद के चरणों में इस देरी को पूरा न करने के क्या कारण थे ;

(ग) इस लम्बी देरी के कारण बेकार श्रम, प्रशासनिक व्यय तथा पूंजी पर ब्याज के रूप में कितनी हानि हुई ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी हानि हुई है और इस सबके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) निर्माणा-कर्ता ठेकेदारों के कार्य का घटिया निष्पादन, श्रमिक कठिनाइयां और विदेशों से अपेक्षित उपकरण/सामग्री की प्राप्ति में समयान्तर, देरी के मुख्य कारण थे । यह देरी भारतीय तेल निगम के नियंत्रण के बाहर थी ।

(ग) और (घ). विभिन्न यूनिटों के पूरे होने में देरी के परिणामस्वरूप हुई हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । इसके अलावा, विभिन्न चरणों के चालू होने की मूल तिथियां विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर आधारित थीं ; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपकरणों की यथासमय प्राप्ति शामिल थी ।

Loop Manufacturing Factory, Kanpur

7121. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the date on which the Loop Manufacturing Factory in Kanpur was set up to promote the family planning programme and the cost of construction thereof and the annual expenditure being incurred thereon ;

(b) the number of loops manufactured by the said factory per annum since its inception to-date and the number of loops sold in the country and the number of loops exported every year ; and

(c) the number of loops in stock at present and the value thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The I. U. C. D. factory, Kanpur was set up by the Uttar Pradesh Government on the 9th August, 1965 for manufacturing loops and inserters. No specific expenditure has been incurred on the construction of the building for this factory as it is housed in the Electroplating Plant of the Uttar Pradesh Government. The details of expenditure incurred on the factory since its inception are as under :—

Year	Non-recurring expenditure for purchase of machinery equipment and their installation.	Recurring expenditure
1965-66	Rs. 2.00 lakhs	Rs. 1.53 lakhs
1966-67	Rs. 1.004 ,,	Rs. 3.503 ,,
1967-68	Rs. ..	Rs. 2.505 ,,

(b) The number of loops manufactured by the factory per annum since its inception is as under :—

1965-66	=	16,24,286
1966-67	=	59,96,380
1967-68	=	33,93,100
Total		1,10,13,766

The entire production of loops is taken over by the Government of India for Family Planning Programme. They are supplied free of cost to State Government etc. They are not exported at present. A gift of 1,000 loops was given to the Family Planning Association of Nepal.

(c) The number of loops in stock with the factory at present is 0.52 million and the value thereof is Rs. 36,400/-.

ऋषिकेश का प्रतिजीवाणु कारखाना

7122. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश प्रति-जीवाणु कारखाने में बनी स्ट्रेप्टोमाइसीन शीघ्र बाजार में आ जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ; और

(ग) वर्ष 1968-69 के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, गुण नियंत्रण परीक्षणों के पूरे होने के बाद ; जो इस समय प्रगति पर हैं।

(ख) निर्धारित क्षमता 70 मीटरी टन है।

(ग) 1968-69 के लिए 28.10 मीटरी टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बरौनी उर्वरक कारखाने के लिए भूमि

7123. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के बेगासराय-बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के किसानों ने उर्वरक कारखाने के निर्माण के लिए अर्जित भूमि का प्रतिकर मूल्य लेने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). उर्वरक कारखाने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर की अदायगी राज्य सरकार करती है। यह ज्ञात हुआ है कि किसानों ने निर्धारित प्रतिकर मूल्य लेने से इंकार कर दिया है। अदायगी के अस्वीकार करने का कारण प्रतिकर के उच्च दरों की मांग है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों की सेवा पुस्तक में खराब टिप्पणियां

7124. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में बरौनी तेल शोधक कारखाने के 800 कर्मचारियों की सेवा पुस्तकों में खराब टिप्पणियां दी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को इसके कारणों के बारे में जानकारी है और इतने बड़े पैमाने पर ऐसी टिप्पणियां दिये जाने सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). जी नहीं। इन कर्मचारियों की संख्या 323 है। इन व्यक्तियों को बता दिया गया है कि उनकी खामियों से सम्बन्धित टिप्पणियां उनके सेवा वृत्त को खराब करने के विचार से नहीं, बल्कि उनके कार्य में सुधार लाने के विचार से की गई हैं। ये उपक्रम के सर्वथा नेमी प्रशासनिक मामले हैं, और सरकार की ओर से किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

7125. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में, जिसका उन्होंने 9 मार्च, 1968 को उद्घाटन किया था ; कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति भारतीय हैं तथा कितने विदेशी ; और

(ग) यह मिल कब तक विदेशियों को नियुक्ति करता रहेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 7 अप्रैल, 1968 को 987 कर्मचारी।

(ख) भारतीय : 982
विदेशी : 5

(ग) वर्तमान प्रत्याशा के अनुसार, विदेशी तकनीशनों में से चार तकनीशनों को एक और वर्ष के लिए नौकरी में रखा जायगा। लेकिन पांचवां कुछ अधिक समय के लिए नौकरी में रहेगा।

Assistance to Rajasthan

7126. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have allocated special funds for Rajasthan State for the current year in view of its weak financial position ;

(b) if so, the details thereof and

(c) the steps taken so far in regard to the grant of special assistance to comparatively backward States, particularly to Rajasthan **vis-a-vis** developed States ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The requirements of specially backward regions are taken into account in making the allocations of Central assistance to the States for their development plans.

Electricity Rates in Rajasthan

7127. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the reasons for which electricity is so expensive in Rajasthan as compared to other States ; and

(b) the steps being taken to bring parity in the rates of electricity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) In Rajasthan, the rates for supply of electricity to industries and agriculture compare favourably with those in other States. But the rates for supply of electricity for domestic and commercial consumers are high. This is due to the fact that the cost of generation in the old and uneconomical steam and diesel power station which are in operation in the State are high and at the same time the density of load under the domestic and commercial categories are low.

(b) The question of rationalisation of the rates for supply of electricity in Rajasthan is proposed to be considered by the State Government/State Electricity Board after the Ranapratapsagar hydel power station and the Satpura thermal power station are fully commissioned by the end of 1968-69.

Foreign Loans

7128. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the country-wise amount of foreign loans payable by India at present and the amount of interest thereon being paid to each country ;

(b) the country-wise amount of foreign loans payable by India and the country-wise amount of funds payable to India by different countries before the Independence and immediately after the Independence ; and

(c) the country-wise amount of loans advanced by India to other countries and the amount recovered therefrom so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) A statement (No. I) showing the country-wise amount of foreign loans payable by the Government of India to different countries as at the end of February, 1968 is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-864/68].** Interest payable on the loans varies from loan to loan, depending upon the outstanding balances under the respective loans from time to time as well as the applicable rate of interest. The amount of interest likely to be paid by the Government during the year 1968-69 is indicated in the statement.

(b) The amount of loans payable by the Government of India before Independence (i. e. 31-3-1947) was Rs. 55·48 Crores and the amount payable after Independence (i. e. 31-3-1948) was Rs. 45·47 Crores. These amounts represented the outstanding sterling loans raised in U. K.

Only one loan amounting to Rs. 5 Crores had been advanced by India to Thailand before Independence. This was repaid in full during 1948-49.

(c) A Statement (No. II) indicating the country-wise amount of loans advanced by India to other countries and the amount recovered therefrom is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-864/68]**

वेतजी काशुचन्द द्वारा की गई धोखाधड़ी

7129. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत के एक लाइसेंसधारी (लाइसेंस संख्या 2543469 वाले) व्यक्ति से प्राप्त एक पत्र के आधार पर कि उसका लाइसेंस 1966 में अवमूल्यन के पश्चात् उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए जे० सी० सी० आई० ई० बम्बई के कार्यालय में भेजा गया था, वेतजी काशुचन्द द्वारा आयातित माल को सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा रोक लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाइसेंसधारी मोतीराम खुशालदास के हस्ताक्षर जाली थे और झूठे प्रतिनिधित्व के आधार पर तथा इस वेतजी काशुचन्द के नमूने के हस्ताक्षर कार्ड लेकर कनारा बैंकिंग कारपोरेशन, फोर्ट (बम्बई) शाखा की सांठ-गांठ से अनधिकृत रूप से सेंट्रल बैंक की मारपुनी (बम्बई) शाखा में शाख-पत्र खोला गया था ;

(ग) क्या सीमाशुल्क कलक्टर, बम्बई ने 7 जनवरी, 1967 को आदेश करके इस माल को जब्त कर लिया था ; और

(घ) क्या इस धोखाधड़ी तथा अन्य अपराधों के कारण इस पक्ष (वेतजी काशुचन्द) और जे० सी० सी० आई० के अधिकारियों / कनारा बैंकिंग कारपोरेशन, फोर्ट, बम्बई के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई मुकदमा चलाया गया था ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूरत के मेसर्स मोतीराम खुशालदास बन्दारिया ने बम्बई सीमाशुल्क के समाहर्त्ता को 12 अगस्त, 1966 को सूचित किया कि उनके नाम 11 मई, 1966 को जारी किया गया आयात लाइसेंस सं० 2543469 खो गया है और प्रार्थना की कि उपर्युक्त लाइसेंस पर आयात होने वाले माल को छुड़ाने पर रोक लगा दें। अक्तूबर, 1966 में उक्त लाइसेंस पर नायलोन सूत का जत्था छुड़ाने की कोशिश की गई और सम्बन्धित माल सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया। छानबीन से पता चला कि बम्बई के मेसर्स वेलजी कस्तूरचन्द इस आयात से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित थे।

(ख) जांच-पड़ताल के लिए यह मामला विशेष पुलिस विभाग को भेजा गया है।

(ग) बम्बई के सीमाशुल्क समाहर्त्ता ने 11 दिसम्बर, 1967 को माल की जब्ती के आदेश देते हुए मालिकों को विकल्प दिया कि वे 40,000 रुपये दण्ड की अदायगी करके माल को छुड़ा लें। मेसर्स वेलजी कस्तूरचन्द पर 10,000 रुपये का वैयक्तिक दण्ड भी लगाया गया।

(घ) अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विशेष पुलिस विभाग द्वारा मामले की जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद विचार किया जायगा।

नकली रेशम के कपड़े पर उत्पादन शुल्क

7130. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशम के सभी प्रकार के कपड़ों पर, चाहे उनकी किस्म और विक्रय मूल्य कुछ भी हों, प्रतिवर्ग मीटर 10 पैसे का सामान्य उत्पादन शुल्क लिया जाता है ;

(ख) क्या कम कीमत वाले कपड़ों के छोटे निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि शुल्क कपड़े की किस्म और मूल्य के हिसाब से होना चाहिये ;

(ग) क्या प्रति वर्ग मीटर 5 रुपये अथवा इससे कम विक्रय मूल्य वाले कपड़ों पर सरकार का विचार इस शुल्क को आधा करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो नकली रेशम के कपड़ों के बड़े निर्माताओं का पक्ष लेने का क्या कारण है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रश्न संभवतः केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के बारे में है। बिजली अथवा भाप से चलने वाली मशीनों से तैयार किये गये रेयन अथवा कृत्रिम रेशम के सभी वस्त्रों पर 3.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तथा उसका 20 प्रतिशत विशेष शुल्क) लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, बिक्री-कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा हथकरघा उपकर प्रतिवर्ग मीटर और 1.9 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाया जाता है और इन सब शुल्कों का जोड़ कुल 9.7 पैसे प्रति वर्ग मीटर बैठता है।

(ख) ऐसी कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नकली रेशमी कपड़े पर उत्पादन शुल्क

7131. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली रेशमी कपड़े तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले तन्तुक विस्कोज तथा नायलोन किस्मों के धागे के आधार पर नकली रेशमी कपड़े पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इन तीनों श्रेणियों का मूल्यों से साधारणतः कोई सम्बन्ध होता है ; और

(ग) क्या वर्गीकृत उत्पादन शुल्क की नीति तथा 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर का सामान्य शुल्क अधिक युक्तियुक्त माने जाते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) सेलूलोस-भिन्न संश्लिष्ट धागे से बने कपड़े आमतौर पर अन्य प्रकार के धागों से बने कपड़ों की अपेक्षा अधिक मूल्य पर बिकते हैं ।

(ग) यद्यपि रेयन के अथवा कृत्रिम रेशम के कपड़ों पर उत्पादन-शुल्क एक जैसी दर से लगता है, तथापि सेलूलोस-भिन्न धागे से निर्मित कपड़ों पर लगने वाले कपड़ा-शुल्क तथा धागा-शुल्क का संचयी कर का भार अन्य प्रकार के धागे से बने कपड़ों पर पड़ने वाले कर के भार की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि रेयन तथा संश्लिष्ट धागों पर शुल्क की दर, प्रयुक्त धागे की किस्म तथा डेनियर के हिसाब से लागू होती है, तथा अधिक बढ़िया सेलूलोस-भिन्न धागे पर शुल्क का भार अधिक पड़ता है ।

पश्चिमी घाट में तस्करी

7132. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोबाई जैसे ट्रेशूल शेखडमों के साथ, जो तस्कर व्यापार के स्रोत हैं, पश्चिमी तट में हो रहे तस्कर व्यापार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से लिये गये सरकारी ऋणों की सहायता से बनाये गये मछली पकड़ने के जहाजों को इस प्रयोजन के लिये काम में लाया जा रहा है ;

(ग) उत्तरी पत्तनों (दमण तथा दीव के उत्तर) में कितनी सीमा शुल्क गुप्तचर चौकियां स्थापित की गई हैं ;

(घ) क्या जाखर, ओखा, जामनगर, मंदारी, दीव, खम्भात तथा दमण में तैनात अधिकारियों को जीपें, तेज चलने वाली नौकाएं तथा वायरलेस सेट सप्लाई किये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों से लिये गये ऋण की सहायता से विनिर्मित मछली पकड़ने की नौकाएं भी मौके बे मौके पश्चिमी तट पर तस्कर व्यापार में लगी पायी गई हैं ।

(ग) दमन के उत्तर के तटीय भागों में 42 सीमाशुल्क (लघु) बन्दरगाहों के अतिरिक्त सीमाशुल्क अधिकारियों ने 25 निरोधक एकक भी स्थापित किये हैं ।

(घ) और (ङ). दमन, वापी तथा जामनगर के सीमाशुल्क एककों को जीपें दी गयी हैं । तस्कर विरोधी कार्यवाही के लिये विशिष्ट स्थानों पर निरोधक एककों को जीपें, तेज चलने वाली नौकाएं, वायरलेस सेट तथा अन्य सामग्री देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Hindi Knowing Gazetted Officers in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development

7133. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Health,Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Gazetted Officers in Grades, I, II and III in his Ministry as on the 15th March, 1968 and the number of those among them who know Hindi ;

(b) the number of Officers among the non-Hindi knowing Officers who are learning Hindi at present under the Hindi Training Scheme ;

(c) the time by which the remaining Officers are to be taught Hindi; and

(d) whether any roster for teaching Hindi by a stipulated period has been drawn?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The information in respect of the Deptt. of Health and U. D., the Deptt. of F. P., and the Dte. G. H. S. is as follows :

	Total number of Officers	**No. of Hindi knowing Officer**
Class I	134	70
Class II	108	65

There are no Class III Gazetted Officers.

(b) Class I 5
Class II 3

(c) and (d). Roster of non-Hindi knowing Officers and Staff is being maintained and the employees are sponsored for Hindi Training on the basis of this roster. No time limit has been fixed for this purpose.

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

7134. **डा० रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री हल्दिया में तेल शोधक कारखाने की स्थापना में अब तक हुई प्रगति के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): हल्दिया में तेल शोधक कारखाने की स्थापना में अब तक हुई प्रगति निम्न प्रकार है :

(1) हल्दिया शोधनशाला की स्थापना में तकनीकी, वित्तीय और अन्य सहायता को प्राप्त करने में भारत सरकार ने तीन करार किये । फ्रांस के मेसर्स टोटल इण्टर नेशनल लिमिटेड के साथ 29-9-1967 को किये गये करार में, इस शोधनशाला के लिए अपेक्षित कच्चे तेल की 50 प्रतिशत मात्रा को ईरान से प्राप्त करने की व्यवस्था है । फ्रांस के मेसर्स टेकनिक और एन्सा के साथ 29-9-1967 को किये गये करार में, फ्रांसिसी एजेन्सियों द्वारा दिये जाने वाले सहयोग जैसे रूपांकन, इन्जीनियरिंग और निर्माण सेवाओं तथा शोधनशाला के ईंधन-उत्पादों के निर्माण के लिए आपेक्षित सम्मिलित सुविधाओं और डिजाइन, इन्जीनियरिंग, निर्माण सेवाओं तथा आयातित साज-सामान की लागत को पूरा करने के लिए 20 मिलियन डालर्स तक ऋण का ब्योरा है । रूमानिया के मेसर्स इण्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट के साथ 13 अक्तूबर, 1967 को किये गये करार में, वैसे ही उत्तरदायित्वों का वर्णन है, जैसे फ्रांस की एजेन्सियों के लिए निधारित हैं, किन्तु लूब तेलों, ईंधन तेल और विटूमेन के निर्माण के लिए अपेक्षित सारे यूनिटों के लिए इस करार में रूमानिया से सप्लाई तथा सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए 12 मिलियन डालरों तक ऋण की भी व्यवस्था है ।

(2) ये करार भारतीय तेल निगम के हक में किये गये हैं । जिसे शोधनशाला के निर्माण एवं चालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है ।

(3) भारतीय तेल निगम ने शोधनशाला में अपनाये जाने वाले उत्पाद नमूने, उत्पाद विशिष्टियां, टैंकों की आवश्यकताएं भरण विन्दु के अध्ययन को पूरा कर दिया है और फ्रांस, रूमानिया और भारतीय एजेन्सियों को इन ब्योरों को प्रस्तुत किया है ताकि अनुकूल अध्ययन एवं डिजाइनों में इन्हें शामिल किया जा सके ।

(4) विदेशी एजेन्सियों के परामर्श से शोधनशाला के स्थलों के लिए एक कच्चा खाका तैयार किया गया है और कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों ने उक्त स्थल को बनाये रखने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की है । अक्तूबर, 1968 तक इस कार्य के पूरे होने की आशा है ।

(5) हल्दिया को नेशनल-हाईवे-6 से मिलाने वाली सड़क में सुधार सम्बन्धी कार्य को राज्य सरकार ने हाथ में लिया है । हल्दिया के रेल लिंक का कार्य भी प्रगति पर है और दिसम्बर, 1968 तक इसके पूरे होने की आशा है ।

(6) मेसर्स सीमेण्टेशन को मिट्टी के अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है । और इसके शीघ्र ही पूरे होने की आशा है । कलकत्ता कोर्ट कमीश्नरों ने शोधनशाला के उपनगर के

निर्माण के लिए 10 एकड़ के क्षेत्र को भरने का वादा किया है। पश्चिमी बंगाल विद्युत बोर्ड, निर्माण कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई करने के लिए, सहमत हो गया है। शोधनशाला के चालन के लिए बिजली की सप्लाई का प्रश्न परीक्षाधीन है। भूमि-गत-जल की उपलब्धि के बारे में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। इसको पानी की सप्लाई के लिए बिजली कुओं को लगाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए, अध्ययन किया जायेगा।

(7) कच्चे तेल के मूल्यांकन, अनुकूल प्रक्रिया के बारे में अध्ययन में भाग लेने के लिए भारतीय इन्जीनियरों को फ्रांस और रूमानिया भेजा गया है। नेफ्था को मीठा करने, मिट्टी के तेल की धाराओं के लिए विशुल्पारीयण और केटेलिटिक सुधार तथा पूर्व-परिष्करण के लिए, अपेक्षित प्रक्रिया लाइसेन्सों को चुना गया है।

Medical Graduates

7135. **Shri Bal Raj Madhok:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government propose to employ the Medical Graduates in Central Government Health Scheme after imparting short-duration training to them; and

(b) if not, the reasons for which these Medical Graduates have not been absorbed therein so far despite the dearth of doctors with which the country is faced at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) There is no such proposal.

(b) No difficulty is experienced in the matter of posting doctors.

Change of Allopathic Hospitals into Integrated Hospitals in U. P.

7136. **Shri Bal Raj Madhok:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 160 Allopathic Hospitals in Uttar Pradesh have been converted into integrated hospitals;

(b) whether it is also a fact that another 60 Allopathic Hospitals are proposed to be converted into integrated hospitals; and

(c) if so, the reason for making this change?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

हापुड़ में स्टेट बैंक के मैनेजर के विरुद्ध शिकायतें

7137. **श्री बलराज मधोक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के

मैनेजर द्वारा सम्भ्रांत व्यापारियों के साथ किये जा रहे बुरे व्यवहार के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जांच करने पर पता चला है कि इन आरोपों में कोई सार नहीं है।

Out-of-Turn Allotment of Government Accommodation

7138. **Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Central Government employees have been allotted out-of-turn accommodation during the period from January, 1966 up-to-date while some others suffering from similar disease **viz.** T. B., Paralysis, Heart diseases, Asthama and Jaundice have been refused such an allotment ;

(b) if so, whether Government have received complaints in this connection ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Out-of-turn allotments have generally been made in serious medical cases of self or dependent members of the family of the applicants, like active T. B., Cancer, Paralysis and Heart diseases on the basis of medical certificates produced by the Government employees concerned. While doing so the totality of circumstances in each case are considered. These have been refused in cured cases or in cases where medical certificates do not disclose the magnitude of seriousness of the disease.

(b) and (c). In some of the refused cases the Government employees concerned had made representations for reconsideration of their cases giving more facts including fresh/revised medical certificates and such cases are re-examined on their merits.

Gold Recovered from Frontier Mail in Delhi, 1967

7139. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Customs Officers recovered some gold biscuits from the Frontier Mail between Nagda and Ratlam Junction in the last week of December, 1967 ;

(b) if so, the value of these gold biscuits at the international rates and at the rates prevailing in the country ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the number of persons against whom cases were registered ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) On 29th December, 1967, 40 slabs of gold bearing foreign markings were seized by the Customs officers from a passenger travelling by the Frontier Mail at Nagda Railway Station. On the same day 9 slabs of gold bearing foreign markings were recovered from a hand bag lying unclaimed in a third class compartment of the Frontier Mail at the same railway station.

(b) The total value of the 49 slabs of gold seized is Rs. 48,237/- at the international rate and about Rs. 88,600/- at the price of standard bars prevailing at that time in the Bombay bullion market.

(c) The passenger from whom 40 slabs of gold were seized, was arrested and subsequently released on bail. A case has been registered against him.

State Bank, Ujjain

7140. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the building in which the State Bank at Ujjain is housed at present, is a rented one ;

(b) if so, the amount being paid by Government per annum as rent therefor ;

(c) whether it is also a fact that the State Bank, Ujjain, has purchased a Plot from Ujjain Municipal Corporation for constructing its own building ;

(d) if so, whether the construction of the building has been completed ; and

(e) if not, the reasons therefor and when the construction is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) No amount is paid by Government. The State Bank pays rental at Rs. 7,200/- per annum.

(c) The State Bank has purchased a plot of land in Ujjain from certain private parties and not from the municipality.

(d) The construction has not yet commenced.

(e) It is expected that the construction will be completed in 1970-71.

कम्पनियों पर आयकर का निर्धारण

7142. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में मेसर्स आर० अकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी, जाडवेट ट्रेडिंग कम्पनी, कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकोवारी ट्रेडिंग कम्पनी का पिछले पांच वर्षों का आयकर निर्धारण का कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना कर लगाया गया है;

(ख) क्या इन करदाता कम्पनियों ने आयकर का भुगतान कर दिया है कौर क्या उन्होंने किसी विशेष कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील की है, यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन करदाता कम्पनियों की ओर पिछले आयकर की कोई बकाया राशि है और यदि हां, तो आयकर की यह बकाया राशि कितनी है और इसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क): जादवेट ट्रेडिंग कम्पनी, कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी, तथा नानकुवरी ट्रेडिंग कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना नीचे दिये अनुसार है :

निर्धारिती का नाम	कर-निर्धारण वर्ष	लगाया गया कर
जादवेट ट्रेडिंग कम्पनी	1962-63	1,55,158 रुपये
	1963-64	1,47,000 रुपये
	1964-65, 1965-66, 1966-67	कर-निर्धारण होना बाकी है
कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी	1962-63	27,214 रुपये
	1963-64	1,57,823 रुपये
	1964-65	1,49,804 रुपये
	1965-66	1,48,332 रुपये
	1966-67	कर-निर्धारण होना बाकी है
नानकुवरी ट्रेडिंग कम्पनी	1962-63	30,254 रुपये
	1963-64	1,85,728 रुपये
	1964-65	1,35,178 रुपये
	1965-66	37,047 रुपये
	1966-67	कर-निर्धारण होना बाकी है

मेसर्स आर० आकूजी जादवेट एण्ड कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

विद्युत शक्ति में वृद्धि के लिये मध्य प्रदेश को सहायता

7143. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1968-69 में मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता देने का

है जिससे कृषि प्रयोजनों के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिये राज्य को अधिक बिजली सप्लाई की जाये;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). केन्द्रीय सहायता उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये दी जाती है जिनमें पम्पों को ऊर्जित करने के प्रति अधिक बल दिया गया हो । राज्य योजना के लिए समस्त केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर निर्णय ले लेने के पश्चात् ही मध्य प्रदेश की इन स्कीमों के लिये 1968-69 के आबंटनों पर फैसला किया जाएगा।

State Bank Facilities to Industries in M. P.

7144. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India propose to extend more facilities to Small Scale Industries in Madhya Pradesh in order to meet their financial requirements ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). The State Bank's schemes for financing of small-scale industries and for the grant of credit facilities to craftsmen and other qualified entrepreneurs desirous of setting up small industries are applicable to Madhya Pradesh to the same extent as other States. The details of the new liberalised scheme announced by the State Bank in July, 1967 for financing craftsmen and other qualified entrepreneurs are laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-865/68]**

Income-Tax Payers in Madhya Pradesh

7145. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of income-tax payers in 1966-67 and 1967-68 in East Nimar and Hoshangabad Districts of Madhya Pradesh ;

(b) the number out of them in 1966-67 and 1967-68 from whom income-tax arrears are due for three years ;

(c) the number of persons on whom wealth-tax was levied in 1966-67 and 1967-68 ;

(d) the amount of excise duty on tobacco realised in the said district during the said period ; and

(e) the amount of excise duty realised from Barhampur Tapti Mill Ltd. during 1966-67 and 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) The amounts of Central Excise duty realised from tobacco in East Nimar and Hoshangabad Districts of Madhya Pradesh during the years 1966-67 and 1967-68 are given below :

	1966-67	1967-68
East Nimar	Rs. 10,02,164	Rs. 10,11,450
Hoshangabad	Rs. 2,06,632	Rs. 2,60,137

(e) The amounts of Central Excise duty realised from Burhanpur Tapti Mills Ltd., during 1966-67 and 1967-68 are Rs. 14,39,858 and Rs. 7,52,515 respectively.

क्राउन कार्क पर उत्पादन शुल्क

7146. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक क्राउन कार्क की लागत दो पैसे होती है और उस पर लगा एक पैसा उत्पादन शुल्क उस लागत का 50 प्रतिशत बैठता है, जबकि अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होता;

(ख) क्या छोटे तथा बड़े पैमाने के कारखानों द्वारा निर्मित क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क में कोई अन्तर नहीं होता है, चाहे उनके द्वारा बनाये गये क्राउन कार्कों की किस्म अथवा मात्रा कुछ ही क्यों न हो;

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटे एककों की संस्था (टिनप्लेट फेब्रिकेटर्स एसोसियेशन) ने अभ्यावेदन किया है कि वे अधिक शुल्क का वित्तीय भार सहन नहीं कर सकते और वे अपना व्यापार बन्द करने के लिये बाध्य हो गये हैं और इस प्रकार बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो गई है; और

(घ) छोटे पेमाने के कारखानों की वित्तीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि क्राउन कार्क पर उत्पादन शुल्क की एक पैसे की दर कार्क के कारखाना-गत मूल्य के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर बैठती है। लेकिन उत्पादन शुल्क लगने योग्य ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन पर शुल्क का भार कारखाना-गत मूल्य अथवा शुल्क पूर्व थोक दामों के 50 प्रतिशत से अधिक होता है।

(ख) कार्कों पर शुल्क एक-समान दर से ही लगता है, कार्कों की किस्म चाहे कुछ भी हो अथवा उनका निर्माण चाहे बड़े चाहे छोटे कारखाने में होता हो।

(ग) और (घ) . जी, हां। दरख्वास्त में उठाये गये सभी मामलों की जांच की जा रही हैं और उसमें छोटे कारखानों की वित्त एवं प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां भी शामिल हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुदान तथा राज-सहायता

7147. **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री न० कु० सोमानी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत पर रोजगार को बढ़ा देने के लिये सरकार का विचार वांछनीय पूंजी विनियोजन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुदान तथा राज-सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . इस समय ऐसे किसी खास प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उपयुक्त दिशा में निवेश किये जाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजस्व सम्बन्धी और गैर-राजस्व सम्बन्धी विभिन्न उपाय किये हैं और इनमें विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों की, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों का नियोजन होता है, अनुदान देना भी शामिल है। सरकार इन उपायों पर लगातार विचार करती रहती है।

हरिजनों को न्यूनतम मजूरियों पर रोजगार

7148. **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यों तथा ठेकों में न्यूनतम मजूरियों पर हरिजनों को रोजगार देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक विशेषज्ञ मिस्टर थॉमस गेस्ट के साथ बातचीत

7149. **श्री नायनार :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने उर्वरक विशेषज्ञ श्री थॉमस गेस्ट के साथ हाल ही में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) वह किन-किन फर्मों के प्रतिनिधि हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मार्च, 1967 में एक मिस्टर थॉमस गेस्ट ने, जिन्हें ब्रिटिश इण्डियन डीवेलपमेंट लिमिटेड, लन्दन का निदेशक बताया जाता है, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को एक सामान्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया था कि जर्मन, डच और ब्रिटिश फर्मों का एक सार्थ-संघ भारत सरकार के सहयोग से उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना का इच्छुक है । प्रस्ताव में पूंजी ढांचा और ब्रिटिश इण्डियन डीवेलपमेंट लि० की संस्था, सार्थ-संघ के दूसरे तमाम सदस्यों के नाम, विदेशी मुद्रा के संभाव्य साधन जैसे विषयों का ब्योरा नहीं था । मिस्टर गेस्ट से इन ब्योरों को मांगा गया था और उनकी अभी तक प्रतीक्षा है ।

मैसूर राज्य सहकारी गृह-निर्माण निगम को ऋण

7150. **श्री लोबो प्रभु :** **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री नन्दकुमार सोमानी : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 967 के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिये सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक का विचार मैसूर राज्य सहकारी गृह-निर्माण निगम को ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति देने का है, क्योंकि जीवन बीमा निगम उस निगम को और ऋण देने के लिए तैयार नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो गृह-निर्माण निगमों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये कौन सा अभिकरण विनिश्चित करने का रिजर्व बैंक अथवा सरकार का विचार है; और

(ग) क्या स्टेट बैंक को गृह-निर्माण निगम की आस्तियों को गिरवी रख कर गृह-निर्माण के लिये ऋण देने की अनुमति दी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह). (क) और (ख). जब कभी निगम के प्रस्ताव रिजर्व बैंक को प्राप्त होंगे तो वह उस पर विचार करेगा ।

(ग) किसी भी अचल सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित स्वत्वाधिकार के कागजातों की जमानत पर स्टेट बैंक को उसके नियमों (स्टैच्यू) के अन्तर्गत इस प्रकार के ऋण देने की अनुमति नहीं है ।

दक्षिण कनारा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

7151. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में तथा देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितनी रोगी-शय्यायें हैं और उन पर कितना व्यय होता है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन शय्याओं पर केवल रोगी की स्थिति जानने के लिये ही औसत तीन दिन से लेकर दस दिन तक रोगी रखे जाते हैं, क्या उन पर किया जाने वाला व्यय उचित है, विशेषरूप से जब कि अन्य अस्पतालों को, जिनके वार्डों में रोगी निर्धारित से अधिक संख्या में पड़े रहते हैं, इतना व्यय करने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(ग) क्या रोगी की स्थिति जानने के लिये बनाये गये वार्डों को नियमित रूप से रोगी का उपचार करने के लिये प्रयोग में लाने हेतु उपलब्ध करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दक्षिण कनारा जिले में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 6 पलंग हैं ।

देश में 4928 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में औसतन 6 पलंग हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पलंगों के खर्च का हिसाब नहीं लगाया गया है । यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है क्योंकि इन केन्द्रों के लिए विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतनमान तथा औषधियों और खाने की व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है ।

(ख) जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध पलंग निरीक्षण और आपातकालीन पलंग हैं । इन पलंगों पर दाखिल रोगियों की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और उनकी तुरन्त चिकित्सा की जाती है जिन मामलों में विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल और ताल्लुक अस्पताल ले जाया जाता है । रोगियों को आम बीमारियों में पूरी चिकित्सा उपलब्ध करने तथा उन मामलों में जहां विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता होती है, निरीक्षण और आपातकालीन पलंगों के रूप में इन पलंगों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन पलंगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रखना वांछनीय समझा गया है, इन पलंगों से अस्पतालों का बोझ हल्का हो जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

सामान्य बीमा का प्रबन्ध व्यय

7152. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **वित्त** मंत्री सामान्य बीमा के प्रबन्ध व्यय के बारे में 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के व्यय का अनुपात 25 प्रतिशत होने के क्या विशिष्ट कारण हैं, जबकि अन्य भारतीय बीमा समवायों के व्यय का अनुपात 20.5 प्रतिशत है ;

(ख) जीवन बीमा निगम को अन्य भारतीय बीमा समवायों से 'इक्नामिक्स आफ स्केल' और जीवन बीमा के साथ सम्मिश्रण से जो अरिरिक्त लाभ होता है उसके निष्प्रभाव हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य भारतीय बीमा समवायों के कारोबार को सीमित करने वाले उपायों का विचार करने से पूर्व व्यय के अनुपात को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की स्वेच्छा पूछना

7154. **श्री नम्बियार :** **श्री एस्थोस :**
श्री अनिरुद्धन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के समय उनसे उनकी स्वेच्छा पूछी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लगाने के लिये उनकी स्वेच्छा पूछी गई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के समय उनकी स्वेच्छा न पूछी जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधिकारियों सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी अधिकारियों से जो भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में उसके प्रारम्भिक गठन की अवस्था

में भर्ती के पात्र हैं, अनुरोध किया गया है कि वे जिन-जिन राज्यों के संवर्गों में रहना चाहते हैं प्राथमिकता क्रम में उनके नाम बतला दें ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों का सृजन संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया थां । अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राष्ट्रपति केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति के लिये चाहे जो सेवा शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त करने के हेतु उनकी इच्छा जानना आवश्यक नहीं समझा गया ।

रोहतास इन्डस्ट्रीज की ओर करों की बकाया राशि

7155. **श्री नम्बियार :** **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री प० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1967 तक साहू जैन ग्रुप की रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर केन्द्रीय करों की 56 लाख रुपये की राशि बकाया थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस फर्म पर कोई अर्थ-दण्ड लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का अर्थ-दण्ड लगाया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह निश्चित रूप से पता लगाया जा चुका है कि 31-12-1967 को रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ आय कर के 73.82 लाख रुपये बकाया थे ।

(ख) वसूली के लिए बकाया रही मांग का सम्बन्ध कर-निर्धारण वर्ष 1956-57, 1957-58 तथा 1959-60 से 1963-64 तक से है ।

कर-निर्धारण वर्ष 1956-57, 1957-58, 1959-60 और 1963-64 के कर की गैर-अदायगी के लिए दण्ड लगाये गये थे ।

अपीलीय सहायक आय-कर आयुक्त द्वारा अपीलों का फैसला किए जाने तक कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1962-63 तक के लिए मांगों की वसूली रोक दी गई है । 1963-64 के लिए भी मांग की वसूली रोक दी गई है । कर-निर्धारण वर्ष 1956-57 तथा 1957-58 से सम्बन्धित मांगों की वसूली की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कर की गैर-अदायगी के लिए, 1965 से लगा कर अब तक कुल मिलाकर 3,59,623 रुपए का दण्ड लगाया जा चुका है।

(ङ) सवाल ही नहीं उठता।

ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता से करों की बकाया राशि

7156. **श्री नम्बियार :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों से ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता की ओर आय-कर तथा अन्य करों की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर से आयकर की बकाया राशि

7157. **श्री चक्रपाणि :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री अब्राहम : **श्री भगवान दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर से 31 दिसम्बर, 1967 तक केन्द्रीय करों की 35.61 लाख रुपये की राशि वसूल करनी बाकी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) यह राशि वर्षवार कब से देय है ; और

(घ) फर्म द्वारा करों की अदायगी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस बात का पता लगा लिया गया है कि 31-12-1967 को आयकर की 57,63,324 रु० की रकम वसूल होनी बाकी थी।

(ख) उपर्युक्त मांग में से 4,841 रु० वसूल हो चुके हैं। कर-निर्धारण-वर्ष 1963-64, 1964-65 और 1965-66 की कुल 33,26,797 रु० की मांगों की वसूली सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित कर दी गई। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के अधीन

जारी की गई कर-निर्धारण-वर्ष 1963-64 की अतिरिक्त अनन्तिम मांग के रूप में 19,51,274 रु० की वसूली भी उसी तरह की मांग होने के कारण स्थगित रखी गई है जिस तरह की मांग के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए गए हैं। वर्ष 1963-64 और 1964-65 की मांग के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के लगाए गए ब्याज की कुल 2,65,130 रु० की मांगों की वसूली भी स्थगित रखी गई है क्योंकि इन वर्षों की मूल मांगें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के अन्तर्गत आती हैं। 2,15,282 रु० की शेष मांग के सम्बन्ध में भी विवाद उठाया गया है और आयकर अधिकारी द्वारा उसकी वसूली स्थगित रखी गई है।

(ग)

कर-निर्धारण वर्ष	31-12-1967 को वसूली के लिये बकाया रकम रुपये	मांग जारी करने की तारीख
1956-57	1,03,084	7-10-1964
1956-57	4,841	7-2-1964
1963-64	8,73,873	20-11-1963
	87,386	8-1-1964
1963-64	19,51,274	16-6-1966
1963-64	1,05,700	20-6-1966
1963-64	49,977	14-10-1966
1964-65	17,32,769	31-12-1964
1964-65	1,09,453	14-10-1966
1965-66	6,32,769	25-1-1965
1962-63	97,564	30-3-1967
1962-63	14,634	30-3-1967
	57,63,324	

(घ) जैसा ऊपर उत्तर के भाग (ख) में स्पष्ट किया गया है, 4,841 रु० की रकम वसूल की जा चुकी है, और बाकी की रकमों की वसूली अवैध कारणों से स्थगित रखी गई है।

एडवांस इन्डयोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

7158. **श्री चक्रपाणि :** **श्री अनिरुद्धन :**

श्री वि० कु० मोडक : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विभिन्न सरकारी अभिकरणों के नाम क्या हैं, जो एडवांस

इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा विदेशी मुद्रा का उल्लंघन किये जाने के मामलों की जांच कर रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जहां तक एडवांस इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, बम्बई द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों के उल्लंघन का प्रश्न है, जांच-पड़ताल केवल एक ही सरकारी एजेन्सी अर्थात् प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है ।

भारत मिशी लिमिटेड से करों की बकाया राशि

7159. **श्री प० गोपालन :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री भगवान दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहू जैन ग्रुप की फर्म भारत मिशी लिमिटेड से केन्द्रीय करों के 35.61 लाख रुपये वसूल करने बकाया हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस फर्म पर कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस बात का पता कर लिया गया है कि 31-3-1968 को भारत निधि लिमिटेड की ओर आयकर के 35.12 लाख रुपये बकाया थे ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित बकाया कर की मांग में से 31.42 लाख रुपये की मांग के बारे में विवाद उठाया गया है तथा अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अपील का फैसला किये जाने तक उसकी वसूली रोक दी गई है। 3.70 लाख रुपये की शेष रकम के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय के सामने रिट दरख्वास्त द्वारा विवाद उठाया गया है । कर-निर्धारिती पूर्ववर्ती वर्षों की हानियों को परवर्ती वर्षों के कर-निर्धारणों में संतुलित करने के लिये हानियों को हिसाब में आगे ले जाने का दावा कर रहा था । उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर-निर्धारिती के इस दावे का समर्थन किया है तथा उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर 3.70 लाख रुपये की उक्त मांग में से लागू करने योग्य कोई मांग नहीं बची रह जायेगी ।

(ग) और (घ). चूंकि, वैध कारणों से, मांगें या तो रोक दी गई हैं अथवा वे लागू की जा सकने योग्य नहीं हैं, इसलिये अभियोजन की कार्यवाही का सवाल नहीं उठता ।

एसेक्स फार्म (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा देय कर

7160. **श्री अब्राहम :** **श्री एस्थोस :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से एसेक्स फार्म (प्राइवेट) लिमिटेड से आयकर तथा अन्य करों की कितनी राशि वसूल करनी बकाया है ; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1966, 31 मार्च, 1967 तथा 31 मार्च, 1968 को कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री आदम हाजी पीर मुहम्मद इस्साक, कलकत्ता से करों की बकाया राशि

7161. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1944 से 1950 तक अवधि की कलकत्ता के श्री आदम हाजी पीर मुहम्मद इस्साक से 119.51 लांख रुपये की केन्द्रीय करों की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार करों की बकाया राशि को बट्टे खाते डालने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । 31-3-1967 को कलकत्ता के श्री आदम हाजी पीर मोहम्मद रज्जाक से आय-कर की 119.51 लाख रुपये की रकम वसूल होनी बाकी थी ।

(ख) वसूली के लिए जिलाधीश को जारी किये गये प्रमाण-पत्रों में बकाया की सारी रकमें आ जाती हैं । निर्धारिती अक्तूबर 1947 में पाकिस्तान चला गया और निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम 1950 के अधीन उस व्यक्ति को भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न तारीखों को निष्क्रान्त-व्यक्ति घोषित किया गया । पश्चिम बंगाल को छोड़कर भिन्न-भिन्न राज्यों में निर्धारिती की 80 लाख रुपये की रकम की चल-अचल परिसम्पत्ति को निष्क्रान्त-सम्पत्ति-अभिरक्षक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया । आय-कर विभाग ने निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन नियम 1950 के नियम

22 के अधीन भिन्न-भिन्न अभिरक्षकों के पास 6-10-1954 को तृतीय पक्षीय दावे भी दायर किये गये थे । यह नियम 1956 में हटा दिया गया । निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 10(2) (एम) को भी संशोधित कर दिया गया जिसके अनुसार निष्क्रान्त-व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को देय कर्ज की अदायगी करने का अधिकार अभिरक्षकों के पास से हटा लिया गया । पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन, किसी भी अदालत द्वारा जारी की गई डिग्री अथवा आदेशों के परिपालन के रूप में अभिग्रहण से निष्क्रान्त सम्पत्ति को छूट मिली हुई है । इस प्रकार निर्धारिती की तरफ आयकर की जो रकम वसूल होनी थी, उस पेटे निर्धारिती की चल अथवा अचल परिसम्पत्ति से, निष्क्रान्त-सम्पत्ति-अभिरक्षकों से कुछ भी वसूल नहीं की जा सकी ।

लेकिन कलकत्ता के प्रमाणपत्र (वसूली) अधिकारी ने अप्रैल 1961 में कलकत्ता में निर्धारिती के दो गोदाम की बिक्री से कर पेटे 44,953 रुपए की रकम वसूल की । बिक्री से प्राप्त रकम को बकाया पेटे समायोजित कर दिया गया ।

आय-कर अधिनियम 1922 की धारा 46(5-ए) के अधीन चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक, कलकत्ता और पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किये गये थे । चार्टर्ड बैंक से 418 रुपए वसूल हुए और पश्चिम बंगाल सरकार से 41,615 रुपए की रकम वसूल हुई ।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) सवाल ही नहीं उठता ।

मद्रास में परिवार नियोजन केन्द्र

7162. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में मद्रास राज्य में कितने परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये ; और

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ तथा उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर):

(क) और (ख). मद्रास सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत कोयलरीज लिमिटेड से करों की बकाया राशि

7163. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री एस्थोस** :
श्री गणेश घोष : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक साहू जैन ग्रुप की एक फर्म भारत कोयलरीज लिमिटेड की ओर केन्द्रीय करों की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) उस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उस फर्म पर कोई अर्थदण्ड लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का अर्थदण्ड लगाया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आय-कर के 11.86 लाख रुपये ।

(ख) कर की अदायगी नहीं करने के कारण 2.70 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया । कर-निर्धारणों के बारे में, न्यायाधिकरण के सामने अपील की गई है । कर-निर्धारिती को कहा गया था कि वह जनवरी, फरवरी और मार्च, 1968 में हर महीने 1.25 लाख रुपये की किस्त अदा कर दें, और बाकी की रकम की वसूली, न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर फैसला होने तक स्थगित कर दी गई है । कर-निर्धारिती ने उपर्युक्त तीनों किस्तें अदा कर दी हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) 2.70 लाख रुपये ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्पनियों द्वारा देय आयकर

7164. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों (1) अलीपुर होल्डिग प्राइवेट लिमिटेड (2) बाघमारी टी कम्पनी लिमिटेड (3) बंगाल जूट मिल कम्पनी लिमिटेड (4) बम्बई गैस कम्पनी (5) एशियाटिक आक्सिजन एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड (6) एम्पोर जूट कम्पनी लिमिटेड (7) हावड़ा ट्रेडिंग कम्पनी (पी०) (8) श्री गोपाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (9) टाइरूम टी कम्पनी लिमिटेड (10) अहमदपुर काटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड (11) एशियाटिक आक्सिजन लिमिटेड (12) कलकत्ता गैस कम्पनी लिमिटेड (13) केनेनपोर्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड की ओर 31 मार्च, 1968 को आय कर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इन कम्पनियों का किन-किन वर्षों का आयकर निर्धारण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कुछ कम्पनियों द्वारा आयकर का अपवंचन

7165. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) एशियाटिक आक्सिजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड, (दो) बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड तथा (तीन) एशियाटिक आक्सिजन लिमिटेड द्वारा आयकर तथा अन्य करों की बड़ी भारी राशि के अपवंचन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का कर अपवंचन किया गया है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल में सिनेमाघरों के मालिकों द्वारा देय आयकर

7166. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में सिनेमाघरों के मालिकों के विरुद्ध 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के लिए आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

विदेशी औषध निर्माण कम्पनियां

7167. **श्री चक्रपाणि** : **श्री प० गोपालन** :
श्री अ० क० गोपालन : **श्री पी० राममूर्ति** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी औषध निर्माण कम्पनियों को उनके आवेदन-पत्र लाइसेंस समिति को निर्दिष्ट किए बिना 1967 में लाइसेंस दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, वे किन-किन औषधियों का निर्माण करेंगी और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) ये मामले लाइसेंस समिति को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि उसी औषधि का निर्माण किन्हीं भारतीय औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा किया जा सकता था ; और

(ङ) यदि हां, तो लाइसेंस देने में किन्हीं विदेशी कम्पनियों को अधिमान देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां। कुछ मामलों में, भारत में पंजीकृत फर्मों को, जिनके पास विदेशी पूंजी है, लाइसेंस दिये गये थे।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-866/68**]

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, लाइसेंस समिति को पूर्व निर्दिष्ट किये बिना, परिवर्तन या नये पदार्थों के निर्माण के लिये उत्पादन के विस्तार के लिये आवेदन-पत्रों पर, सरकार लाइसेंस दे सकती है, बशर्ते कि इसमें तकनीकी आधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो, और बशर्ते कि कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा न लगे।

(घ) और पूछताछ किये बिना, इस प्रश्न का ऐसे ही उत्तर नहीं दिया जा सकता। भारतीय औषध निर्माण फर्मों से, जिनके पास विदेशी पूंजी नहीं है, प्राप्त आवेदन-पत्रों पर भाग (ग) में बताई गई पद्धति और पालिसी के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

7168. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत निजी मकानों का विवाद चल रहा है और किरायेदार तथा मालिक मकान के खराब सम्बन्धों के कारण जो कि दिल्ली किराया अधिनियम और गन्दी बस्तियां हटाओ अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप बताये जाते थे, दिल्ली में इतने मकान खाली पड़े हैं जिनमें लगभग तीन लाख लोग रह सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपलब्ध आवास का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ग) क्या किरायेदार तथा मालिक मकान के सम्बन्धों को सुधारने के लिये उपरोक्त अधिनियमों में यदि कोई संशोधन करने का विचार है तो वे क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार के नोटिस में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई।

(ग) दिल्ली रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1958

दिल्ली रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1958 में संशोधन करने के लिए राज्य-सभा में प्रस्तावित निजी सदस्य के बिल को संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।

स्लम क्लीयरेन्स ऐक्ट

स्लम एरियाज (इम्प्रूवमैन्ट एण्ड क्लीयरेंस) एक्ट 1956 में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

विदेशी ऋण के बारे में छूट

7169. **श्री क० नारायण राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को इस वर्ष विदेशी ऋण के बारे में कुछ छूट दी गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की छूट दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1967-68 में मिली ऋण-सम्बन्धी राहत का एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-867/68**] 1968-69 के सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं किया गया है।

Sales Tax Officers in Uttar Pradesh

7170. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sales Tax Department in Uttar Pradesh has been functioning for the last 20 years, but the service rules in respect of Sales Tax Officers have not been framed so far ;

(b) whether it is also a fact that irregularities are committed in the matter of confirmation of the officers in the absence of the said rules ;

(c) if so, the reasons for which the service rules have not been framed so far ;

(d) the number of officiating Sales Tax Officers and of those selected by the Public Service Commission, who were confirmed during the last three years, separately ; and

(e) whether the Sales Tax Officers selected by the Public Service Commission have not been confirmed according to the proportion fixed for the same ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The question of framing the Service Rules is under the consideration of the State Public Service Commission. Pending finalisation of these Rules, officers have been confirmed, with the approval of the Public Service Commission, strictly in accordance with the principles laid down by the State Government in consultation with the Commission and no irregularity has been committed in this matter.

(d) Four officiating Sales Tax Officers and six Sales Tax Officers directly selected by the Public Service Commission were confirmed during the last three years.

(e) Two-thirds of the permanent vacancies are to be filled up by officers selected by the Public Service Commission. Some of the Sales Tax Officers selected by the Public Service Commission have been confirmed against these vacancies while the question of confirmation of others against available vacancies is under consideration of the State Government.

पारी से पहले क्वार्टरों का आवंटन

7171. **श्री राम चरण :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 481 क्वार्टरों में से कितने क्वार्टरों का संसद् सदस्यों की सिफारिशों पर पारी से पहले आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार संसद् सदस्यों की सिफारिशों पर पारी से पहले क्वार्टरों का आवंटन करने की प्रथा को समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1.35

(ख) और (ग). बगैर बारी के वास के आवंटन के लिए संसद् सदस्यों की सिफारिशों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवंटन नियमावली में बगैर बारी के आधार पर वास के आवंटन करने के लिए व्यवस्था है। सरकार ने पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं कि सरकारी अधिकारी अपने आवेदन अपने-अपने विभाग के अध्यक्षों की मारफत निर्धारित प्रकार से प्रवर्तित करें।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

7172. **श्री राम चरण :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय में तृतीय श्रेणी संवर्ग तथा निसंवर्ग कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता अभी निर्धारित कोटे से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए नई खाली जगहों के क्रमशः 12.5% तथा 5% का आरक्षण करने के आदेश 1951 में जारी किए गए थे। समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय, जिसमें इस समय 173 तृतीय श्रेणी पद हैं, 1951 में आदेश जारी किये जाने से बहुत पहले स्थापित किया गया था।

81 पद 1951 से पहले भरे गए थे तथा स्थानान्तरण ब्यूरो और रोजगार कार्यालयों के जरिए विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। शेष 92 पदों पर भर्ती 1951 के बाद की गई थी ; 11 खाली जगहें (12%) अनुसूचित जातियों द्वारा भरी गई थीं, जिनमें से 4 निदेशालय को छोड़ चुके हैं। कोई आदिम जातीय उम्मीदवार नियुक्त नहीं किया गया था।

जैसे और जब नई खाली जगहें निकलेंगी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को आरक्षण आदेशों के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता रहेगा।

Foreign Loans

7173. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans likely to be received by Government from U. S. A., U. K., Canada, U. S. S. R., East Germany and Australia during the financial year 1968-69 for the development works in India ;

(b) the rate of interest on these loans ; and the minimum terms for repayment of these loans ; and

(c) the forms in which loans would be received ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) U. S. A., U. K. and Canada are members of the Aid-India Consortium and the amount of aid likely to be received from these countries during 1968-69 will be known only after the next Consortium Meeting.

An agreement for a credit of Rs, 250 crores was signed with U. S. S. R. on 10-12-1966. No further credit is expected during 1968-69 from U. S. S. R.

As regards East Germany, no loan is likely to be received during 1968-69.

Australian aid to India has, so far, been in the form of grants. There is no current proposal for a loan from Australia during 1968-69.

(b) and (c). The rate of interest and other terms will be decided when the bilateral loan agreements are signed.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

7174. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने विकासशील देशों का कोटा बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से प्रार्थना की है, जिससे कि ये देश धन लेने सम्बन्धी विशेष अधिकारों का समान रूप से लाभ उठा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने इस प्रार्थना पर विचार किया है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ऋण परिषद

7175. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ऋण परिषद् की हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राष्ट्रीय ऋण परिषद् की पहली बैठक 16 मार्च, 1968 को बम्बई में हुई थी ।

(ख) चूंकि यह परिषद् की पहली बैठक थी, इसलिये इसमें सामान्य प्रकार की चर्चा हुई और कोई पक्की सिफारिश नहीं की गयी । ऋण-आयोजन से सम्बन्धित विशिष्ट प्रश्नों का अध्ययन करने और परिषद की अगली बैठक में उसके विचारार्थ ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिये, परिषद ने एक स्थायी समिति नियुक्त की है, जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Social Organisations

7176. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5864 on the 1st April, 1968 and state :

(a) whether annual reports of the Social Welfare Organisations have been received by Government ;

(b) if so, whether the details thereof would be laid on the Table ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Latest annual reports of the voluntary social welfare organisations to whom grants have been given have not been received.

(b) The details of the annual reports of these non-official organisations are not laid on the Table of the House.

Vishwayatan Yoga Ashram, New Delhi

7178. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 2577 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that Vishwayatan Yoga Ashram, Delhi had also been allotted a bungalow at Jantar Mantar Road sometime back ;

(b) if so, the rent fixed for that bungalow ; and

(c) the amount of rent realised from the said Ashram ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes. The said bungalow was got vacated on the 2nd April, 1965.

(b) and (c). The full amount due from the Ashram towards the rent of the said bungalow has been realised. The rate of rent charged for different period is as under :

Period	Rate of rent per month
25-2-58 to 30-6-58	Rs. 421.24
1-7-58 to 31-3-60	Rs. 432.37
1-4-60 to 31-3-61	Rs. 438.88
1-4-61 to 31-3-62	Rs. 449.86
1-4-62 to 30-11-62	Rs. 472.85
1-12-62 to 2-4-65	Rs. 944.50

Allotment to Vishwayatan Yoga Ashram, New Delhi

7179. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2577 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that 60 families resided in the Chummery Block at Alaxendra Place, New Delhi, which has been allotted to Vishwayatan Yoga Ashram ;

(b) whether it is also a fact that Government have let out the said Chummery Block to these families, which is, in fact ; allotted in the names of the girls working in various Government offices ; and

(c) if so, the propriety of getting the said Chummery block vacated by them now and letting it out to some other persons or disposing it of, under the Rent Control Act ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). In Block I of unorthodox chummeries at Alaxendra Place, there are 14 chummeries of types III and II, which stand allotted to the eligible lady employees working in various Government offices. The land under these chummeries together with some adjacent land, being ear-marked for educational institutions in the zonal Plan of the area, has been allotted to Vishwayatan Yoga Ashram, which has been certified to be an educational institution, by the Ministry of Education.

(c) Accommodation allotted to Government employees from the general pool does not attract the provisions of the Rent Control Act as the allotment is made under Supplementary Rules framed under Fundamental Rule 45.

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशियां

7180. **श्री स० कुण्डू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशियों को लौटाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को लौटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1963 में लागू की गई इस योजना के अन्तर्गत जमा राशि को किस तारीख को लौटाने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से जमा की गयी रकमों को, उस वर्ष की समाप्ति से, जिस वर्ष ये रकमें जमा की गयी हों, पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, ब्याज समेत किसी भी समय वापस किया जा सकता है। इसलिये, 1963-64 में जमा की गयी रकमें, 31 मार्च, 1969 के बाद वापस की जा सकेंगी। उस जमा-कार्यालय में, जहां अनिवार्य जमा का खाता खुला हुआ हो, पास-बुक के साथ, एक निर्धारित प्रपत्र पर (जो सभी जमा-कार्यालयों में मिलता है) आवेदन प्रस्तुत करके, पहली अप्रैल, 1969, को या उसके बाद, रकम की वापसी की मांग की जा सकती है।

पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों की उत्पादन लागत

7181. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक पोस्ट कार्ड और एक अन्तर्देशीय पत्र की उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) क्या मुद्रण सामग्री के वर्तमान मूल्य सूचकांक को देखते हुए उत्पादन लागत बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन लागत के अधिक होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों (इनलैंड लेटर) की मौजूदा उत्पादन लागत इस प्रकार आंकी गयी है :

पोस्ट कार्ड : 4.50 रुपया प्रति 500 इकहरे पोस्ट कार्ड और 9.00 प्रति 500 जवाबी पोस्ट कार्ड

अन्तर्देशीय पत्र : 16.70 रुपया प्रति 1,000 अन्तर्देशीय पत्र

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जीवन बीमा निगम की 'अपना मकान बनाओ' योजना

7182. **श्री मेघ चन्द्र** :

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 'अपना मकान बनाओ' योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों, निगमों तथा उद्योगों को पृथक-पृथक वर्ष वार अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) अब तक कम से कम तथा अधिक से अधिक कितना ऋण दिया गया है ; और

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से नगर, कस्बे तथा संघ राज्य क्षेत्र आते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 'अपना घर बनाओं' योजना के अन्तर्गत ऋण केवल व्यक्तियों को दिये जाते हैं, राज्य सरकारों, निगमों तथा कम्पनियों को नहीं ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपये और अधिक से अधिक एक लाख रुपये का ऋण मिल सकता है । निगम द्वारा स्वीकृत आवास सम्बन्धी योजना अथवा पहले से वर्तमान घर को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए जो ऋण मिल सकता है उसकी न्यूनतम सीमा 7,500 रुपए है ।

(ग) चण्डीगढ़

दिल्ली और

गोआ (पंजिम, मारगाव, मैपूका तथा वास्को-डि-गामा) ।

कलाकारों का चयन करने वाली समिति

7183. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में कोई समिति है जो सरकारी इमारतों पर मूर्तियां, भित्ति चित्र आदि अंकित करने के लिए कलाकारों का चयन करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस समिति का गठन किस नियम अथवा विधान के अन्तर्गत किया गया है ;

(ग) इस समिति ने सजावट के लिए कुल कितनी और कौन-कौन सी इमारत की सिफारिश की है और इमारतों की सजावट पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ; और

(घ) सजावट के प्रयोजनार्थ इमारत का चयन करने के लिए समिति के मार्ग-दर्शन के लिए बनाए गए नियमों का ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां । इस समय कार्य कर रही समिति का गठन 1963 में हुआ था ।

(ख) मन्त्रालय के द्वारा समिति का गठन एक सलाहकार के रूप में किया गया है। समिति के सदस्य हैं :

1. सचिव, निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय (निर्माण तथा आवास विभाग)	अध्यक्ष
2. श्री ए० एन० झा, उप-राज्यपाल, दिल्ली	सदस्य
3. डा० मुल्क राज आनन्द,	सदस्य
4. डा० एम० एस० रन्धावा, मुख्य प्रशासक, चण्डीगढ़।	सदस्य
5. अवर सचिव (निर्माण), निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय (निर्माण तथा आवास विभाग)	सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त, जब किसी भवन की सजावट के प्रस्ताव पर समिति विचार करती है तो किसी विशेष भवन की डिजाइन के लिए वरिष्ठ वास्तुक को भी सदस्य के रूप में सहयोजित कर लिया जाता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) विभिन्न उपभोगी मंत्रालय सजाए जाने वाले भवनों का सुझाव देते हैं तथा तब वे सुझाव समिति को भेज दिये जाते हैं।

विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में चौकीदार

7184. **श्री अ० दीपा :** **श्री अजमल खां :**
श्री दे० अमात : **श्री प्र० के० देव :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विट्ठल भाई पटेल हाउस के चौकीदारों के काम के घंटे क्या हैं;

(ख) क्या अधिक घंटे काम करने के बारे में उनसे कोई शिकायतें प्राप्त हुयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) प्रतिदिन 12 काम के घंटों के साथ एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी। काम इस प्रकार है कि इसमें खाली बैठने का समय शामिल रहता है।

(ख) जी नहीं। किन्तु अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले कुछ चौकीदारों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान

7185. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 मार्च, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में भारतीय चलचित्र निर्माता संघ का वक्तव्य पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि प्रमुख अभिनेता, अभिनेत्रियां तथा संगीत निदेशक बहुत अधिक फीस मांगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रमुख अभिनेताओं, अभिनेत्रियों तथा संगीत निदेशकों पर आयकर का निर्धारण निर्माताओं द्वारा उन्हें दी गई वास्तविक राशि पर किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों तथा संगीत निर्देशक जिस रकम की आमदनी बताते हैं तथा निर्माता जिस रकम की अदायगी बताते हैं, उन रकमों के आधार पर उक्त लोगों का कर-निर्धारण किया जाता है । जब भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि दिखायी गयी रकम के अलावा कुछ अतिरिक्त रकम कलाकार को मिली है, तो इन अतिरिक्त रकमों के संबंध में भी कर-निर्धारण किया जाता है ।

दिल्ली के इर्द-गिर्द उपनगरों का विकास

7187. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5240 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की क्रियान्विति के लिये कानूनी निकाय इस बीच गठित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक गठित होने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) जहां तक विभिन्न गैर-सरकारी बस्तियों का संबंध है, हरयाना तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के अधीन राज्य क्षेत्रों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उसका कृत्य तथा क्षेत्राधिकार क्या होगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) अभी नहीं ।

(ख) वैधानिक निकाय का गठन, इस विषय में संबंधित राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है ।

(ग) वैधानिक निकाय के कृत्य तथा क्षेत्राधिकार का निर्णय तभी किया जायगा जब इसका गठन हो जायेगा ।

आसाम में बिजली की दरें

7181. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में सामान्य तथा औद्योगिक दोनों ही प्रयोजनों के लिये बिजली की दरें सबसे अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). यह सत्य नहीं है कि असम में बिजली की दरें सबसे ज्यादा हैं। असम में घरों में रोशनी के लिये दी जा रही बिजली और पावर की औसतन दरें राजस्थान और उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र) में लागू दरों से कम हैं। इसी प्रकार राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अपेक्षा असम में व्यापार संबंधी कामों के लिये दी जा रही बिजली की दरें भी कम हैं। कृषि कार्यों के लिये गुजरात और उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र) में लागू बिजली की दरें असम में लागू दरों की अपेक्षा अधिक हैं। लघु उद्योगों के लिये पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अन्य उद्योगों के लिये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में लागू बिजली की दरें असम में लागू दरों की अपेक्षा अधिक हैं।

आसाम में फर्मों द्वारा आय-कर का भुगतान

7189. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कारोबार करने वाली कितनी फर्में आसाम से बाहर अर्थात् कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में आय-कर देती हैं;

(ख) 1966-67 में ऐसी फर्मों द्वारा कुल कितना आय-कर दिया गया; और

(ग) उन राज्यों को जिनमें उक्त अवधि में आयकर का भुगतान किया गया उक्त राशि में से कितने प्रतिशत राशि प्राप्त हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने में लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप परिणाम नहीं होंगे।

राज्यों के लिये सिंचाई की सुविधायें

7190. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अब तक कुल कितनी लम्बी नहरें खोदी गई हैं उनसे राज्यवार कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

राज्य का नाम	नहरों की लम्बाई (मील)
आन्ध्र प्रदेश	12,367
बिहार	3,237
गुजरात	3,118
जम्मू व काश्मीर	1,027
केरल	749
मध्य प्रदेश	2,729
मद्रास	9,646
महाराष्ट्र	4,254
मैसूर	4,548
उड़ीसा	3,887
पंजाब व हरियाणा	13,831
राजस्थान	3,428
उत्तर प्रदेश	27,639
पश्चिम बंगाल	1,642

Income-Tax Office in Tonk, Rajasthan

7191. **Shri Jamna Lal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government Employees and traders of the District Tonk, Rajasthan have to incur heavy expenses and face inconvenience when they go to Jaipur for depositing income-tax ; and

(b) if so, whether Government propose to open a Branch of the Income-Tax Office in the said District and make arrangements for the collection of income-tax therein ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) According to the normal practice payment on the income-tax challans issued to the assessees, can be made at any Treasury or office of the State Bank of Bikaner and Jaipur, in Rajasthan. Thus, assessees, whether Government employees or traders in District Tonk can deposit their income-tax dues at any station where the treasury or office of the said Bank is situated. The question of assessees incurring heavy expenses and facing inconvenience in going to Jaipur for depositing income-tax dues does not arise.

(b) Does not arise.

कांडला में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना

7192. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जा रहे सरकारी उर्वरक कारखाने की कुल

प्रारम्भिक पूंजी तथा उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ख) इस कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) कांडला में सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने की लागत का अनुमान 89.25 करोड़ रुपये है, जिसमें से 38.17 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे। परन्तु इस अनुमान का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 215,000 मीटरी टन नाइट्रोजन, 127,000 मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ और 66,000 मीटरी टन $के_2$ ओ होगी।

(ख) 1971-72 तक।

औषधियों की धातु निर्मित शीशियों पर चिह्न

7193. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आजकल दवाइयां अक्सर ऐसी धातु निर्मित शीशियों में बेची जाती हैं जिन पर दवाई का नुस्खा, नाम, ब्रांड तथा क्षमता का कोई संकेत नहीं होता है;

(ख) क्या विधि के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है;

(ग) क्या इससे दवाइयों के पैकिंग तथा विपणन सम्बन्धी सुरक्षा विनियमों का पालन हो जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रथा को रोकने तथा सभी औषध निर्माताओं को पैकिंग पर दवाई का नुस्खा साफ-साफ लिखने के लिये बाध्य करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय औषध निर्माता धातु की शीशियों पर औषधि का नाम, निर्माता का नाम आदि जैसा विवरण नहीं दे रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों से जो औषध के निर्माण तथा विक्रय के संबंध में औषध तथा अंगराग नियमों के प्रावधानों को लागू करते हैं, कह दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि कागज के पत्तों में बन्द टिकियाओं/धातु की शीशियों अथवा सेलोफेन पेपर में बन्द कैप्सूलों पर इन नियमों के अधीन अपेक्षित विवरण अवश्य दिये जायें।

Sale of Fertilizers

7194. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the firms in the District of Bulandshahar (U.P.) from whom applications for the sale of fertilizers have been received by the Fertilizer Corporation and the names of firms who were allotted quota during the last two years ; and

(b) the basis on which the said quotas were allotted ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भेषज जाँच समिति

7196. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1954 में औषध-निर्माताओं की श्रेणी के वेतन ढांचे की जांच पड़ताल करने तथा उस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये मेजर जनरल जी० एल० भाटिया की अध्यक्षता में एक भेषज-जांच समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समिति ने 80-220 (पी) रुपये तथा 150-10-304 द० अ०-14-450 (पी) रुपये के वेतनमानों की सिफारिश की थी;

(ग) क्या उपरोक्त सब सिफारिशें भारतीय केन्द्रीय औषध-निर्माण परिषद् के तत्कालीन प्रधान द्वारा पूर्णतया स्वीकार कर ली गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) भेषज उद्योग के काम के बारे में सम्पूर्ण जांच करने तथा भारत सरकार को इस उद्योग की ठोस आधार पर स्थापना करने के बारे में सुझाव देने के हेतु मेजर जनरल जी० एल० भाटिया की अध्यक्षता में एक भेषज जांच समिति 1953 में नियुक्ति की गई थी ।

(ख) समिति ने फार्मेसिस्टों के लिये 80-5-120 द.रो-8-200-10/2-220 रुपये के एक न्यूनतम वेतनमान तथा 160-10-300-द रो-15-450 रुपए के एक सेलेक्शन ग्रेड की सिफारिश की थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) केन्द्रीय सरकार की डिस्पेन्सरियों में काम करने वाले फार्मेसिस्टों का वेतनमान 1 जुलाई, 1959 से द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर संशोधित करके 130-5-175-द रो-6-205-7-212-द. रो-7-240 रुपये किया जा चुका है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में सेलेक्शन ग्रेड फार्मेसिस्टों का वेतनमान 205-7-240-8-280 रुपये है ।

हाइपरटेन्शन के लिये नई दवाई 'एपोक्लोरिन'

7197. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उजबेकिस्तान के एक वैज्ञानिक ने हाइपरटेंशन के लिये वनस्पतियों से 'एपोक्लोरिन' नामक एक नई दवाई तैयार की है;

(ख) जिस वनस्पति से यह दवाई तैयार की गई है, क्या भारत के किसी भाग में उसे उगाया जायेगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अभिकरण है जो विश्व भर में तैयार की गई नई दवाइयों की जानकारी रखता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई केन्द्रीय एजेन्सी नहीं है जो सारे संसार में बनने वाली औषधियों की जानकारी रखे । तथापि संसार के बहुत से भागों में तैयार होने वाली नई औषधियों संबंधी सूचना विशेष भारतीय और विदेशी भेषजीय एवं चिकित्सीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, जिन्हें सरकार मंगवा लेती है ।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

7198. **श्री देवेन सेन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 217 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के गलत रेखाबन्धन का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के काम के सम्बन्ध में सतर्कता आयोग ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) क्या प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

रामाकृष्णापुरम् (नई दिल्ली) में आयुर्वेदिक औषधालय

7199. **श्री रवि राय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामाकृष्णापुरम्, मोती बाग तथा नानकपुरा की

घनी आबादी वाली सरकारी बस्तियों के बहुमंजिले फ्लेटों के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक मील के व्यास में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रामाकृष्णापुरम् के बहुमंजिल फ्लेटों अथवा उनके निकट किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का दूसरा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आयुर्वेदीय औषधालय की व्यवस्था करना एक अतिरिक्त सुविधा है जो सभी क्षेत्रों में अलग-अलग उपलब्ध नहीं की जा सकती ।

सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें

7200. **श्री नारायण राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वत: पूरी की गई/आरम्भ की गई सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें कौन-कौन सी हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) ऐसी परियोजनाओं को किस आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने संबद्ध राज्य सरकारों की ओर से गुजरात की कक्रापार सिंचाई स्कीम और उड़ीसा की हीराकुड बहुउद्देश्यीय परियोजना की कार्यान्विति की थी । इसके अतिरिक्त दिल्ली में बदरपुर ताप बिजली परियोजना केन्द्रीय स्कीम के रूप में हाथ में ली गई है; इस परियोजना पर निर्माण कार्य 1967-68 में आरम्भ किया गया था । तीनों परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया जाता है ।

	परियोजना का नाम	अनुमित लागत (करोड़ रुपये)	लाभ	रिमार्क्स
1.	कक्रापार परियोजना	18.57	5.6 एकड़ (कुल सिंचाई शक्यता)	प्रशासनिक नियंत्रण 1.6.54 को भूतपूर्व बम्बई सरकार को दे दिया गया था ।

	परियोजना का नाम	अनुमति लागत (करोड़ रुपए)	लाभ	रिमार्क्स
2.	हीराकुड बांध परियोजना (चरण-1)	67.82	6.3 लाख एकड़ (कुल सिंचाई शक्यता) 123 मै०वाट (प्रतिष्ठापित क्षमता)	हीराकुड परियोजना उड़ीसा सरकार को 1-4-60 को सौंप दी गई थी ।
3.	बरदपुर ताप बिजली परियोजना	40.00	300 मै० वाट (प्रतिष्ठापित क्षमता)	निर्माणाधीन

(ख) **हीराकुड परियोजना**

इस बात का ध्यान करते हुए कि उस समय उड़ीसा सरकार के पास इतने बड़े आकार की परियोजना की कार्यान्विति करने के लिये एक सीमित तकनीकी संस्था थी, सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना को कार्यान्वित कर दिया ।

कक्रापार परियोजना

चूंकि इस परियोजना का अनुसंधान व अभिकल्पन कार्य केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किया गया था इसलिये भूतपूर्व बम्बई सरकार की विशिष्ट प्रार्थना पर इस परियोजना की कार्यान्विति आयोग के जरिये सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा की गई थी ।

बदरपुर ताप बिजली परियोजना

उत्तरी क्षेत्र में बिजली के अधिकाधिक विकास को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि मुख्यत: दिल्ली संघीय प्रदेश को इससे लाभ होगा, इस परियोजना को सिंचाई व बिजली मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है ।

परियोजनाएं मंजूर करने के लिये तकनीकी तथा वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

7201. **श्री रा० बरुआ :**
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में यह सुझाव दिये हैं कि केन्द्रीय सरकार को अपनी तकनीकी तथा वित्तीय-शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये ताकि राज्य अपने क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनायें मंजूर कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में कितने रुपये तक की परियोजनायें मंजूर कर सकती हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) राज्य सरकारों को उनकी आयोजनाओं में सम्मिलित प्रायोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी देने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि भारत सरकार कुछ प्रकार की प्रायोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में स्वीकृति प्रदान कर दे । इस समय, निम्न प्रकार की प्रायोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र की पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी होती है ।

(1) **सिंचाई** : 3 करोड़ रुपये के खर्च और इससे ज्यादा खर्च की प्रायोजनाएं ।

(2) **बाढ़-नियंत्रण और जल-निकासी** : एक करोड़ रुपये के खर्च की प्रायोजनाएं (तथा 25 लाख रुपये के खर्च या इससे ज्यादा खर्च की ऐसी प्रायोजनाएं भी जिनका अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो) ।

(3) **बिजली** : बिजली पैदा करने की योजनाएं और 33 किलोवोल्ट की या उससे ज्यादा की बिजली के प्रेषण की योजनाएं ।

(4) **जलपूर्ति** : 5 लाख रुपये के खर्च और उससे ज्यादा खर्च की ग्राम जलपूर्ति योजनाएं और दस लाख रुपये के खर्च और उससे ज्यादा खर्च की नगर-जलपूर्ति योजनाएं ।

(5) **अन्य** : 5 करोड़ रुपये के खर्च और उससे ज्यादा खर्च की प्रायोजनाएं ।

आयकर अधिकारियों का स्थानान्तरण

7202. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रवि राय :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बृजभूषण लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन वर्ष अथवा अधिक की सेवा पूरी करने वाले केन्द्रीय आयकर अधिकारियों को (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के बारे में नियम बनाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में उपरोक्त वर्ग के कुछ आयकर अधिकारियों को बहुत लम्बी अवधि से स्थानान्तरित नहीं किया गया है और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उनका स्थानान्तरण किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसे 6 आयकर अधिकारी हैं जो बम्बई (केन्द्रीय कार्यक्षेत्र) में तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

गन्धक के तेजाब का कारखाना, सिन्दरी

7203. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :

श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंदरी में गन्धक के तेजाब का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम तथा बल्गारिया की टेक्नो-एक्सपोर्ट कम्पनी के बीच करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इस कारखाने पर कितनी लागत आने का अनुमान है और प्रत्येक देश कितने प्रतिशत लागत वहन करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां ।

(ख) सन्यन्त्र की क्षमता प्रति दिन 880 मीटरी टन है ।

(ग) सन्यन्त्र की कुल अनुमानित निर्माण लागत 633.18 लाख रुपये है । भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा किये गये ठेके के अनुसार मेसर्स टेकनो-एक्सपोर्ट को उपकरणों, सहायक-पुर्जों, फालतू-पुर्जों, लाइसेन्स एवं तकनीकी जानकारी-शुल्क तथा अन्य सेवाओं की सप्लाई के लिए 216.15 लाख रुपये अदा करने पड़ेंगे । भारत और बल्गारिया के बीच हुए ट्रेड और पेमैण्टस् एग्रीमेण्ट (व्यापार और अदायगी करार) के अन्तर्गत मूल्यों को अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये-मुद्रा में अदा करना है ।

मनीपुर में मध्यम आकार की सिंचाई योजनायें

7204. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिये अब तक भजी गई मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक किन-किन योजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनको अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है और जो विचाराधीन पड़ी हैं; और

(घ) अनिर्णीत पड़ी योजनाओं की मंजूरी अभी तक नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मणिपुर सरकार से अभी तक कोई मध्यम सिंचाई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चिटफंड कम्पनियों को विदेशों में अपनी शाखायें खोलने की अनुमति

7205. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चिट फण्ड कम्पनियों ने विदेशों में अपनी शाखायें खोलने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य-संचालन को विनियमित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत नौ बड़े देशों द्वारा धन निकालने के विशेष अधिकार

7206. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ बड़े औद्योगिक देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से धन निकालने के विशेष अधिकार लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की 1967 की वार्षिक बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जिसमें निधि के सदस्यों द्वारा विशेष निकासी अधिकारों की सुविधा की स्थापना करने की मंजूरी दी गयी थी । प्रस्ताव में निधि के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि वह इस सुविधा की स्थापना का काम शुरू करें । इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं । उन दस औद्योगिक देशों के, जिन्हें दस का समूह (ग्रुप आफ टेन) कहा जाता है, मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक 29 और 30 मार्च, 1968 को स्टाकहोम में हुई थी और वहां पर उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष निकासी अधिकारों की स्थापना के प्रस्तावों के प्रारूपों पर और इस योजना से सम्बन्धित निधि के करार पत्र के प्रस्तावित संशोधनों पर

विचार-विमर्श किया था। समाचार है कि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय किये गये हैं; एक प्रतिनिधिमंडल ने अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की।

(ख) सरकार ने विशेष निकासी अधिकारों की सुविधा की स्थापना करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है क्योंकि विशेष निकासी अधिकारों के रूप में अतिरिक्त प्रारक्षित निधियों के निर्माण से अपेक्षाकृत धनी देशों द्वारा व्यापार और सहायता सम्बन्धी अधिक उदार नीतियां अपनाये जाने में सहायता मिलने की सम्भावना है। इस प्रस्ताव के ब्योरे को कार्यकारी निदेशकों के और गवर्नरों के बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा। इस सम्बन्ध में होने वाली अन्य घटनाओं पर ध्यानपूर्वक नजर रखी जायगी।

आयकर अधिकारियों की भरती की परीक्षा का परिणाम

7207. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने आय-कर अधिकारियों के पद भरने के लिये ली गई परीक्षा का परिणाम प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को भेज दिया था परन्तु उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने उस परिणाम को इस बीच वापिस ले लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परिणाम के अन्तिम रूप से कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लिखित परीक्षा का परिणाम संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा पत्र सूचना कार्यालय को दे दिया गया था परन्तु समाचार-पत्रों ने उसे प्रकाशित नहीं किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आशा है कि इन्टरव्यू अगले महीने शुरू हो जायेंगे। इन्टरव्यू समाप्त होने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम संकलित और घोषित किया जायगा।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक दर का घटाया जाना

7208. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वाणिज्यिक बैंकों के बैंकिंग संघ ने सभी सावधि जमाराशियों पर बैंक दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या इस कार्यवाही से पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्य बैंकों के पास 91 दिन से अधिक अवधि के लिए जमा की जाने वाली मीयादी जमा रकमों के ब्याज की दर, 7 मार्च, 1968 से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत घटा दी है ।

(ख) जमा रकमों के ब्याज की दर कम होने से पूंजी-निर्माण पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, किन्तु बैंक दर में कमी होने के कारण ऋण सुलभ होने से उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और इसके फलस्वरूप आय, बचत और पूंजी-निर्माण में वृद्धि होगी ।

कलकत्ता बिजली संभरण निगम

7209. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बिजली संभरण निगम दरों में वृद्धि के लिये जोर डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता बिजली संभरण निगम लिमिटेड को किन दरों पर बिजली (पावर) बेची जाती है;

(घ) कलकत्ता बिजली संभरण लिमिटेड उपभोक्ताओं को किन दरों पर बिजली (पावर) की सप्लाई करता है; और

(ङ) कलकत्ता बिजली सभरण निगम लिमिटेड ने भारत में बैंकों तथा अन्य स्रोतों से कुल कितना ऋण लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार को दरों में वृद्धि के प्रति कलकत्ता बिजली संभरण निगम से कोई पत्र नहीं मिला है । कलकत्ता बिजली संभरण निगम ने राज्य सरकार को अथवा राज्य बिजली बोर्ड को बिजली की दरों में वृद्धि से सम्बन्धित बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 की धारा 57 और छठी अनुसूची के अधीन अपेक्षित कोई नोटिस नहीं दिया है ।

(ग) कलकत्ता बिजली संभरण निगम, दामोदर घाटी निगम से लगभग 5 पैसे प्रति यूनिट की दर पर लगभग 100 मैगावाट बिजली खरीदता है ।

(घ) निगम, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं (घरेलू, औद्योगिक, व्यापारिक इत्यादि) को 7 से 17 पैसे प्रति यूनिट तक विभिन्न दरों पर बिजली बेचता है ।

(ङ) कलकत्ता बिजली संभरण निगम ने केवल 1963 में सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने पर स्टेट बैंक आफ इन्डिया से 4.7 करोड़ रुपये का ऋण लिया था ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को बिना पारी के क्वार्टरों का आंवटन

7210 **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को बिना पारी के कितने क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने क्वार्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को बिना पारी के दिये गये थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार क्वार्टरों को बिना पारी के अलाट करने के लिये कुछ कोटा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों में बगैर बारी के आधार पर दिल्ली में सामान्य पूल में सरकारी कर्मचारियों को आवंटित क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :

1963	1964	1965	1966	1967
110	24	9	5	405

(ख) और (ग). विभिन्न समुदायों जैसे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को वगैर बारी के आधार पर आवंटित किये गये क्वार्टरों की संख्या का कोई संख्यात्मक आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया जाता । विभिन्न संप्रदायों/समुदायों के सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में निवास-स्थान सुरक्षित करने की सरकारी नीति नहीं है, तथा वास के आवंटन में ऐसा कोई भेद नहीं किया जाता । अतएव अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के आवंटन के लिए सामान्य पूल वास में कोई कोटा सुरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूचित जातियों के लिये मकानों का आरक्षण

7211. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि सामाजिक बुराई के कारण अनुसूचित जातियों के लोगों को देश के सभी नगरों तथा उपनगरों में मकान लेना कठिन हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी बस्तियों में कुछ प्रतिशत क्वार्टर अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित करने के लिये तैयार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई उदाहरण इस मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मंत्रालय के द्वारा बनाई गयी सामाजिक आवास योजनायें किसी भी जाति, सम्प्रदाय अथवा धर्म का ध्यान रखे वगैर जनता के सभी सदस्यों के लाभ के लिए हैं, पात्रता की कसौटी लाभ प्राप्तकर्ता की आर्थिक आय है । सामान्य पूल वास के मामले में भी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पात्र हैं, वास के आवंटन के लिए वेतन तथा सेवा अवधि मुख्य कसौटी हैं । कोई भी ऐसा भेद करना ईर्ष्यास्पद होगा क्योंकि यह सामाजिक आवास योजनाओं की आधारभूत संकल्पना के विरुद्ध होगा तथा संपूर्ण समुदाय के पूरे एकीकरण की गति धीमी कर देगा ।

उर्वरकों का उत्पादन और वितरण

7212. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से आधा दर्जन से भी अधिक मंत्रालयों का संबंध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में उर्वरकों का आधा से अधिक उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अधिकारियों की विविधता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और वितरण संबंधी प्रणाली को युक्त बनाने तथा यह कार्य एक ही प्राधिकार को सौंपने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) नायवेली और राऊरकेला के उर्वरक यूनिटों को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी नाइट्रोजनी उर्वरक कारखाने पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं । नायवेली और राऊरकेला इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के अधीन हैं ।

(ख) जी नहीं, वर्ष 1967-68 में गैर-सरकारी क्षेत्र में नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन देश के उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत था, यद्यपि फास्फेटी उर्वरकों का उत्पादन लगभग 76 प्रतिशत था । गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की प्रतिशतता, पोषक द्रव्यों के रूप में नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों को मिलाकर समस्त उत्पादन के आधारों पर, वर्ष 1967-68 में लगभग 38.6 प्रतिशत थी ।

(ग) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिग सिस्टर और स्टाफ नर्सें

7213. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विलिंगडन, इर्विन, सफदरजंग अस्पतालों तथा विलिंगडन नर्सिग होम में प्रत्येक नर्सिग सिस्टर तथा स्टाफ नर्स को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक, सायं 4 बजे से 12 बजे रात तक तथा 12 बजे रात से प्रातः 8 बजे तक कितने रोगियों की देखभाल करनी होती है ;

(ख) क्या वे कर्मचारी उन रोगियों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो रोगियों की देखभाल में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सभी अस्पतालों सम्बन्धी विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिग स्टाफ की सेवा की शर्तें

7214. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ नर्सों तथा नर्सिग सिस्टरों के वेतनमान तथा अन्य सेवा-शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त कर्मचारी वर्तमान सेवा-शर्तों से सन्तुष्ट नहीं हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सेवाओं को अधिक आकर्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सरकारी अस्पतालों में नर्सिग सिस्टर्स तथा स्टाफ नर्सों को कुल मिलाकर जो वेतन दिया जाता है वह इस प्रकार है :

	नर्सिग सिस्टर	**स्टाफ नर्स**
वेतनमान	210-10-290-15-320 रुपये	150-5-175-6-205-7-240 -8-256-द. रो.-8-280
महंगाई भत्ता	इसी वेतन वर्ग वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली दर का दो तिहाई	इस वेतन वर्ग वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता

	नर्सिंग सिस्टर	स्टाफ नर्स
नगर पूर्ति भत्ता	अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सामान्य दर का आधा	अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सामान्य दर का आधा
वर्दी-भत्ता	8.30 रुपये प्रति मास	8.30 रुपये प्रति मास
धुलाई भत्ता	4.50 रुपये प्रति मास	4.50 रुपये प्रति मास
रसोई भत्ता	45.00 रुपये प्रति मास	30.00 रुपये प्रति मास

इसके साथ-साथ उन्हें रहने के लिये नर्स-होस्टल में सुसज्जित स्थान मुफ्त दिया जाता है।

(ख) और (ग). प्रशिक्षित नर्सों की एसोशिएशन ने नर्सिंग कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के बारे में कतिपय प्रत्यावेदन भेजे हैं। ये विचाराधीन हैं।

नर्मदा नदी जल सम्बन्धी चोपड़ा समिति

7215. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा नदी की क्षमता का अनुमान लगाने के लिये खोसला आयोग के ऊपर चोपड़ा समिति नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : नर्मदा की शक्यता आंकने के लिये कोई चोपड़ा समिति नियुक्त नहीं की गई थी। बहरहाल, जुलाई/अगस्त, 1966 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री एम० आर० चोपड़ा की अध्यक्षता में शासकीय स्तर पर संयुक्त रूप से कुछ बातचीत हुई थी।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाने वाला ब्याज

7216. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी केन्द्रीय बैंकों, सहकारी भूबन्धक बैंकों तथा विपणन समितियों को दिये जाने वाले धन पर प्रत्येक से पृथक-पृथक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया क्या ब्याज लेता है ; और

(ख) भिन्न-भिन्न दर लिये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-868/68**]

(ख) सहकारी संस्थाओं और कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से लिये जाने वाले ब्याज की रियायती दरें, ऋण-नीति के अनुकूल हैं, जिसका उद्देश्य अत्यावश्यक उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करना है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक चिकित्सक

7217. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत काम कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सकों की पारस्परिक वरीयता निर्धारित करने के नियम क्या हैं ;

(ख) इन वैद्यों के स्थायीकरण सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की भांति एक पृथक केन्द्रीय सरकारी आयुर्वेदिक सेवा बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन कार्य कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सकों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण, जिस योग्यता क्रम में वे रखे गये हों उसके अनुसार किया जाता है, पहिले किये गये चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति उसके बाद के चयन के आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे ।

(ख) आयुर्वेदिक चिकित्सकों को स्थायी करने के लिये उनकी वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते स्थायी पद उपलब्ध हों तथा वे उपयुक्त पाये जायं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा प्रकाशित पत्र

7218. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही में प्रकाशित किये गये उस एक पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन 75 रुपये होना चाहिए तथा अधिकतम वेतन घटाकर 2500 रुपये किया जाना चाहिये तथा समूचे देश में समान कार्य के लिये वेतन के सिद्धान्त को लागू करने के लिये सरकारी क्षेत्र के किसी संगठन के अन्तर्गत एक जैसी नौकरियों के लिये समान वेतन होने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां, यदि माननीय सदस्य का मंतव्य 'युक्तिसंगत वेतन-नीति' पर कार्य-पत्र से है जो 1968 के मार्च के प्रारम्भ में भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने कर्मचारी प्रशासन विषय पर अपने सम्मेलन के सिलसिले में तैयार

किया था। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तथा अधिकतम वेतन के आंकड़े कार्य-पत्र में तो दिये गये हैं, परन्तु सम्मेलन की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गयी हैं।

(ख) इस मामले में कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार नहीं है।

समयोपरि भत्ता

7219. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दर में पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कार्यालयों और तत्समान अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त-समय भत्ते की दरों में कटौती को बहाल करने का मामला संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र तथा अनिवार्य पंच निर्णय को राष्ट्रीय परिषद में उठाया गया है और मामले पर विचार किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये होमियोपैथ डाक्टर

7220. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन परियोजना में होमियोपैथ डाक्टर शामिल किए गए हैं ;

(ख) क्या परिवार नियोजन में काम आने वाली होमियोपैथी की कोई दवा उपलब्ध है ;

(ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ;

(घ) क्या ये होमियोपैथ डाक्टर परिवार नियोजन के सामान्य तरीकों का प्रयोग करेंगे ; और

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुछ औषधियों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि शिक्षा और प्रेरणा के क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग किया जाए। होम्योपैथिक चिकित्सकों को, जो प्रचलित गर्भनिरोधकों के वितरण में दिलचस्पी रखते हों, इस उद्देश्य के लिए डिपो होल्डर भी नियुक्त किया जाये।

(ङ) जी हां। प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल का एक्स-रे विभाग

7221. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विलिंगडन अस्पताल में एक्स-रे कराने वाले रोगियों को कई सप्ताह तक एक्स-रे रिपोर्ट नहीं मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि रोगियों को एक्स-रे रिपोर्ट शीघ्र मिले ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । रिपोर्ट तैयार होने में तीन या चार दिन से अधिक समय नहीं लगता । इसके पश्चात् वे रिपोर्ट उन डाक्टरों को भेज दी जाती हैं जो उन मरीजों को एक्स-रे के लिए भेजते हैं तथा सीधी मरीजों को नहीं दी जाती ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

लिफ्टमैनों को नौकरी से हटाना

7222. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अस्थायी आधार पर काम करने वाले बहुत से लिफ्टमैनों की नौकरी बिना कारण बताये हाल में समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या बहुत से संसद् सदस्यों ने इस बारे में मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री से शिकायत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 13 दैनिक मजूरी पर लिफ्टमैन को 1 फरवरी, 1968 से 23 मार्च, 1968 के लिये कार्य से विमोचित कर दिया गया । इन आंकड़ों में वे दो लिफ्टमैन शामिल नहीं हैं जो कि फरवरी के दौरान विट्ठलभाई पटेल हाउस से हटाये गये थे । उनके स्थान पर भर्ती किये गए दो व्यक्तियों को जिन्हें मार्च में हटाया गया था वे 13 की संख्या में शामिल हैं ।

(ख) विट्ठलभाई पटेल हाउस		3
निर्माण भवन		3
शास्त्री भवन		2
श्रम-शक्ति भवन	...	1
ट्रान्सपोर्ट भवन		3
सरदार पटेल भवन	...	1

नोट : क्योंकि 30 मार्च से अंकटाड सम्मेलन समाप्त हो गया, अतएव कुछ और लिफ्टमपरिचालकों (लिफ्ट एटेन्डेंट्स) को कार्य से विमोचित कर दिया गया है क्योंकि उनके लिए कोई कार्य नहीं है ।

(ग) और (घ). 19 मार्च और 22 मार्च को कुछ संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इनकी जांच की गई है तथा निम्नांकित कार्यवाही की गई है :

(i) हाजरी रजिस्टर (मस्टर रोल) पर लिफ्टमैन की दैनिक मजूरी 2.50 रुपये से बढ़ाकर 3.00 रुपये कर दी गई है ।

(ii) फरवरी से लेकर 23 मार्च, 1968 तक हटाये गये सभी लिफ्टमैन व्यवसाय परीक्षा (ट्रेड टेस्ट) के लिये बुलाये जा रहे हैं तथा इनमें जो सफल हो जायेंगे उन्हें नियमित आधार पर रख लिया जायेगा ।

(iii) 30 मार्च के बाद से उनके अतिरिक्त होने के कारण हटाये गये लिफ्टमैन में से उनको जिनकी छः महीने से अधिक की सेवा है, चाहे उनकी सेवा भंग हो अथवा नहीं, उनकी भी व्यवसाय परीक्षा ली जायेगी तथा उनमें जो सफल हो जायेंगे, उन्हें नियमित रिक्तियों में खपा लिया जायेगा ।

दिल्ली में "ड्राइव इन-रेस्टोरेंट"

7223. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में कई "ड्राइव इन-रेस्टोरेंट" बनाये हैं और यदि हां, तो उन पर कितनी लागत आई है ;

(ख) क्या ये रेस्तरां दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकार की इच्छा के विपरीत बनाये गये हैं ;

(ग) क्या वृहद् योजना में ऐसे रेस्तराओं के लिये कोई उपबंध नहीं किया गया है ;

(घ) ऐसे कितने रेस्तरां पूरे हो चुके हैं और क्या कोई रेंस्तरां आवंटित भी कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (घ) और (ङ). जी नहीं । सरकार ने राजधानी में कोई "ड्राइव-इन-रेस्टोरेण्ट" नहीं बनाया है। तथापि सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा रीगल पार्क में लेवेटरी ब्लाक के साथ 60,000 रुपये की लागत से एक छोटा ड्राइव-इन-स्नैक-बार बनाये जाने की जानकारी है। समाचार-पत्रों के माध्यम से इसके आवण्टन के लिए टेण्डर आमंत्रित किए जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकार ने ड्राइव-इन-स्नैक-बार के निर्माण विषयक नई दिल्ली नगरपालिका के प्रस्ताव पर नवम्बर 1967 में विचार किया था और इसमें अन्तिम निर्णय करने का काम उप-राज्यपाल तथा नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन के मुख्य आयोजक के जिम्मे छोड़ दिया गया था।

इसके लिए प्रस्तावित जगह का निरीक्षण करने के पश्चात् उप-राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।

(ग) इस प्रकार के रेस्तराओं के लिए मास्टर प्लान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

इडिक्को पन-बिजली परियोजना

7224. **श्री न० कु० सोंधी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त ने सरकार को सूचित किया है कि यदि यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इडिक्को पन-बिजली परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1971 तक चालू कर दिया जायेगा, तो कनाडा की सरकार को अपनी सहायता वापस लेने के बारे में विचार करना पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कनाडा हाई कमीशन से भारत सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी के कारखानों की ओर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

7225. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन चीनी मिलों के नाम तथा पते क्या हैं, जिनकी ओर 31 मार्च, 1967 को उत्पादन-शुल्क की राशि बकाया थी ; और

(ख) उस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 8 तथा 9 में बिजली

7226. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम के सेक्टर 8 तथा 9 में अभी तक बिजली नहीं है और सड़कों पर भी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सैक्टरों के लिये बसों की पर्याप्त सुविधा नहीं है, क्या इन सैक्टरों में कोई बाजार तथा औषधालय नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां के निवासियों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन सैक्टरों में इस समय उपलब्ध बस सेवा निवासियों के द्वारा अपर्याप्त समझी जाती है । सैक्टर 8 में एक बाजार (शौपिंग सेन्टर) निर्माणाधीन है तथा सेक्टर 9 में लगभग अगले छः महीने में एक बाजार बना दिया जायेगा । इन सैक्टरों में डिस्पेंसरियां नहीं बनाई गयी हैं ।

(ग) दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग इन सैक्टरों में बिजली लगाने का कार्य कर रही है । अन्डरटेकिंग के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र घरों में बिजली लगाने तथा सड़क की बत्तियों में बिजली लाने के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है । सरकार ने दिल्ली ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग से बस सेवा बढ़ाने का अनुरोध किया है। डिस्पेंसरी की इमारतें बनने तक इन्हें कुछ क्वार्टरों में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां

7227. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को शाहदरा क्षेत्र के लिये भूमि की कीमत जमा करने की हिदायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस रकम को जमा करने की अन्तिम तिथि कौन सी है ;

(ग) ऐसी कितनी समितियों ने नियत तारीख तक अपेक्षित राशि जमा कर दी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भूमि के आवंटन में उन समितियों को प्राथमिकता देने का है जिन्होंने ठीक समय में भूमि की लागत जमा कर दी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जमीन की कीमत जमा करवाने के लिये निर्धारित तिथि 10 मार्च, 1968 थी।

(ग) 15

(घ) जी हां ।

कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोलियम

7228. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोल का उत्पादन करने की एक विधि निकाली गई है तथा इसके लिये आसाम में पाये जाने वाला कोयला उपयुक्त है ;

(ख) क्या ढेनकनाल के तालचेर कोयला निक्षेपों से संश्लिष्ट पेट्रोल तैयार करने के लिये परीक्षण भी किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या तालचेर कोयला निक्षेपों में ऐसे परीक्षण करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

देश में स्टेट बैंक की शाखाएं

7229. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्षेत्र ऋणों सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिये देश के विभिन्न भागों में स्टेट बैंक की बहुत सी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी शाखाएं खोली जायेंगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय राज्य बैंक ने कृषि-कार्यों के लिये वित्त-प्रबन्ध करने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये, अपने प्रत्येक स्थानीय मुख्य कार्यालय में और अपने सहायक बैंकों के प्रत्येक मुख्य कार्यालय में कृषि-वित्त कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) कृषि-वित्त-कक्षों का ब्योरा, बैंकों द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

मैसर्स अर्बन इम्प्रूवमेंट कम्पनी (पी० लिमिटेड)

7230. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित मैसर्स अर्बन इम्प्रूवमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उसने अपनी ग्रीनफील्ड कालोनी में लगभग 4500 मध्यमवर्गीय प्लाट-होल्डरों को प्लाटों के तय हुए मूल्यों से 6 रुपये प्रति वर्गगज की अतिरिक्त राशि देने के लिए बाध्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतकर्त्ताओं को सहायता करने के लिये सरकार ने कोई प्रशासनिक अथवा कानूनी कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों को सहायता

7232. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने इस बात को देखने के लिये क्या कार्यवाही की है कि राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के विभागों को दी गई राशि का उपयोग समय पर, उचित रूप में तथा संसद सदस्य द्वारा निर्धारित उद्देश्य हेतु ही हो ; और

(ख) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिनमें शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा उन मुख्य प्रयोजनों के लिये धन व्यय नहीं किया गया हो जिनके लिये उसका निर्धारण किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के आयोजनागत कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था सहायता के उन तरीकों के अनुसार की जाती है जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं । योजना आयोग यह देखने के लिये समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करता रहता है कि उसके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। केन्द्रीय सहायता की अन्तिम अदायगियां वास्तविक व्यय के परीक्षित आंकड़ों के आधार पर ही की जाती हैं ।

जहां तक केन्द्रीय मंत्रालयों के खर्च का सम्बन्ध है, रुपये के समयोचित, कुशलतापूर्ण और उपयुक्त उपयोग की जिम्मेदारी सम्बद्ध मंत्रालयों की होती है। सामान्य वित्तीय नियमों में कार्यकारी अधिकरणों को इस बात को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त उपबन्ध है कि जिन उद्देश्यों के लिये और जिन शर्तों पर रकमें निर्धारित की गयी हों, उन पर ठीक-ठीक अमल हो रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता के अस्पतालों में सभी प्रकार के सर्जरी आपरेशन स्थगित किये जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कलकत्ता के अस्पतालों में सभी प्रकार के सर्जरी आपरेशन स्थगित किये जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति"

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : तथ्य यह है कि जीवाणु सम्बन्धी परीक्षण के पूर्ण होने तक एन० आर० सरकार अस्पताल, कलकत्ता में सब सर्जिकल आपरेशन रोक दिये गये हैं। आर० जी० कार मेडिकल कालेज अस्पताल में केवल एक आपरेशन थिएटर का अस्थायीरूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। शहर के सभी अन्य अस्पताल सदा की तरह कार्य कर रहे हैं। एन० आर० सरकार अस्पताल के आपात रोगियों को ऐम्बुलैंस द्वारा अन्य अस्पतालों में भेजा गया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : कलकत्ता के अस्पतालों में अत्यधिक गंदगी है। हाल ही में राज्यपाल ने आर० जी० कार मेडिकल कालेज में स्थित झोंपड़ियों को गिराने का आदेश दिया था। उससे पता चला है कि अस्पताल के अन्दर इन झोंपड़ियों में हर प्रकार के घृणित अपराध करने के अड्डे बने हुए थे। क्या यह सच है कि इन झोंपड़ियों में से 5000 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें अस्पताल के केवल 53 कर्मचारी थे ? क्या सरकार को यह पता है कि जो लोग इन झोंपड़ियों के गिराने का विरोध कर रहे थे, उनका उपरोक्त घटनाओं के साथ क्या सम्बन्ध है ?

फिर कलकत्ता के अस्पतालों में पलंगों की संख्या घटती जा रही है और सुविधाएं भी कम हो रही हैं परन्तु इस स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या सरकार ने पलंगों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने जो बातें बताई हैं, उसमें से कुछ ठीक हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी उन बातों का उल्लेख किया है। परन्तु इन अड्डों से कौन-कौन से लोगों का सम्बन्ध था, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। इन झोंपड़ियों को अब गिराया जा रहा है। इसी कारण वहां पर हड़ताल हो गयी है और अस्पतालों में कामकाज बन्द हो गया है।

अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाने के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): यह विचित्र बात है कि मंत्री महोदय कलकत्ता की घटनाओं को मामूली बता रहे हैं जबकि वहां पर स्थिति काफी गम्भीर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सर्जिकल औजारों को बहुत कम अवसरों पर उबाला जाता है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए मशीन कई वर्षों से बेकार पड़ी है ? क्या सरकार इन अस्पतालों में सफाई सुनिश्चित करेगी? सरकार को इस सारे मामले की अच्छी प्रकार से जांच करनी चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमें यह सूचना मिली थी और पत्रों में भी ये समाचार प्रकाशित हुए थे कि एन० आर० सरकार अस्पताल तथा आर० जी० कार अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अनधिकृत झोंपड़ियां बना ली थीं। इनको गिराने के लिए उन्हें समय-समय पर 'नोटिस' दिये गये परन्तु उन्होंने उनका पालन नहीं किया। वे बहुत ही गन्दी परिस्थितियों में रहते थे। प्रेजीडैंसी डिवीजन के आयुक्त ने सूचना दी कि वे स्थान घृणित अपराधों के अड्डे बन गये हैं। समाचार-पत्रों में सम्पादकीय लेख प्रकाशित किये गये कि इन अनधिकृत झोंपड़ियों को गिराया जाना चाहिए। इस पर राज्यपाल ने उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था।

झोंपड़ियां गिराने के विरुद्ध बहुत कम विरोध किया गया था। पुलिस ने पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये थे, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। झोंपड़ियों में रहने वाले अस्पताल के 144 कर्मचारियों को वैकल्पिक स्थान की पेशकश की थी। परन्तु वे अभी तक इन नये स्थानों पर नहीं गये हैं और वे अभी तक एन० आर० सरकार अस्पताल के अहाते में रह रहे हैं। इस अस्पताल के कर्मचारियों ने 10 अप्रैल से हड़ताल कर दी है परन्तु इससे अस्पताल के कामकाज में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ी है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वैच्छिक बल के 150 कर्मचारियों से सहायता ली जा रही है।

आज मुझे यह सूचना मिली है कि एन० आर० सरकार अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल अभी जारी है। इसलिए अस्पताल में सीमित रूप में दाखिला चल रहा है। जिन लोगों की अनधिकृत झोंपड़ियां गिरायी गयी थीं, वे अभी तक अस्पताल के अहाते में पड़े हैं। वहां पर इतनी गन्दगी फैल रही है कि वहां हैजा फैल जाने का खतरा है। यह भी बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल का कोई 'नोटिस' नहीं प्राप्त हुआ था, अतः यह हड़ताल गैर-कानूनी है।

आर० जी० कार अस्पताल में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और नर्सों ने

आंशिक रूप से हड़ताल की है। परन्तु डाक्टर उन कर्मचारियों की सहायता से काम चला रहे हैं जिन्होंने हड़ताल नहीं की है। वे राष्ट्रीय स्वैच्छिक बल के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों से भी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने सर्जिकल औजारों को न उबाले जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। कम से कम इस मामले की जांच तो की जानी चाहिए।

श्री सत्यनारायण सिंह : सर्जिकल औजारों को उबालने के बारे में अवश्य जांच की जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): कलकत्ता के तीन अस्पतालों में आपरेशन का काम बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। श्री सत्यनारायण सिंह को इस विषय में क्या कहना है ? उन्होंने इस मामले को बहुत मामूली बताने का प्रयत्न किया है। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के हजारों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है परन्तु उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं की गयी है। जब राज्यपाल ने इन एन० आर० सरकार अस्पताल का दौरा किया तो कुछ डाक्टरों ने उन्हें बताया कि यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो वहां पर टीटनस का प्रकोप बढ़ जायेगा। परन्तु बाद में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कलकत्ता में कोई टिटनस का मामला हुआ है। इन परिस्थितियों में इस मामले की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए जिससे दोबारा ऐसी बातें न हों।

श्री सत्यनारायण सिंह : माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और उन्होंने इस मामले को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताया। मैंने उसी समय राज्यपाल से सम्पर्क स्थापित किया और मुझे जो सूचना मिली थी, मैंने सभा को दे दी है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमाशुल्क अधिनियम और बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 620 जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-850/68]**

(दो) जी० एस० आर० 631 जो दिनांक 29 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-851/68**]

(तीन) जी० एस० आर० 632 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-852/68**]

(चार) जी० एस० आर० 686 जो दिनांक 4 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-853/68**]

(2) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० (83)/67–फिन० (ई०) (आई०) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 7 मार्च, 1968 की समसंख्यक अधिसूचना का शुद्धिपत्र दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-854/68**]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेसिओटिकल्स लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेसिओटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेसिओटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-856/68**]

भारतीय टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानुप्रकाश सिंह): श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की ओर से मैं भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4 क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1340 की एक प्रति जो दिनांक 10 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-855/68**]

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा अपना भाषण जारी करें ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Hon'ble Home Minister may be asked to make a statement.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): आप कृपा करके चर्चा का समय बढ़ा दें, जिससे दूसरे माननीय सदस्य भी उसमें भाग ले सकें । कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक घण्टा समय बढ़ा दिया जाये तो भी आपकी बारी नहीं आ सकती ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर): मैंने रेल दुर्घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे मंत्री स्वयं ही एक वक्तव्य देंगे । मुझे उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है ।

अनुदानों की मांगें—1968-69—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—1968-69—Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : खाद्य तथा कृषि समस्या में भी यदि हम राजनीति ले आयें तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । कुछ राज्य सरकारें और विशेषकर गैर-कांग्रेसी सरकारें उत्पादन और इस देश की आवश्यकताओं के बीच अन्तर के लिये केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने का प्रयत्न करती रही हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें खाद्य तथा कृषि समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिये ।

पिछले कुछ वर्षों में हम कृषक प्रधान कृषि नीति अपनाने पर बल देते रहे हैं। मेरे विचार में हमें किसान को सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में उपयुक्त स्थान देना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं कर सकते। हमारे माननीय मंत्री यह भली-भांति जानते हैं कि भारतीय किसान कितनी कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं । इसलिये मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह एक ऐसी राष्ट्रीय कृषि नीति अपनायें जिससे किसान को अधिक लाभ पहुंचे ।

पहले भी इस बात पर जोर दिया गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये मूल्यों को स्थिर करने और मूल्य प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ-साथ भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भारतीय किसान ने समय की आवश्यकता को देखते हुये अधिक उपज वाली किस्मों को अपनाया है। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार को आशा है कि इस वर्ष अनाज का उत्पादन 950 लाख टन होगा।

हमारे देश में कृषि सम्बन्धी प्रशासन में भी सुधार करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के एक अध्ययन दल ने कहा है कि आजकल प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। प्रशासनिक शाखाएं बढ़ती जा रही हैं परन्तु उनमें सेवा की भावना नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व बढ़ गया है और दोहरा काम हो रहा है जिसके कारण साधन, धन और तकनीकी जनशक्ति नष्ट हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हू कि मंत्रालय में गैर-तकनीकी अधिकारियों की संख्या में तो वृद्धि की गई है परन्तु हमने निचले स्तर पर तकनीकी व्यक्तियों के कार्य में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। ये लोग किसान के सीधे सम्पर्क में आते हैं और यदि हम इस स्तर पर प्रशासन में सुधार नहीं करते और गैर-तकनीकी अधिकारियों द्वारा तकनीकी योजनाओं में हस्तक्षेप करना बन्द नहीं करते तो हमें अधिक पैदावार वाली किस्मों और खाद के अधिकाधिक प्रयोग के कार्यक्रम से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते हैं।

मुझे इस बात से संतोष है कि धीरे-धीरे सभी अनुसंधान संस्थाओं का प्रशासन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन आ रहा है। यदि गैर-तकनीकी अधिकारियों का अवांछनीय हस्तक्षेप बन्द हो जाये तो स्थिति में अवश्य सुधार होगा।

भारतीय खाद्य निगम में अधिकारियों की संख्या अत्यधिक है। अब इस निगम के कार्य-क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या हम खाद्य निदेशालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम कर सकते हैं या नहीं ?

जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अधीन वह किसानों को अधिक उपज वाले बीज, सिंचाई की उचित सुविधाएं, ठीक समय पर उर्वरक और आवश्यक तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न कर रही है। इन प्रयत्नों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।

अब केन्द्रीय सरकार को भी जम्मू तथा काश्मीर की उर्वरक, अच्छे बीज और धन आदि देकर उपयुक्त सहायता करनी चाहिये। मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि ये प्रयास जारी रहे तो यह राज्य आत्मनिर्भर हो जायेगा।

कुछ वर्ष पूर्व लद्दाख में प्रायोगिक अनुसंधानशाला खोली गयी थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस अनुसंधानशाला को कहां तक सफलता मिली है ? जम्मू तथा काश्मीर

में और भी अनुसंधानशालाएं खोलने का वचन दिया गया था परन्तु इस सन्बन्ध में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ।

श्री पाशाभाई पटेल (बड़ौदा) : खाद्य समस्या का समाधान ठीक ढंग से हल न करने के कारण आज लाखों लोगों को भूखा रहना पड़ता है । सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि वसूली और लगान की नीति न तो ठीक ढंग से बनायी गई है और न ही उसकी क्रियान्विति ठीक ढंग से हो रही है । वसूली और लगान की वर्तमान नीति के कारण किसान अपनी क्षमता से कम अनाज पैदा करता है । किसानों को सरकार के छोटे अधिकारियों के आश्रित रहना पड़ता है और उन्हें उनकी उपज से वंचित कर दिया जाता है ।

हमें पता चला है कि यह लगान भण्डार बनाने के लिए लिया जाता है । परन्तु क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जितना अनाज सरकार ने इकट्ठा किया है उसमें से कितना अनाज चूहे खा गये हैं और कितना अनाज बेकार हो गया है । इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हमें किसानों को फालतू अनाज जमा करने की अनुमति दे देनी चाहिये जिससे सूखे की स्थिति में वह हमारी सहायता कर सकें ।

क्षेत्रीय प्रणाली के कारण भी किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता । यदि यह क्षेत्र समाप्त कर दिये जायें और किसान को अपनी उपज सारे देश में भेजने की अनुमति दे दी जाये तो उसे उसकी उपज का मूल्य अधिक मिलेगा और अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन भी मिलेगा । क्षेत्रीय प्रणाली अदूरदर्शितापूर्ण नीति है और इन प्रतिबन्धों के कारण किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता ।

अमरीका में किसान को मूल्य समर्थन देकर प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वह अधिक से अधिक अनाज पैदा करता है इसके परिणामस्वरूप अमरीका दूसरे देशों को अनाज का निर्यात भी करता है । हमारे देश को भी इसी नीति को अपनाना चाहिये । यदि हमारी सरकार ऐसा करे तो हमारी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है ।

समस्त भारत में सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं । इस सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि नर्मदा में सिंचाई की सबसे अधिक क्षमता है । यदि इसके पानी को समुद्र में गिरने से रोक कर गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ में सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जाये तो उस क्षेत्र में काफी अनाज पैदा हो सकता है ।

श्री स० दा० पाटिल (सांगली) : इस वर्ष अनाज के उत्पादन की स्थिति काफी आशा-वर्धक है । हमारा देश कृषिप्रधान देश है । हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं । राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत अंश कृषि से प्राप्त होता है । अतः हमें कृषि की स्थिति सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिये । अन्य बहुत से उद्योग भी कृषि पर निर्भर करते हैं ।

सरकार ने अनाज की अधिक उपजाऊ किस्मों का विकास करके ऋण सुविधाएं बढ़ाकर

वाणिज्यिक फसलों की सघन खेती करके छोटी सिंचाई का विकास करके, उर्वरकों, अच्छे बीजों और यंत्रीकृत खेती के सुधरे हुए तरीकों का अधिकाधिक प्रयोग करके कृषि विकास के लिए काफी प्रयत्न किये हैं। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना अनिवार्य है। हम वर्षा पर निर्भर नहीं कर सकते। इसलिये प्रत्येक किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये। हमें सिंचाई की छोटी योजनाओं पर अधिक जोर देना चाहिये क्योंकि इससे गरीब किसानों को तुरन्त राहत मिलती है और इसके परिणाम भी शीघ्र सामने आते हैं।

हमारे उप-प्रधान मंत्री ने छोटी सिंचाई योजना की उपादेयता को महसूस किया है और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे छोटी सिंचाई और देहातों में बिजली लगाने हेतु अपने संसाधनों के लिए अतिरिक्त राजस्व से अपने-अपने हिस्सों का उपयोग करें। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें उनके परामर्श को स्वीकार कर लेंगी और अपने राज्यों तथा समस्त देश को समृद्ध बनायेंगी।

क्षेत्रीय प्रणाली में कुछ संशोधन किये गये हैं। प्रत्येक राज्य में अनाज का उत्पादन अत्यधिक होने के कारण यदि अनाज के लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा दिये जायें तो मूल्यों में बहुत कमी हो जायेगी। अतः इस तरीके से किसान को कम दाम मिलेंगे क्योंकि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में अनाज वसूल करने में असमर्थ होगी। ज्वार, बाजरा और मक्का के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाज की ये किस्में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि देश में अनाज की सप्लाई की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए इन अनाजों पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा देने चाहिये।

अनाज के मूल्य निश्चित करने के लिए उत्पादन लागत, पूंजी व्यय, यातायात और संग्रह व्यय और लगान आदि को ध्यान में रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त गरीब किसान को भी कुछ लाभ दिया जाना चाहिये। इस प्रकार निर्धारित किया गया मूल्य उचित मूल्य होगा। वसूली मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि सबको समाप्त कर देना चाहिये और उपरोक्त आधार पर मूल्य निश्चित किये जाने चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

व्यवस्था का प्रश्न
POINT OF ORDER

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् नियम 340 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रस्ताव यह है कि यह वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाये। इसका कारण यह है कि हमारे मित्र श्री एस० एम० जोशी, श्री सरजू पाण्डेय और संयुक्त विधायक दल के नेता आज राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करें क्योंकि उस रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश की सही स्थिति का पता नहीं चलता। हमने उनसे प्रार्थना की है कि वह संयुक्त विधायक दल के सदस्यों से स्वयं मिलने के बाद इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करें। मेरा अनुरोध यह है कि गृह-मंत्री सभा को सही स्थिति से अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : जब राष्ट्रपति इस पर विचार कर रहे हैं तो यह सभा कैसे (**व्यवधान**)।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : इस मामले में यह सभा इसलिये अन्तर्ग्रस्त होती है कि हमारा यह देखना कर्त्तव्य है कि राज्यों में सभी कार्य संवैधानिक तरीकों से हों। परन्तु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। विधान सभा के सदस्यों की गिनती करना राज्यपाल का काम नहीं है। यह काम विधान सभा का है। इस समस्या का समाधान विधान सभा में किया जाना चाहिये और राज्यपाल को ऐसा करने का अवसर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि यह समस्या विधान सभा में ही हल होगी। परन्तु जहां तक वर्तमान बातचीत का सम्बन्ध है, यह सभा कुछ नहीं कर सकती। वास्तव में समस्या यह है कि कुछ सदस्यों ने दल बदला है। अब इस बात का कौन निर्णय करेगा कि किसी ने दल बदला है या नहीं। अतः इस सम्बन्ध में यह सभा कुछ नहीं कर सकती।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जब त्याग-पत्र दिया था तो उनका बहुमत अभी समाप्त नहीं हुआ था। राज्यपाल ने केवल समायोजन का समय दिया था। वह इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सके। अतः उनका बहुमत अब भी बना हुआ है और इस समस्या का समाधान सभा में होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संवैधानिक औचित्य को समझता हूं। परन्तु वर्तमान वाद-विवाद का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री ओ० प्र० त्यागी अपना भाषण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर आरम्भ करें।

अनुदानों की मांगें, 1968-69—जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): Sir, the importance of food and agriculture is of vital importance in our country. The basis of economic structure in India is agriculture but

unfortunately our planners have overlooked the basic fact that agriculture is the backbone of our economy and while blindly following the west they have made the cities as the basis of our economic structure. Thus we find that due attention has not been paid to agriculture. The result of it has been that there has been a great shortage of food in our country. To make up this shortage we have been left with no alternative but to import foodgrains from abroad. We have imported foodgrains under P. L. 480 worth crores of rupees. If we want that our food production should increase then it is very necessary that farmers should be given incentive and what is the incentive for the farmer. The biggest incentive for the farmer is that he should get proper price for his produce. There is no doubt that he is getting a good price for his produce now. It is only after 20 years of independence that he has begun to realise that he is living in a free country. At the same time the people of urban areas have begun to feel the burden of high price of foodgrains.

It is very good that this year there has been a bumper crop in our country. The credit of this bumper crop will go to the scientists who have developed high yield variety seeds. But the sorry state of affair is that Government have exercised discrimination in regard to the distribution of those seeds. We find that there were cases when such seeds were distributed to please the voters.

I will now come to irrigation. So far as irrigation in our country is concerned we find that canals in our country are not properly managed. As a result of this negligence the farmers do not get water when they need it. In order to achieve this objective i.e. in order to see that canals are run throughout the year it is essential that tube-wells are installed to feed those canals. We find that Government has paid its attention to major irrigation projects but I am of the view that more attention should be paid to minor irrigation projects.

After irrigation I will jump upon to manure. After irrigation the next important thing for agriculture is manure. Government has not given any importance to this factor. But I am of the view that more and more of cowdung should be utilised for agricultural purposes. Cowdung is available in our country in abundance and moreover it is best for agriculture purpose also.

After irrigation and manures I will say something about tractors. We find that in our country most of the farmers have small farms and where there are small farms the tractors are not of much use. They should be provided with bullocks. But the difficulty is that the farmers are not getting enough bullocks. Therefore in order to provide them with enough bullocks it is essential to protect the cow. When we protect the cow we can have more bullocks. With a view to protecting the cow we will have to put a ban on cow-slaughter. Today I challenge the Government that if ban will not be put on cow-slaughter it will be against the interest of the country.

Our population is increasing at a rapid speed. Thus in order to feed the increasing population Government should find out some substitute of foodgrains and I think that milk is a very good substitute of food. Therefore all efforts should be made to increase its production. We should also take more milk so that we consume less foodgrains. In this connection I would like to say something about meat also. The consumption of meat increases appetite, thus its consumption should be discouraged.

At the end I would like to say something about food zones. I am not in favour of food zones. These food zones are a danger to our country, because due to these food zones

smuggling and black-marketing has increased to a great extent. I am therefore of the view that the earlier these food zones are abolished the better it would be for our country. The whole country should be treated as one zone. If it is so then foodgrains can move freely in the whole country and the farmers can get good prices.

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : India is predominantly an agricultural country. About 75 per cent people of our country depend on agriculture. But it is regrettable that in spite of that there is food shortage in our country and we have to seek the help of other countries in this respect. However we are happy that our farmers are induced with a new spirit to produce more and more and make the country self-dependent.

There is no doubt about it that we did not pay much attention to agriculture during First Five Year Plan. But after that Government realised that agriculture should be given much more importance—and thus they took various steps to step up food production. Now demonstration farms are being set up in various parts of our country. Fertilizers are also being used to a great extent. If Government will go on making such efforts then I am sure the future is bound to very bright and our condition will also improve.

I will now draw the attention of the Hon. Minister towards a few questions relating to Madhya Pradesh. There is no doubt about it that forests give a lot of help to agriculture. In Madhya Pradesh there are very large forests. It is estimated that 92 million cubic metres of industrial timber can be produced from those forests. But that is not being done and it is going waste and the State is not getting any revenue. Hence all efforts should be made to exploit the forest resources of Madhya Pradesh.

It is a matter of great regret that considerable damage has been done to grain crop in Madhya Pradesh by pests and insects. It is expected that this menace will continue for some time more but all efforts should be made to stop it.

About 66 lakh tribals are residing in Madhya Pradesh and the area in which they are residing, there are no roads. More and more roads should be constructed there so that fertilisers could be transported to those areas. If fertilizers will be transported to those areas there then agriculture production will naturally increase.

श्रीमती उमा राय (मालदा) : हमारे देश में कुल 136 मिलियन हैक्टेयर भूमि में खेती की जाती है परन्तु सिंचाई केवल 25 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर ही की जाती है। केवल 2 से 15 प्रतिशत सिंचित भूमि में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सिंचित भूमि में एक से अधिक फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं इसका किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

मालदा नदी के पानी का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि उस नदी के जल का पूरा उपयोग किया जाये और उसे समुद्र में बेकार न जाने दिया जाये तो मालदा जिले को खरीफ और रबी की फसलों का बहुतायत वाला क्षेत्र बनाया जा सकता है।

आज हम अधिक उपज वाली किस्मों तथा संकर बीजों के परिणामों से खुश होते हैं। परन्तु उन्हें अधिक पानी और खाद आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दुख की बात है कि

हम खाद के उत्पादन में अब तक आत्म-निर्भर नहीं हो पाये हैं और उसके आयात पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। हमारे देश में खाद का मूल्य विश्व के सब देशों से अधिक है, उसे कम करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में दाल की उपज सर्वाधिक होती है परन्तु उसका प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम होता जा रहा है। इस जिले के लिये अधिक पैदावार वाली दालों का पता लगाकर प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने की ओर प्रयास किया जाना चाहिये।

किसानों को वसूली मूल्य उचित दिया जाना चाहिये। यदि हम किसानों को उसकी उपज के उचित दाम नहीं देते हैं और उनकी सप्लाई पर अधिक प्रभार लगाते हैं तो उन्हें उपज बढ़ाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

मेरे जिले मालदा में आम बहुत होता है तथा भारत में फजली आम वहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। यह आम बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। परन्तु दुख की बात तो यह है कि इन आमों को बाहर भेजने के लिये ढके हुये साधारण माल डिब्बों की भी समय पर व्यवस्था नहीं की जाती है तथा हर साल काफी आम खराब हो जाता है। इसके लिये उच्चतम स्तर पर घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है ताकि किसानों को नुक्सान न होने पाये।

मालदा में फजली आम आवश्यकता से अधिक होता है। इस समय हम अन्य किस्मों के आम का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। इसलिये हमें फजली आम के लिये भी एक बाजार ढूंढने का प्रयास करना चाहिये। इस काम के लिये हम मालदा के हवाई अड्डे और कलकत्ता बन्दरगाह का उपयोग भी कर सकते हैं।

कटहल सारे भारत में पैदा किया जा सकता है तथा यह एक पोषक सब्जी है। विभिन्न कृषि-जलवायु खण्डों के लिये उपयुक्त किस्मों के चयन, उनके विकास तथा अत्यन्त उपयुक्त क्षेत्रों में उनके वितरण की तुरन्त आवश्यकता है।

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat): It is a matter of great happiness that Government is thinking to give top priority to agriculture. Government should go on taking steps in this direction. The farmers of our country are well-known for their hard labour. They are making efforts to adopt medern methods of agriculture. But if they get co-operation and guidance from the Departments concerned they can not only make the country self-sufficient but can also turn it into a granary for the whole world. At the same time I cannot refrain myself from saying that the farmers are not getting good treatment at the hands of bureaucracy. They do not get anything without giving bribe to the officers, keeping it in view the administrative machinery should be so remodelled that it becomes an instrument of help to the farmers.

There is no Co-ordination between various departments of the Government which directly or indirectly have to deal with the farmers. There is no coordination between the departments of Irrigation, Food, Community Development etc. and the result is that no work is done in time.

The food crisis is the result of our complacency. In 1965-66 there was shortage of food by about two and a half crore tonnes. Had we produced one quintal per acre more we would have solved the problem of food shortage. Was that a difficult thing. Now it has been estimated that in the year 1967-68 there will be 9.5 crore tonnes of food production in our country and that there will be shortage of foodgrains by about 50 lakh tonnes. If we try to produce a little more per acre our food problem can be solved.

We, the members of Parliament, had recently gone to see the experiment of high yielding varieties of seeds at Pusa Institute. We have seen that the research work done by our scientists there is really appreciable. There is no doubt that they have produced high yielding varieties of seeds which are bringing about revolution in our agriculture. These high yielding varieties of seeds should be popularised amongst the farmers in the villages.

Now I would like to say something about the cost of production of agriculture. I would also like to give some suggestions in this regard. We find that the cost of production in agriculture is very high these days. I would, therefore suggest that the prices of agricultural commodities should be fixed at high level. I have given this suggestion because if it is done it will give an incentive to the farmers to produce more.

The Government and the farmers both consider agriculture to be an industry. Eighty to eighty-five per cent population depends on agriculture. Therefore villages should be given preference for purposes of development works. Such villages should be linked with towns by roads.

As far as irrigation is concerned, at present there are irrigation facilities only for 17 per cent of agricultural land. Steps should be taken to provide more irrigation facilities to the farmers. Some amount should be earmarked for purposes of increasing water in rivers.

I will say a few words about agricultural education also. More and more attention should be paid towards agricultural education. There are about fifty agricultural colleges in our country where about thirty thousand students receive their education. But the standard of education there is deteriorating. We should try to take steps so that all agricultural institutions are manned by teachers who have up-to-date knowledge of the subject. Moreover there should be more control of I. C. A. C. over all agricultural colleges. It will be a very good thing if Pusa Institute is made a Central University and the agricultural colleges of the country are affiliated to it. Government should also pay proper attention towards unemployment of agro-graduates. Government should also see to it that agricultural literature is published in the language of the common people so that the farmers may also enjoy its benefit.

At the end of my speech I would like to say something about Community Development Blocks. These blocks have not proved beneficial to the people. They have not succeeded in their objects. Their whole work should be reappraised and a new out-look should be given to it.

श्री कार्तिक ओराओं (लोहारडगा) : यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में कृषि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह भी सही है कि कृषि की उन्नति सिंचाई पर निर्भर करती

है। साथ ही साथ यह भी सही है कि सिंचाई की सुविधायें न होने से कृषि एक जुआ बन जाती है। हमारे लिये यह एक बहुत असंतोष की बात है कि आजादी के बीस वर्ष बाद भी हम खाद्य की कमी को पूरा नहीं कर सके हैं। हमने देखा है कि हमारे देश के कुछ भागों में गत दो वर्षों में अप्रत्याशित सूखा पड़ा जिससे वहां अकाल पड़ गया। अनाज न मिलने के कारण अनेक व्यक्ति मारे गये।

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं
Shrimati Lakshmikanthamma in the Chair]

ऐसे भी मामले देखे गये जहां लोगों को कुत्तों का मांस खाना पड़ा। यह भी देखा गया है कि केवल 18 से 25 वर्ष की आयु के लोगों ने, जिनके एक या दो बच्चे थे, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन 18 या 25 रुपये प्राप्त करने के लिये अपना आपरेशन कराया। ऐसी चीजों से दुनिया में हमारे देश की प्रतिभा खराब हो गई है। मैं यह आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह इसलिये कह रहा हूं ताकि हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हों।

यह बहुत हैरानी की बात है कि हमारे देश में अनाज की कमी है जबकि हमारे पास यहां 2900 लाख एकड़ भूमि पर अनाज की खेती होती है और 910 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। यदि हम प्रति एकड़ 15 मन पैदावार का भी हिसाब लगायें तो यह 2100 लाख टन बैठती है। इसके अलावा हमारे पास अधिक उपज वाली किस्में भी हैं। यदि हम 60 लाख हैक्टेयर के आधार पर अधिक उपज देने वाली किस्मों का अनुमान लगायें तो यह उपज 120 लाख टन बैठती है। इसका अर्थ यह है कि कुल पैदावार 2220 लाख टन बैठती है। यदि हम यह भी समझ लें कि 50 प्रतिशत क्षेत्र पर सूखा पड़ गया है तो भी पैदावार लगभग 1000 लाख टन रह जाती है। इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह समस्या हमारे सामने क्यों बनी हुई है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब कभी हम अनाज के उत्पादन की योजना बनाएं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितने अनाज की जरूरत हो उससे दुगने अनाज की योजना बनाई जाये। ऐसा न करने से अनाज की समस्या को हल करना कठिन हो जाता है। यूनिसेफ, रेड क्रास, राष्ट्रीय ईसाई परिषद आदि से सूखा के लिए दिये जाने वाला अनुदान सरकार के माध्यम से वितरित किये जाने चाहिए। मैं लंगरों के पक्ष में भी नहीं हूं। विदेशी लोग यहां से फोटो लेकर भारत की गरिमा को कम करते हैं। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है कुछ क्षेत्रों में तो सिंचाई की बहुत सुविधायें हैं जबकि अन्य स्थानों पर बहुत कम व्यवस्था है। सरकार को सिंचाई सुविधाओं की अपेक्षित मात्रा में व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए। इससे अनाज का उत्पादन बढ़ जायेगा।

मैं अनाज के जोनों सम्बन्धी प्रतिबन्धों को समाप्त करने के बारे में भी कुछ शब्द कहूंगा। अनाज के क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे भारत की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। हालांकि यह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था परन्तु इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Ours is predominantly an agricultural country. About eighty per cent of our population depends on agriculture. Since we have stopped doing manual work unemployment in the country has increased. Even then the farmers are feeling encouraged and if this official encouragement will continue we will become self-sufficient in food very soon.

There are so many regions in our country which are very thickly populated and are always facing problems while on the other hand there are certain other regions where vast areas of land are lying vacant. I am of the view that landless agricultural labour should be settled on such areas.

There are many rivers in the eastern districts of U. P. But when these rivers are flooded they cause damage to the crops. If we want to protect the crops from being damaged in this way, the Beria bundh along the Ganges and the Belthra Sansar Tola bundh along the Ghagra should be joined together at the delta. It is only then that we can save the crops from being damaged.

More and more facilities should be provided to the farmers. They should be provided loans by the Co-operative Banks and State Banks at the time when they are in need of them. They should also be provided fertilisers at subsidised rates just like before. It is not very easy to put up private tube-wells. Therefore I am of the view that facilities should be given to put up Panchayat tube-wells in the villages. It is only then that this problem can be solved to some extent.

As most of the districts of Eastern U. P. remain flood affected therefore it will be very good if crop insurance is introduced there. Not only that this whole area is very backward. The industries have not been set up there according to the recommendations made by the Patel Commission. The recommendations of the Patel Commission should be implemented. I would like to say something more for that area. In that area there is a great scope for the development of fisheries, poultry, sugar and paper industries. Government should take steps in that direction. If it is done trade worth crores of rupees can be done there.

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : मैं आन्ध्र प्रदेश का रहने वाला हूं तथा भारत सरकार एवं आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसे ऐसी सभी परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए जिन्हें पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता दी जाती है। केवल तभी प्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं। हम देखते हैं कि सरकार इस समय राज्य सरकारों के माध्यम से धनराशि दे रही है परन्तु राज्यों के भिन्न-भिन्न भागों में तालमेल नहीं है।

सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में, इस बात पर विचार किये बिना ही कि क्या वहां पर बिजली

उपलब्ध है अथवा नहीं, अनेक चावल मिलें स्थापित की हैं। अत: वे चावल मिलें लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही हैं। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए। सहकारी चावल मिलों में कार्य संचालन पूंजी के अभाव के कारण काफी नुकसान हो रहा है। खाद्य निगम के बारे में हमारा अनुभव यह रहा है। चाहे आन्ध्र प्रदेश सरकार खाद्य निगम की ओर से किसानों से सीधे धान वसूल कर रही है लेकिन उसे यह नहीं कहा जा रहा है कि वसूल किया गया धान सहकारी चावल मिलों को दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम सहकारी चावल मिलों से अच्छे परिणामों की कैसे आशा कर सकते हैं।

इन चावल मिलों और सहकारी चावल मिलों के अलावा विभिन्न राज्यों में सहकारी कृषि समितियां हैं लेकिन किसानों को आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिये जा रहे हैं। समितियां भी उन स्वार्थी लोगों द्वारा बनाई जा रही हैं जो भोले भाले देहातियों का शोषण करते हैं। प्राय: जब कभी सहकारी कृषि समिति की बैठक होती है तो भूमि, खेतिहर मजदूरों को दी जाती है। मैं तो यह समझता हूं कि जब तक भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कृषि समितियों में विशेष रुचि नहीं लेती हैं तब तक ये समितियां ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगी।

हमने यह देखा है कि किसानों को जहां कहीं प्रोत्सासन दिया गया है वे वहां पर बिना संकोच के बहुत अच्छी फसल पैदा करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी खाद और बिजली की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिये। तत्सम्बन्धी विभागों में तालमेल भी स्थापित किया जाना चाहिए। मेरे जिले में प्रयोग के तौर पर सारा काम एक कलक्टर को सौंपा गया था। अब तीन अथवा चार महीनों के पश्चात् इसके अच्छे परिणाम निकले हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं केरल के विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां के विद्यार्थियों ने हाल में अपना एक संगठन बनाया है। उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को गांवों में बिताने का निश्चय किया है और वे वहां पर किसानों की सहायता करेंगे। यह उनका सराहनीय काम है और सरकार को उन्हें ऐसा करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): Sir, in the matter of crops when we do not take care of all the factors then the area of crops fluctuates. The area under sugar-cane cultivation is an example of it. The farmer grows sugar-cane with a view to getting the benefit of high price. In case he does not get good price he will not grow so much sugar-cane. In U. P. sugar-cane is ready for being crushed in September and October. But a restriction has been imposed by Government that crushing in sugar factories should not be started before December. The result of it is that fields are not available for sowing wheat crop. Hence the farmer cannot have two crops—sugar-cane crop and wheat crop—from his land. Therefore the policy of tbe Government not to allow crushing of sugar-cane in the month of September and October is not at all in the interest of the farmer.

The price of sugar-cane has been declared at about rupees 7 per quintal for the next year. It is a very low price and Government cannot have sugar-cane from farmers at this price. Moreover the price of sugar-cane is different at different places. While the price of

sugar is uniform throughout the country. Therefore I am of the view that when the price of sugar is uniform in the country the price of sugar-cane should also be uniform.

So far as sugar is concerned its price is going up. At present Government has decontrolled 40 per cent of sugar and it is there that corruption has started. Instead of 40 per cent 50 per cent sugar is being released. The policy in this respect should be framed in such a way that it continues for a long time. We should also compare the selling price of sugar with the selling price of foodgrains. If it is done then the farmer, producer and the consumer will be happy and satisfied.

The bones of dead animals are available in our country in abundance. But we have not been able to collect even 50 per cent of them. There is a lot of phosphate available in these bones which can be easily and usefully used as fertilizer. Some steps should be taken to set up centres for collecting bones of animals. These bones can be used for many purposes other than fertilisers.

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : The production of food can be increased when water and manure are available. It is a matter of great regret that these subjects are handled by different ministries. It creates a lot of confusion and thereby the desired results are not achieved. It is a very good thing that a co-ordinating committee of the ministries concerned has been appointed. Now what should be the aim of this committee. The aim of this committee should be to chalk out such schemes by which production could be increased in our country.

We see that the price of gur is increasing day by day. But why the price of gur is increasing. It is increasing because Punjab, Haryana and Madhya Pradesh had a plan to use it for distillation purposes. The result of it has been that it has increased inconvenience to the people. That is the reason why Madras and Bombay Governments have put restrictions on the use of gur for distillation. On the one hand we are against this thing centimentally that there should be control over gur on the other hand the farmers want that they should also get more benefit. Therefore if Government wants that distillation should continue the farmer should also get the benefit. But one thing is sure that if this thing will go on then the crisis of sugar is bound to be there in the country.

Now I will come to sugar. So far as sugar is concerned there is a confusion in it. The price of sugar is different at different places. At some places sugar-cane is being sold at Rs. 5 per quintal and at other places it is being sold at Rs. 18 per quintal. The farmer will not sell his sugar-cane at the lowest price. Similarly the sugar is being sold at different rates at different places. At some places it is being sold at Rs. 1.75 per kilo while at other places it is being sold at Rs. 5 per kilo.

Therefore it is necessary that a uniform policy regarding the price of sugar-cane and sugar is formed for the whole country.

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : हमें इस वर्ष के खाद्य-उत्पादन से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। यह अनाज का अधिक उत्पादन सरकार के सभी प्रयत्नों के कारण हुआ है किन्तु मुख्यत: यह अच्छी वर्षा के कारण है। अत: हमें वर्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें उचित सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

छोटी, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार सिंचाई के लिए कुछ कुएं, नलकूप और पम्पिंग सेट लगाने जा रही है। लेकिन हम अब तक केवल 10 प्रतिशत कुएं ही बना सके हैं। इस समय कुएं 50 प्रतिशत राजसहायता-योजना के अधीन खोदे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में परिवर्तन किया जाना चाहिए। कुओं की खुदाई का काम खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए, किसानों को नहीं और सरकार को इसके लिए 100 प्रतिशत राजसहायता देनी चाहिए।

बाढ़ों के कारण प्रतिवर्ष भारी पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ों पर काबू पाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए।

सरकारी फर्मों की संख्या बहुत कम है। इनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक कृषि-कार्य होना चाहिए। और मिट्टी-परीक्षण आदि की सुविधायें वहां होनी चाहिए। इन कृषि-फार्मों में अधिक अच्छे बीजों के वितरण तथा विस्तार-सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

गांवों में 90 प्रतिशत गोबर जलाया जा रहा है। ग्रामीणों से कहना चाहिए कि वे गोबर न जलायें। हमारे देश में प्राकृतिक उर्वरकों की बहुत क्षमता है। वन विभाग से कहना चाहिये कि वह सड़ने वाले पत्तों से खाद बनायें और उसे आस-पास के गांवों में वितरित कर दें।

खाद्य-उत्पादन के लिये निर्धारित राशि को बड़ी सूझबूझ के साथ खर्च किया जाना चाहिये ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

एक या दो जिलों में ही कृषि-सुधार करने से देश को लाभ नहीं होगा। इस राष्ट्रीय चुनौती का मुकाबला करने के लिये सभी कृषि-वैज्ञानिकों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। हमारे यहां और अधिक विस्तार कार्यकर्ता होने चाहिए ताकि वे ग्रामीणों को शिक्षित कर सकें। बड़े दुःख की बात है कि हमने अभी तक अखिल भारतीय कृषि-सेवा का गठन नहीं किया है यद्यपि कृषि अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। इसे उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये यदि राज्यों की स्वीकृति जरूरी है तो यह शीघ्र ही प्राप्त की जानी चाहिये।

खाद्य-क्षेत्र समाप्त किये जाने चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : सरकार ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं किन्तु अपने अधिनियमों द्वारा सरकार ने कृषकों को नुकसान भी पहुंचाया है।

सरकार ने बीजों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है, हालांकि वह खाद्य-उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकी है। बीजों में आत्म-निर्भर होने के कारण हमारा खाद्य-उत्पादन भी बढ़ा है। दूसरे सरकार ने चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया है। पहले 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता को चीनी नहीं मिल पाती थी हालांकि वे ही गन्ने का उत्पादन करते थे। नियंत्रण

हटाये जाने के बाद 80 प्रतिशत लोग कुछ चीनी ले सकते हैं हालांकि उन्हें अधिक दाम चुकाना पड़ता है।

देश में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने के स्थान पर सरकार अधिक अनाज आयात करने की योजना बना रही है। किसानों को खाद, बिजली या नलकूप के लिए सहायता करने के लिए तो धनाभाव है किन्तु विदेशों से अनाज का आयात करने के लिए उनके पास धन की कमी नहीं है।

हमारे देश में एक मूल्य निर्धारण समिति है। किन्तु इसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें कृषि की कोई जानकारी नहीं है। सरकार को इस समिति में कम से कम एक कृषक भी नामनिर्देशित कर देना चाहिए था। फसल बीमे के मामले में भी दृढ़तापूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिये।

सरकार ने एक और बड़ी गलती की है। हमारे देश में मूंगफली की पैदावार काफी होती है। किन्तु हम इसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। मन्त्रालय में सोयाबीन के आयात द्वारा मूंगफली के मूल्य में कमी करने की बात सोची जा रही है। मूंगफली का मूल्य कम करने के फलस्वरूप इसका उत्पादन भी कम हो गया है। यह किसानों की सहायता करने का कोई तरीका नहीं है।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह छोटी सिंचाई की ओर अधिक ध्यान दे। छोटी सिंचाई के लिए धन मंजूर करते समय उन्हें अकाल तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिये। बिजली के विस्तार के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि हम सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकें।

सामुदायिक विकास योजना केवल ग्रामीणों के लिए बनाई गई है किन्तु उन्हें इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। शायद इसने कुछ धनी व्यक्तियों का विकास किया है। इसमें या तो सुधार किया जाये या इसे समाप्त किया जाये।

सरकार को शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके पंचायत समितियों और जिला परिषदों को और अधिक अधिकार देने चाहिए। सामुदायिक विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : भारतीय किसान ने इस वर्ष अपने कठोर परिश्रम तथा धैर्यशीलता द्वारा रिकार्ड फसल पैदा की है और मैं इसके लिये उसकी प्रशंसा करता हूं। इसका सारा श्रेय भगवान को ही देना भारतीय किसान के प्रति अन्याय करना है।

भूमि सुधार के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने कहा है कि इन बीस वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यदि आप गत बीस वर्षों का इतिहास पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस सरकार ने ही जमीदारी समाप्त करने का एक क्रान्तिकारी कदम उठाने में पहल की थी। भूमि सुधार के

काम के लिए अनेक राज्यों में विभिन्न अधिनियम बनाये गये थे किन्तु इन अधिनियमों के कार्यान्वयन की गति एक जैसी नहीं रही है। देश के विभिन्न भागों में अभी बहुत कुछ करना शेष है। मैंने सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं जिसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि कौन-कौन से विधान अभी बनाने बाकी हैं और उन विभिन्न राज्यों में बनाये गये अधिनियमों का कार्यान्वियन कितना बाकी है।

मैं महसूस करता हूं कि इस देश में आमूल भूमि सुधार करने की आवश्यकता है। काफी लोगों के पास बड़े-बड़े खेत हैं और बहुत से लोग खेतों में मेहनत करते हैं किन्तु उनके पास भूमि का कोई टुकड़ा भी नहीं है। इस समय भूमि प्रणाली में यह दोष है जिसे दूर करना होगा? अन्यथा परिस्थितियां हमें भूमि सुधार करने पर बाध्य कर देंगी और इससे देश के सामाजिक संतुलन को हानि होगी।

जहां कहीं अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है वहां हम कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि जिन क्षेत्रों में भूमि पर अधिक बोझ है वहां लोगों को बसाया जा सके। परती भूमि तथा दूसरे इलाकों के सुधार की योजना बनाई जा रही है लेकिन हमारे सामने आर्थिक कठिनाइयां भी हैं।

हमारी खाद्य समस्या हल करने के लिये कृषि ही मुख्य आधार है और हमारी कृषि तथा खाद्य सम्बन्धी कोई भी नीति हमारे किसान के अनुकूल होनी चाहिए। अभी तक हमारे शिक्षित लोग गांवों को छोड़कर शहरों में जाते रहे हैं। कृषि में नई क्रान्ति, रासायनिक उर्वरकों तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उत्पादन के कारण लोग शहरी क्षेत्रों से देहातों में जाने लग गये हैं। यह एक स्वागत योग्य लक्षण है कि हमारे शिक्षित नवयुवक गांवों की ओर ध्यान दे रहे हैं और कृषि का कार्य कर रहे हैं।

भूमि सुधार के बाद कृषि के लिये सिंचाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज अच्छे उर्वरक आदि उसी समय जरूरी होंगे जब सिंचाई सुविधायें उपलब्ध होंगी। अतः सिंचाई को प्राथमिकता देनी होगी। छोटी सिंचाई के लिए अधिक से अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिये बैंक आफ इण्डिया ने 31 मार्च, 1967 तक दिये गये कुल 587 करोड़ रुपए के ऋणों में से 217 करोड़ रुपये विभिन्न कृषि-कार्यों के लिए दिये। यदि दूसरे वाणिज्यिक बैंक भी ऐसा ही करें तो मेरे विचार में ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें काफी हद तक पूरी हो जायेंगी।

सिंचाई के बाद अनुसंधान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों ने बीज, पशु पालन, चारा आदि के अनेक क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने विदेशों से जो कुछ प्राप्त किया उसमें भी सुधार कर लिया है। यह भी ध्यान रहे कि हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा अनाज की बहुत अधिक किस्में हैं। उदाहरणार्थ दालें किसी भी दूसरे देश में पैदा नहीं की जातीं और हमारे वैज्ञानिक दालों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं।

अनुसंधान के परिणामों की जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए। आजकल किसान बहुत जागरूक है और वह हमें गफलत में नहीं पड़ने देगा। वह हमारे ऊपर दबाव डालेगा और हमें काम करना ही होगा।

हमारा बीज-उत्पादन सन्तोषजनक रहा है। बीज के उत्पादन और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य-सरकारों की है। हमने बीज फार्म स्थापित किये हैं और ये फार्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिये पर्याप्त बीज उपलब्ध किए जा सकेंगे।

यह सच है कि हमारे देश में उरर्वकों की प्रति व्यक्ति खपत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। किन्तु हम प्रति वर्ष रासायनिक उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ा रहे हैं। कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक विदेशों से भी मंगाये जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में उर्वरक पहुंचाने में कठिनाई होती है किन्तु राज्य सरकारें निकटतम विकास खण्डों में पर्याप्त उर्वरक जमा रखने का प्रयत्न करती हैं।

खाद के बारे में हमें कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, मृत पशुओं के शरीर, हड्डी आदि का भी प्रयोग करना होगा। मैंने इन सभी बातों के सम्बन्ध में योजना आयोग से बातचीत की है। हम ऐसी सामग्री का अधिक से अधिक लाभ उठायेंगे।

हमारे यहां ट्रैक्टरों की कमी है। हम अपने देश में 15000 से 18000 ट्रैक्टर बना सकते हैं। हम कुछ ट्रैक्टरों को आयात करने का विचार रखते हैं। फिर भी ट्रैक्टरों की कमी बनी रहेगी और हमें अपने देश में और अधिक ट्रैक्टर बनाने चाहिये। हाल ही में हमने ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी है। इस बारे में कई दल छानबीन कर रहे हैं और निकट भविष्य में नये-नये यूनिट स्थापित किये जायेंगे।

ट्रैक्टरों और पम्पों के रखरखाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और अन्य राज्यों में कृषि सम्बन्धी उद्योग स्थापित किये जाने के कारण ट्रैक्टर, पम्प आदि को किराया-खरीद आधार पर लेने की सुविधा मिल सकेगी। चलती फिरती 'मरम्मत दुकानें' चालू करने की भी प्रार्थना की गई है ताकि मामूली खराबी होने पर किसान को ट्रैक्टर वर्कशाप में न ले जाना पड़े।

फसल बीमा के बारे में कुछ समय अवश्य लग गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत करनी होगी क्योंकि इसके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर ही होगी। हम निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पुरःस्थापित कर सकेंगे।

कीटनाशक औषधियों की उपयोगिता के प्रति हमारे अधिक से अधिक किसान जागरुक होते जा रहे हैं और आगामी मौसम में हम कम से कम दो करोड एकड़ भूमि में इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं।

इस समय केन्द्रीय सरकार भाण्डागार निगम और राज्य सरकारों को गल्ला जमा करने की क्षमता 50 करोड़ टन है और सरकार के इन गोदामों में चूहे या कीड़े आदि अनाज को बर्बाद नहीं कर पाते किन्तु अनाज की बर्बादी तो खास तौर पर छोटे किसानों के घरों और खेतों में होती है। अतः हम एक ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं जिनके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के बहुत से छोटे बड़े गोदाम कायम किये जा सकें जिनमें किसान अपना अनाज रख सकें ताकि उपयुक्त मूल्य मिलने पर वे अपना अनाज बेच सकें।

कृषि मूल्य आयोग ने और हमारे देश के बहुत से अर्थ शास्त्रियों ने इस वर्ष की अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के वसूली मूल्यों में कमी करने की सिफारिश की है ताकि कीमतों में कुछ कमी करके हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधार सकें। हमने पिछले वर्ष की तरह गेहूं का वसूली मूल्य 76 रुपये से 81 रुपये नियत किया है। जितना गल्ला प्राप्त होगा उसे हम वसूली मूल्य पर खरीदेंगे जिससे कि अनाज के भाव और अधिक न गिरने पायें। अनाज राज्य सरकार, खाद्य निगम या सहकारी व्यापारिक समितियों द्वारा खरीदा जाता है।

सहकारी समितियों में काफी त्रुटियां और दोष हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस शिकायत में कोई सार नहीं है कि सहकारी समितियों के जरिये जो ऋण या खाद आदि की सुविधायें दी जाती हैं वे बड़े-बड़े किसानों को ही दी जाती हैं। हमें छोटे-छोटे किसानों को भी इससे लाभ पहुंचाने के विषय में सोचना चाहिये। सहकारी समितियों के जरिये दी जाने वाले ऋण की राशि प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। गत वर्ष सहकारी समितियों ने किसानों को लगभग 450 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इस वर्ष 100 करोड़ रुपये और अधिक दिये जा रहे हैं। यह ऋण कृषि वित्त निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी उपलब्ध हो सकेगा। जब तक सहकारी समितियों में ये कमियां रहेंगी तब तक हम प्रत्येक कार्य उन्हें नहीं सौंप सकते। अतः हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही होगी। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य किया है और कर रहा है।

जब खाद्य निगम चालू किया गया था तब देश में अनाज की काफी कमी थी और इसलिये इसे अधिक गल्ला जमा रखने का मौका नहीं मिला। इस निगम को अब पहली बार यह जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है और यह बहुत बड़ा काम है। आरम्भ में यह निगम अपनी तैयारियों में लगा हुआ था और अब वह अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभा सकेगा।

यह निस्सन्देह कोई खुशी की बात नहीं है कि हम अनाज के मामले में अन्य देशों पर निर्भर रहें। जब तक हमारे यहां खाद्यान्न का काफी सुरक्षित भण्डार जमा नहीं हो जाता तब तक हमें अपने देश के व्यापारियों की दया पर ही आश्रित रहना होगा और हमें खाद्यान्न का आयात करना होगा। हमने लगभग 20 लाख टन अनाज जमा कर लिया है। अगले अक्तूबर तक हम केन्द्र और राज्यों में लगभग 30 लाख टन अनाज जमा कर लेंगे।

कुछ सदस्यों को यह कहने का शौक है कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार, कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के बीच भेदभाव बरतती है। जहां कहीं पर्याप्त चावल नहीं भेजा जा

सकता वहां हम गेहूं भेज कर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। राज्यों को भेजे जाने वाले कुल चावल में से 45 प्रतिशत से भी अधिक और कभी-कभी 50 प्रतिशत से भी अधिक चावल केरल को ही भेजा जाता है जबकि केरल एक गैर-कांग्रेसी राज्य है। एक तरह से यह केरल के साथ ही पक्षपात किया जा रहा है।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार-कार्य अथवा सामुदायिक विकास कार्य के वास्ते उचित व्यवस्था करनी होगी। सम्पूर्ण सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर पुनर्विचार होना चाहिये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने तथा गावों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ठीक ढंग से चलाने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन करने का मेरा विचार है।

खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करना अभी कोई जरूरी नहीं है। यह रबी की फसल का मौसम है और जहां तक रबी की फसल वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां हमने खाद्यानों को लाने-ले जाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हटा दिये हैं। खरीफ की फसल वाले खाद्य क्षेत्रों के बारे में खरीफ की फसल आने पर ही विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
30	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	1,35,03,000
31	कृषि	8,63,95,000
32	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	12,14,38,000
33	वन	1,38,83,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	20,79,78,000
114	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	5,62,24,34,000
115	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	22,45,92,000

वर्ष 1968-69 के लिये इस्पात, खान और धातु मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
72	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय	33,16,000
73	भूगर्भ सर्वेक्षण	9,17,38,000
74	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	14,49,05,000
125	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,16,88,79,000

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर): पिछले एक वर्ष में इस मंत्रालय की सभी ओर से बड़ी आलोचना हुई है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सरकारी क्षेत्र की 36 प्रतिशत आस्तियों पर नियन्त्रण है किन्तु सरकारी क्षेत्र के इन यूनिटों के अदक्षतापूर्ण कार्य संचालन के कारण सरकारी क्षेत्र के नाम पर धब्बा आ गया है। 1967-68 में ही हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें प्रबन्ध, श्रमिकों और मशीनों के सम्बन्ध में काफी झगड़े हुए हैं।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के कार्य-संचालन का सम्बन्ध है, भारत की साख बहुत कम हो गई है। हमारी सहायता करने वाले और हमसे सहयोग करने वाले देश भी हमारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं।

इन संगठनों के कार्य संचालन के दोषों की छानबीन करने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न आयोग नियुक्त किये। दुर्गापुर इस्पात परियोजना की त्रुटियों की छानबीन करने के लिए ब्रिटिश विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित किया गया था। माननीय मंत्री स्वयं ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गये थे। किन्तु क्या मंत्रालय वास्तव में इस संगठन में आवश्यक सुधार करना चाहता है और क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की ओर ध्यान दिया है? मंत्री महोदय ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में एक पत्र प्रस्तुत किया है। किन्तु इसमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की अदक्षता को छिपाने का प्रयास किया गया है।

अदक्ष कार्य-संचालन के लिए कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में मूल्य-ह्रास और ब्याज के लिए अधिक विस्तृत व्यवस्था करनी होगी। यह बड़ी अजीब दलील है। एक नये कारखाने में अधिक पूंजी लगायी जाती है और वहां ब्याज की दर अधिक होती है और वहां पर समकारी किफायत इतनी होती है कि वह मूल्य ह्रास और ब्याज की रकम को ही पूरा नहीं करती बल्कि कार्यकुशलता भी बढ़ाती है। वैसे भी एक नये कारखाने में बनी चीजें सस्ती होती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जहां तक उचित सरकारी किफायत का सम्बन्ध है, एक आधुनिक कारखाने में सर्वप्रथम तो मनुष्य की शक्ति की बचत होती है। अन्य देशों में 10 लाख टन उत्पादन करने वाले कारखाने में लगभग 6000 लोग काम करते हैं। किन्तु भारत के लिए 10,000 व्यक्तियों को पर्याप्त समझा गया है। भिलाई में उत्पादन के लिए 18,000 व्यक्ति और दुर्गापुर तथा राउरकेला में 15,000 व्यक्ति काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अतिरिक्त घण्टों के काम करने के लिए भी भारी भुगतान करते हैं। इस प्रकार हमारा लाभ खत्म हो जाता है।

भारतीय इस्पात उद्योग में वस्तु-सूची सम्बन्धी आंकड़े (इन्वेन्टरी) बहुत अधिक हैं। वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार इन तीनों कारखानों के ये आंकड़े लगभग 110 करोड़ रुपयों थे। इन 110 करोड़ रुपयों में से लगभग 70 करोड़ रुपये फालतू पुर्जों तथा स्टोर्स पर लागत खर्च के हैं।

इन तीनों कारखानों में फालतू पुर्जों तथा स्टोरों पर कुल वार्षिक खर्च केवल 30 करोड़ रुपये आता है। मंत्रालय तथा ये कारखाने इसमें से (110 करोड़ रुपये की राशि में से) कम से कम 40 करोड़ रुपये तक घटा सकते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि इन आंकड़ों में 40 करोड़ रुपये की कमी करने से सरकार को कम से कम 6 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और इससे इन इस्पात कारखानों का नक्शा ही बदल जायेगा।

इन कारखानों में कुव्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर चोरियां होती हैं। पांडे आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि वर्ष 1965-66 में केवल दुर्गापुर में ही 81 लाख रुपये की कमी पाई गई थी। इन चोरियों को रोकना जरूरी है।

एक नये आधुनिक कारखाने की स्थिति पुराने कारखाने की अपेक्षा अच्छी समझी जाती है क्योंकि ऐसे कारखाने में सभी चीजें आधुनिक होती हैं इस कारण उसमें माल की लागत अवश्य कम होगी और कच्चे माल की खपत भी जरूर कम होगी लेकिन हमारे देश में स्थिति बिलकुल उल्टी है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयम की तुलना में टिस्को और इंडियन आयरन एण्ड स्टील के पुराने संयंत्र की वस्तु लागत कम है।

इसके अलावा घटिया माल की जिसे रद्द किया जाता है, प्रतिशतता काफी अधिक है। 7 या 8 साल काम करने के बाद भी विभिन्न प्रक्रमों पर रद्दी माल इतना अधिक निकलता है कि उसका लाभ पर भी काफी असर पड़ता है। प्रशासनिक सुधार आयोग और सार्वजनिक उपक्रम समिति ने इस रद्दी माल के बारे में गम्भीर टिप्पणियां की हैं।

मंत्री महोदय ने तर्क दिये हैं कि मूल्य-ह्रास तथा ब्याज अधिक होने का एक कारण यह भी है कि वर्तमान इस्पात कारखाने अपनी अधिकतम क्षमता तक काम नहीं करते। यदि यह सच है तो हमें वर्तमान इस्पात कारखानों का विस्तार करने की आवश्यकता ही क्या है। इस संदर्भ में,

मैं विशेषत: बोकारो इस्पात कारखाने का जिक्र करना चाहता हूं। जब स्थिति ऐसी है तो इस समय बोकारो इस्पात कारखाने को बनाने की जरूरत क्या थी और उसमें औचित्य क्या है। उसकी क्षमता कई वर्षों तक बेकार पड़ी रहेगी और जब उसमें पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन होने लगेगा, तब तक संभव है, वह कारखाना ही पुराने किस्म का हो जाएगा। इसलिए वर्तमान कारखानों का विस्तार करने का तो औचित्य हो सकता है लेकिन ऐसे नए कारखानों को जिन पर करोड़ों रुपए की लागत आती है और उनकी निर्धारित क्षमता तक पहुंचने में ही कई वर्ष लग जाते हैं, कोई औचित्य नहीं है क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है कि वह इतनी अधिक पूंजी लगाकर कई वर्षों तक इन्तजार नहीं कर सकता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के गलत कार्यों का एक और उदाहरण है। उर्वरकों, ढले हुए पाइपों और मिश्रित इस्पात जैसे बाइप्रोडक्ट यूनिटों से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सन्तुलन पत्र में 217 करोड़ रुपये का संचित घाटा दिखाया गया है जो अत्यधिक असंगत तथा भ्रान्तिजनक है। उपोत्पाद कारखाना इसलिए लगाया जाता है कि वह कर्म खर्चीला होगा। यह कम खर्चीला क्यों है ? क्या यह कहना पर्याप्त है कि हमें इन कारणों से घाटा हो रहा है ? इन कारखानों को बोझ बनने के बजाय लाभ देना चाहिए था। उर्वरकों का मामला लीजिये, रुरकेला में 5·8 लाख टन क्षमता का एक कारखाना लगाया गया जो 1962 में चालू किया गया। इसे लगाते समय अनुमान लगाया गया था कि 5·8 लाख टन उर्वरक तैयार करने के लिए अपेक्षित कोक भट्टी गैस इस इस्पात कारखाने से उपलब्ध हो जायेगी लेकिन कारखाने के तैयार होने पर पता चला कि गैस उपलब्ध नहीं है, इसके परिणामस्वरूप सारी योजना, डिजायनिंग तथा अनुमान ढेर हो गये। लेकिन ऐसी स्थिति में नेफ्था संयंत्र लगाया जा सकता था—मंत्रालय का वर्ष 1963 में यही दृष्टिकोण था। किन्तु पांच वर्ष गुजरने के बाद आज तक भी वह कारखाना नहीं लगा। इसी प्रकार ढले हुए पाइपों का मामला है। इस कारखाने को 4 करोड़ रुपये की लागत पर तैयार किया गया और ताज्जुब की बात यह है कि उसमें भी जो काम हो रहा है वह केवल उसकी क्षमता का 20 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि कारखाने की स्थापना केवल इंडियन आयल कारपोरेशन की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई है और उसमें अधिक व्यास के कुछ विशेष पाइपों का निर्माण हो रहा है। किन्तु सरकार उपके उत्पादों में विविधता लाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है और उसमें प्रति वर्ष घाटा हो रहा है।

घाटे के मामले में चाहे कुछ भी तर्क दिया जाये, हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे देश में उन देशों की अपेक्षा जो हमारे यहां से कच्चे माल का आयात करते हैं कच्चा माल ज्यादा सस्ता है। मंत्री महोदय ने एक और तर्क यह दिया है कि वर्ष 1967-68 में घाटा खास तौर पर इसलिए ज्यादा हुआ था क्योंकि दुर्गापुर और रूरकेला में जबरदस्त श्रमिक उपद्रव हुआ था। इस सम्बन्ध में मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है कि इससे स्पष्टत: जाहिर है कि सरकारी क्षेत्र जो श्रमिकों का संरक्षक होने का दावा करता है, मालिक तथा मजदूरों के बीच

अच्छे सम्बन्ध कायम नहीं रख सका। वास्तव में मजदूर मालिक सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र में ज्यादा अच्छे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें इस्पात मंत्रालय बुरी तरह असफल रहा है, यह है कि दस वर्ष के बाद भी यह मंत्रालय प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति तैयार नहीं कर सका है और वह विभिन्न विभागों से डेपुटेशन पर आये हुए उन अधिकारियों पर ही पूर्णतः निर्भर है जिन्हें उद्योगों का तकनीकी ज्ञान नहीं है। मंत्रालय वास्तविक अर्थ में प्रबन्धक संवर्ग तब तक तैयार नहीं कर सकेगा जब तक कि वह इस मामले में कुछ और मूलभूत सुधार न कर ले। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार समिति ने इस बारे में सरकार की नीति की बहुत कड़ी आलोचना की है।

बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना इस समय अनुचित है क्योंकि उससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बोझ पड़ता है और देश के लोग इतने भारी घाटे पूरे करने के लिए लगाये जाने वाले करों को बर्दास्त नहीं करेंगे।

हिन्दुस्तान स्टील के लोगों में यह भावना भरना आवश्यक है कि वे तब तक ही काम पर रहेंगे जब तक उनका काम ठीक होगा और लाभ होता रहेगा। उन्हें लाभ और लागत के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह व्यवस्था करनी जरूरी है कि भविष्य में यदि ये परियोजनाएँ अपना विस्तार करना चाहें तो उसके लिए उन्हें स्वतन्त्र रूप से बाजार से साधन जुटाने होंगे और उन्हें सरकार से ऋण अथवा शेयरों के रूप में कोई धन नहीं दिया जायेगा।

जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास के कार्य का सम्बन्ध है, सरकारी उपक्रम समिति ने इस निगम की कड़ी आलोचना की है। वर्ष 1965-66 में उसका लक्ष्य पहले 3 करोड़ 5 लाख टन था फिर बाद में उसे घटाकर 2 करोड़ 24 लाख टन कर दिया गया लेकिन वास्तविक उत्पादन केवल 1 करोड़ 12 लाख टन ही हुआ है। परिणामस्वरूप 68.2 प्रतिशत आदमी और मशीन बेकार पड़ी रहीं और यह स्थिति ग्यारह वर्ष काम करने के बाद है, वस्तु-सूची पर भी कोई नियन्त्रण नहीं है। यहां (निगम) भी कर्मचारी आवश्यकता से बहुत अधिक भरे हुए हैं। अनुमान यह लगाया गया था कि पूरे उत्पादन के लिए 12,074 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि तिहाई उत्पादन के लिये 12,074 नहीं बल्कि 14,612 श्रमिक रखे हुए हैं।

कोयले के सम्बन्ध में भी मन्त्रालय ने गलत हिसाब लगाया। उसने कहा कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में कोयले की कुल आवश्यकता 12 करोड़ 50 लाख टन होगी, फिर पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर उसे 10 करोड़ टन बताया और अब 8 करोड़ से लेकर 8 करोड़ 20 लाख टन तक बता रहा है। वास्तव में इस उद्योग ने अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया है और अब 10 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 80 लाख टन तक उत्पादन कर सकते हैं लेकिन अब इसकी मांग ही नहीं है। जब इस उद्योग को हाल में इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा, तो मंत्री जी ने

चुपचाप उस पर से नियंत्रण हटा लिया । अब इस उद्योग की कमजोर स्थिति का ग्राहक विशेषत: रेलवे मन्त्रालय और भारतीय उर्वरक निगम लाभ उठाना चाहते हैं और स्थिति यह है कि काफी बातचीत के बावजूद भारत का उर्वरक निगम अभी तक कोयले का मूल्य निर्धारित नहीं कर सका है । इसकी उचित कीमत शीघ्र निश्चित की जानी चाहिए ताकि इस उद्योग के लिए संकट पैदा न होने पाये ।

कोयले को लाने-ले जाने की भी एक समस्या बनी हुई है । उसे ढोने के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध नहीं है, उपभोक्ता और उद्योग दोनों को नुकसान हो रहा है । क्योंकि स्टॉक खान-मुहानों पर ही जमा होता जा रहा है । इसलिये मंत्री महोदय को रेलवे माल-डिब्बे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

लोहा तथा इस्पात विभाग के प्रतिवेदन में अनुदानों की मांगों में कहा गया है कि 1968-69 में अधिकारियों का वेतन 5,67,400 रुपये होगा जब कि 1967-68 में इसकी संशोधित राशि 4,76,300 रुपये थी । इसी प्रकार कर्मचारियों के वेतन की राशि भी 3,26,400 रुपये से बढ़कर 4,00,700 रुपये हो गयी है । इतनी वृद्धि केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने के कारण नहीं हो सकती । इसका मतलब है अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गये हैं । मन्त्री महोदय को इस वृद्धि का कारण बताना जरूरी है ।

ब्यूरो आफ माइन्स पर कुल खर्च 30,51,000 रुपये से बढ़कर 45,94,000 रुपये हो गया है, खर्च में यह वृद्धि भी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के कारण हुई है जहां बड़े आराम से मितव्ययिता की जा सकती है ।

इस्पात पर से नियन्त्रण हटाये जाने के बाद लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक का काम बहुत कम हो गया है । वहां भी खर्चे में काफी कमी की जानी चाहिए थी, किन्तु केवल 1 लाख रुपये की ही मितव्ययिता की गई है और अभी 10-15 लाख रुपये की कम खर्ची की गुंजाइश है, मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक कोयला नियंत्रक के कार्यालय का सम्बन्ध है, कोयले से नियंत्रण हटा लिया गया है और कोयला नियंत्रक के लिए अब कोई काम नहीं रह गया है । इस कार्यालय का शीघ्र समापन किया जाना चाहिए लेकिन मन्त्री जी इसे और आगे छः महीने तक जारी रखना चाहते हैं जो 20 लाख रुपये की फिजूल खर्ची है ।

उत्तर प्रदेश में संवैधानिक स्थिति के बारे में
RE: CONSTITUTIONAL SITUATION IN U. P.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, I have a submission to make in regard to political situation in U. P. The Governor's Report has already appeared in the Press. The S. V. D. is in a majority there and they are prepared even to produce their supporters physically before the Governor or the President to substantiate their claim. But the Governor is

determined to recommend nothing less than the mid-term polls in the State, and this gesture is opposed both by the S. V. D. and the State Congress party. Now we seek your protection. The whole report of the Governor should be placed before the House and we should know why, when both sides—the S. V. D. and the Congress party—are against the mid-term polls and are prepared to form their Government, cannot one party be given a chance to do so and to prove that they can do so.

उपाध्यक्ष महोदय : राज्यपाल ने क्या रिपोर्ट दी है और राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेंगे, इस प्रश्न पर सभा में इस समय कैसे विचार-विमर्श किया जा सकता है ? संविधान के अन्तर्गत इस विवाद को इस समय यहां नहीं उठाया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय की चिन्ता से सहमत हूं, लेकिन जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, हम मामले की वर्तमान स्थिति में उस पर यहां विचार-विमर्श नहीं कर सकते।

अनुदानों की मांगें, 1968-69—जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—Contd.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मेरे पूर्व वक्ता ने सरकारी इस्पात कारखानों की असफलता का सारा दोष सरकार के सिर मढ़ दिया है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि सरकारी इस्पात कारखानों ने अच्छा काम नहीं किया है तो गैर-सरकारी इस्पात कारखानों ने एक या दो को छोड़ कर उससे भी ज्यादा खराब काम किया है और उनमें से अधिकतर कारखानों की स्थिति अति संकटग्रस्त है जिनका टिकना भी कठिन लगता है। इसलिए सारा दोष सरकार पर ही नहीं डाला जा सकता। हां, इस बात को मैं मानती हूं कि टाटाओं ने निश्चित रूप से अपने इस्पात कारखानों का प्रबन्ध अच्छा किया है क्योंकि वे अपने कारखानें चलाने के लिये बहुत अच्छी पदालि का निर्माण कर चुके हैं। इस असफलता का मुख्य कारण यह रहा कि सरकार ने शुरू से ही एक भारी भूल यह की कि उसने इस्पात को परिवहन, रेलवे तथा अन्य मूल वस्तुओं की तरह एक प्रमुख वस्तु मान लिया है। लेकिन आधारभूत वस्तुएं बिलकुल अलग नहीं रह सकतीं। उनका एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए सरकार को समझ लेना चाहिए था कि किसी भी इस्पात कारखाने को स्थापित करने लिए आधारभूत कसौटी यह है कि उससे एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो जाये और जिसकी कोई भी कड़ी तब तक न टूटने पाये जब तक कि उसका सम्पूर्ण उपरि ढांचा अस्त-व्यस्त नहीं होता। यदि हमारे सर्वांगीण आर्थिक क्षेत्रों में निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली गई होती, तो इस्पात के सम्बन्ध में भी हमें कठिनाई नहीं होती। लेकिन जब अन्य कई क्षेत्रों में लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इस्पात कारखानों में भी गड़बड़ी होना अवश्य-म्भावी था। इस्पात कारखाना स्थापित करना ऐसा पेचीदा तथा मुश्किल काम है कि एक बार उसे बनाए जाने के बाद उसमें रातोरात फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसलिए एक क्षेत्र में गड़बड़ी होने से इस्पात कारखाने के क्षेत्र में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस मन्त्रालय का सम्बन्ध कई विभिन्न वस्तुओं यथा कोयला, खनिज पदार्थ, धातु कर्म विकास, चूना-पत्थर आदि कई वस्तुओं से है। इसलिए हर वस्तु को लेकर यह कहना कि अमुक

वस्तु के सम्बन्ध में मन्त्रालय का काम अच्छा रहा है और अमुक के सम्बन्ध में अच्छा नहीं रहा है, बड़ा कठिन है। यदि किसी एक कड़ी में कोई गड़बड़ है, तो इससे सारी जंजीर में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। यही इस मन्त्रालय की कहानी का निचोड़ है।

इस्पात कारखाना या किसी भारी उद्योग के लिये हमें यह बात पहले ही ध्यान में रखनी चाहिए थी कि हमारी अर्थव्यस्था काफी पिछड़ी, असंगठित तथा अस्त-व्यस्त है, इसके आलावा प्रादेशिक दबाव भी हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। जब ये सभी योजनाएं बनाई जा रही थीं, तो व्यावहारिकता कार्य जिस पर विदेशों में इतना अधिक ध्यान दिया जाता है और विस्तारपूर्वक निष्पादित किया जाता है, हमारे यहां नहीं किया गया। आज भी व्यावहारिकता कार्य, किसी उद्योग समूह की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रश्न पर सन्तोषजनक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता।

आज कल मूल समस्या यह है कि प्रत्येक विभाग को अलग-अलग काम करना पड़ता है, प्रत्येक विभाग में उन्होंने इतने अधिक निहित स्वार्थ पैदा कर दिये हैं कि कोई भी चीज एक विभाग से दूसरे विभाग में नहीं जा सकती जब तक कि उस विभाग में अधिकारी विशेष इसकी अनुमति न दें। उसके मिथ्याभिमान को सन्तुष्ट करना जरूरी है। इस मिथ्याभिमान-प्रधान व्यवस्था ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। आज का युग विषय विशेषज्ञता का है किन्तु हमारा सिविल कर्मचारी किसी भी काम के लिये योग्य समझा जाता है—उसे आज किसी निकाय अथवा परियोजना में जिम्मेदार अधिकारी बनाकर भेजा जाता है, कल को दूसरे विभाग में और परसों को तीसरे में, इस प्रकार वह अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। उद्योग समूहों विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उद्योग समूहों की कुयोजना का कारण ही यही रहा है कि सिविल कर्मचारी अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं और अपने को सर्वशक्तिमान समझते हैं। सारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए राजनैतिक निर्णय की जरूरत है न कि प्रशासनिक निर्णय की। वास्तव में हमारे देश में ऐसी परिपाटी चल गई है कि किसी भी जटिल मशीनरी का प्रभार संभालने के लिए हर बड़े अधिकारी को योग्य समझा जाता है चाहे उसे उस बारे में किंचितमात्र ज्ञान भी न हो। सचिवालय के अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र में कारखानों के प्रभारियों के रूप में नियुक्तियां करने के अपने रवैये में हमें परिवर्तन करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि किसी परियोजना की वास्तविक आवश्यकताओं को हमेशा ही कम आंका जाता है। उदाहरण के लिये राउरकेला के विस्तार को ले लीजिये। मूल प्राक्कलन 90 करोड़ रुपये का था। रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्राक्कलनों में 44 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। यदि प्राक्कलनों में इस प्रकार से वृद्धि की जाती रही तो इसका सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राक्कलनों में एक या आधा प्रतिशत वृद्धि होने से ही मंत्री को सरदर्द बढ़ जाता है तो जहां वृद्धि 44 प्रतिशत की हो, वहां क्या स्थिति होगी। इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। दूसरे एक परियोजना के प्राक्कलनों में इतनी बड़ी वृद्धि से अन्य परियोनाओं के प्राक्कलनों में भी परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। यह परिवर्तन एक के बाद दूसरे में करना पड़ता है और यह एक कुचक्र का रूप धारण कर लेता है। अब मंत्री महोदय के सामने

समस्या यह है कि इस विषम परिस्थिति से कैसे निकला जाये। औद्योगिक और खनिज विकास कार्यक्रम की लागत 1800 करोड़ रुपये से बढ़कर 2800 करोड़ रुपये हो गई है। अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिये लक्ष्यों अथवा परियोजनाओं में हेर-फेर उतना ही किया जाना चाहिये जितना आसानी से सम्भव हो सके। यह भारतीय मुद्रा के विनियोजन का प्रश्न नहीं है बल्कि विदेशी मुद्रा के विनियोजन का प्रश्न भी है। हमारे यहां विदेशी मुद्रा का अभाव है। केवल बोकारों में ही 960 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा लगने का अनुमान था जो किसी भी समय बढ़कर 1000 करोड़ रुपये के मूल्य की हो सकती है। यदि प्रतिवर्ष केवल इस्पात पर 1000 करोड़ की मुद्रा खर्च की जायेगी तो अन्य मदों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा कहां से आयेगी ?

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। धातु-सम्बन्धी सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किये जाने चाहिये। स्टीयरिंग ग्रुप, जो उनके मंत्रालय में है, को अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिये। परियोजा का लागत-अध्ययन परियोजना पर काम शुरु होने से पूर्व किया जाना चाहिये। सरकारी परियोजनाओं की लागत में हेर-फेर करने के सम्बन्ध में सम्भाव्य अध्ययन किये जाने चाहिये। आंकड़े एकत्र करने का काम भी सुचारू रूप से किया जाना चाहिये। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में तकनीकी विशेषज्ञों का योगदान होना चाहिये। इसलिये एक तकनीकी काम करने वाला दल की स्थापना तत्काल की जानी चाहिये। तकनीकी काम के लिये योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये। अतः सरकारी परियोजनाओं में सेवाओं के लिये भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये। हमें एक ऐसा संवर्ग तैयार करना चाहिये जो इस परियोजना का प्रबन्ध ठीक प्रकार से कर सके और उसे कुशलतापूर्वक चलाये। आजकल विश्व मंडी में लौह-अयस्क के गुटकों की मांग अधिक है। अतः तैयार माल के निर्यात के बजाय हमें गुटकों अथवा अर्ध-निर्मित माल का निर्यात करना चाहिये अब स्वेज नहर बन्द है। अरब देशों को इस्पात का निर्यात बढ़ाकर भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि संसद् मंत्री महोदय के भावी कार्यक्रम के निष्पादन के लिये मार्ग साफ करेगी। धन्यवाद।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	1	श्री के० एम० अब्राहम	कोयला नियन्त्रक के कार्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्भावाओं का अभाव।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	2	श्री के० एम० अब्राहम	भिलाई में निर्माण-कार्य कार्मिकों को पर्याप्त मात्रा में पीने का जल उपलब्ध न होना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	3	श्री के० एम० अब्राहम	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड में राष्ट्रीय मजदूर संघ की यूनियनें बनाने में सहायता देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	4	श्री के० एम० अब्राहम	विदेशी खान मालिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अलौह खानों का विकास न होना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	5	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारियों का गैर-सरकारी कोयले की खानों के मालिकों से सम्बन्ध ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	6	श्री के० एम० अब्राहम	लोहा और इस्पात समीकरण निधि स्थापित करने के बाद इस्पात के मूल्यों में भारी वृद्धि ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	10	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इस्पात संयंत्रों में स्थानीय इंजीनियरों और कार्मिकों को नौकरी में तरजीह देने में असफलता ।	100 रुपये
72	11	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इस्पात संयंत्रों में लगे इस्पात के ढेर को बेचने या निर्यात करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	12	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, खेतरी के कार्मिकों की यूनियन को मान्यता देने में असफलता ।	100 रुपये
72	13	श्री के० एम० अब्राहम	बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्य में विलम्ब ।	100 रुपये
72	14	श्री के० एम० अब्राहम	पुलिस की जांच के फलस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को सताना ।	100 रुपये
72	15	श्री के० एम० अब्राहम	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन चलने वाले भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में कार्य करने वालों को पर्याप्त आवास सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	100 रुपये
72	16	श्री के० एम० अब्राहम	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन परियोजनाओं में निर्माण-कार्य के लिए ठेके के मजदूरों का उपयोग ।	100 रुपये
72	17	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	100 रुपये
72	18	श्री के० एम० अब्रांहम	दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
72	19	श्री के० एम० अब्राहम	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	20	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धाधीन खानों में काम बन्द होना ।	100 रुपये
72	21	श्री के० एम० अब्राहम	कोयले के विनियन्त्रण के भयंकर परिणाम ।	100 रुपये
72	22	श्री के० एम० अब्राहम	रतिबति कोयला खान के कार्मिकों और प्रबन्धकों के विवाद को निपटाने में असफलता ।	100 रुपये
72	23	श्री के० एम० अब्राहम	करघाती के कोयला धोने के कारखाने में कुप्रबन्ध ।	100 रुपये
72	24	श्री के० एम० अब्राहम	भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों की श्रम-विरोधी नीति ।	100 रुपये
72	25	श्री के० एम० अब्राहम	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों की श्रम-विरोधी नीति ।	100 रुपये
72	26	श्री के० एम० अब्राहम	राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों की श्रम-विरोधी नीति ।	100 रुपये
72	27	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की श्रम-विरोधी नीति ।	100 रुपये
72	28	श्री के० एम० अब्राहम	खेतरी तांबा परियोजना, खेतरी के प्रबन्धकों की श्रम-विरोधी नीति ।	100 रुपये
72	29	श्री के० एम० अब्राहम	इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	32	श्री के० एम० अब्राहम	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कर्मचारियों की छंटनी ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	33	श्री के० एम० अब्राहम	इस्पात पर से नियंत्रण हटाना जिसके परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ गये हैं ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
72	34	श्री के० एम० अब्राहम	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिये ब्रिटिश विशेषज्ञों पर निर्भरता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
73	35	श्री के० एम० अब्राहम	भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों की मांगों पर विचारार्थ रुचि का अभाव ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
74	36	श्री के० एम० अब्राहम	इस्पात के नियंत्रण के बाद लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों की नौकरियों के लिये संरक्षण का अभाव ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
125	37	श्री के० एम० अब्राहम	भारत में इस्पात उद्योग के विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी तथा ब्रिटेन पर निर्भर रहना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
125	38	श्री के० एम० अब्राहम	पांचवां इस्पात कारखाना कहां स्थापित करना है इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
125	39	श्री के० एम० अब्राहम	खेतरी तांबा परियोजना के लिये देश में उपकरणों के निर्माण हेतु चित्र बनाने के लिये तकनीकी सेवाओं के बारे में अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
125	40	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समाप्त किया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसी बातों की चर्चा करूंगा जिनके बारे में मंत्री महोदय कुछ नहीं कहेंगे । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की आधारभूत नीतियों और समस्याओं के विषय पर वह बोलेंगे । मैं अपने आपको कोयला उद्योग और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा । जिन समस्याओं का जिक्र श्री पाटोदिया, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने किया है और सरकारी उपक्रम समिति के दसवें प्रतिवेदन में किया गया है, उनके प्रति हम जागरूक हैं । इसका प्रमाण यह है कि 22 जुलाई, 1967 को सरकार ने एक निर्णय किया था कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की समस्याओं की जांच के लिये एक जांच समिति श्री कामथ की अध्यक्षता में नियुक्त की जाये । इस समिति ने अपना प्राथमिक आवेदन दे दिया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है । सरकारी उपक्रम समिति के तत्संबद्ध टिप्पणियों को भी कामथ समिति के पास भेज दिया जायेगा, जिससे वह उन पर भी विचार कर सके ।

जहां तक कोयले के लक्ष्य का सम्बन्ध है, तीसरी योजना की अवधि के लिये 985 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । यह लक्ष्य योजना आयोग तथा विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से विभिन्न छोटे बड़े उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था । इस्पात, सीमेंट तथा रेलवे की आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया था । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से लगभग 310 लाख टन कोयले के उत्पादन के लिये कहा गया था । जिसमें कोककर तथा अकोककर दोनों प्रकार का कोयला सम्मिलित है । यह उसके लिये बहुत बड़ा काम था । उसने पहले 27 कोयले की खानों के विकास का काम अपने हाथ में लिया इसे बहुत कठिन कार्य समझकर उसने खानों की संख्या 27 से घटाकर 16 कर दी । जब उन्होंने

16 खानों पर काम शुरू किया तो कोयले की मांग घट गई और उसे कुछ खानों पर काम बन्द करना पड़ा। भारत में कोयले की मांग प्रति वर्ष घटती जा रही है। गत वर्ष कोयले का उत्पादन 685 लाख टन था जो इस वर्ष 670 लाख टन है। न केवल हमारे देश में अपितु विश्व के अमरीका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी कोयले का उत्पादन, उसकी मांग कम होने के कारण घटता जा रहा है। हमारे देश में कोयले की मांग कम होते जाने के कई कारण हैं। जैसे इस्पात, सीमेंट, बिजली, रेलवे के लक्ष्यों में कटौती होने के परिणामस्वरूप इन उद्योगों की कोयले की आवश्यकता भी घट गई है। रेलवे ने डीजल का प्रयोग शुरू कर दिया है। अतः यह आक्षेप करना कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोयले का लक्ष्य अकेले ही बिना किसी अन्य का परामर्श लिये निर्धारित कर लिया था, गलत है। यह बात ठीक है कि कोयले की मांग से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन उसने स्वयं नहीं किया था। परन्तु अब इस प्रकार अध्ययन उसने स्वयं करना शुरू कर दिया है, जो मंत्रालय अथवा योजना आयोग के स्तर पर किया जाता है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि श्री कामथ समिति के जिन सुझावों से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी, उन पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक कोयले के विनियंत्रण का प्रश्न है, मेरा यह निवेदन है कि यह विनियंत्रण का निर्णय एकाएक नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया 1959 से चल रही थी और कोयले पर से नियंत्रण उठाने के लिये यह समय बिलकुल उपयुक्त था। यह ठीक है कि विनियंत्रण से कई समस्याएं पैदा हो गई हैं, परन्तु समय-समय के साथ ये अपने आप सुलझ जायेंगी। जहां तक कोयले के मूल्य को बढ़ाने का सम्बन्ध है, यह देखा गया कि अन्ततोगत्वा उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। फिर भी कोयले के मूल्य की समस्या को सुलझाने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है जो अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही दे सकेगी।

हमने कोयले से नियन्त्रण हटाने की जो नीति बनाई है, वह बिल्कुल सही है। कुछ स्वार्थी लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे लाभ अनुपाततः कम हो जाएगा।

कोयला नियन्त्रक के कार्यालय का काम केवल कीमतों पर नियन्त्रण करना और कोयले की ढुलाई को सरल बनाना ही नहीं है बल्कि इसके अनेक और कार्य हैं। इस समय इस कार्यालय में 28 राजपत्रित अधिकारी और कुल 609 कर्मचारी हैं। नियन्त्रण हटाने पर 5 अधिकारी और 182 अन्य कर्मचारी फालतू हो गये हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में कोकिंग कोयले के भण्डार खत्म होने वाले हैं लेकिन इस समय इस्पात कारखानों की पूरी मांग पूरी की जा रही है और बोकारो संयंत्र की मांगों को भी पूरा किया जायेगा। इस तरह कोकिंग कोयले की मांगों को हम पूरा कर सकेंगे।

सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लगने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. FIRE IN A COACH OF SEALDAH-PATHANKOT EXPRESS

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सदन को यह सूचना देते हुए मुझे खेद है कि 13-4-1968 को लगभग 19.00 बजे जब 17 अप सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी पूर्व रेलवे के आसनसोल-गया खण्ड पर स्थित चिचाकी स्टेशन (हावड़ा से 336 किलोमीटर की दूरी पर स्थित) और हजारी बाग रोड स्टेशन (हावड़ा से 346 किलोमीटर की दूरी पर स्थित) के बीच जा रही थी तो तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में, जो गाड़ी के इंजन से चौथे नम्बर पर था, आग लग गई। छः व्यक्ति, जो उस डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, चलती गाड़ी से बाहर कूद पड़े और गम्भीर रूप से घायल हो गये और मर गये। दस और व्यक्तियों को भी, जो कि गाड़ी से बाहर कूद गये थे, गहरी चोटें पहुंचीं। ग्यारह व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। इनमें से आठ को जलने से घाव आये थे। एक व्यक्ति, जिसे गहरे घाव लगे थे, बाद में धनबाद के सिविल अस्पताल में मर गया।

समुचित रूप से सर्विस किये जाने और गाड़ी निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के बाद यह गाड़ी 13-4-68 को 12.25 बजे सियालदह से चली थी। सबसे बाद में यह गाड़ी पारसनाथ स्टेशन पर खड़ी हुई थी जो हजारी बाग रोड स्टेशन से 27 किलोमीटर दूर है। गाड़ी को हजारी बाग रोड स्टेशन पर रुकना था लेकिन उसे केवल 5 किलोमीटर पहले रोक लिया गया।

सूचना मिलते ही फौरन 19.36 बजे गोमो स्टेशन से चिकित्सा सहायता गाड़ी चल पड़ी। इसी बीच, एक डाक्टर ने, जो कि उसी गाड़ी में यात्रा कर रहा था, गार्ड की सहायता से घायलों की मरहम-पट्टी की। मरहम-पट्टी करने के बाद घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता गाड़ी द्वारा धनबाद लाया गया और धनबाद के सिविल और रेलवे अस्पतालों में भर्ती किया गया।

मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह के रूप में रकम देने की व्यवस्था की जा रही है।

रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये निधियों का नियतन**

ALLOTMENT OF FUNDS TO PUBLIC SECTOR UNDERTAKING**

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : पिछले पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है। उनमें लगाई गई पूंजी से लाभ, जो 1964-65 में 3.6 प्रतिशत था, घटकर 1965-66 में 2.6 प्रतिशत हो गया। 2038 करोड़ रुपये के निवेश पर केवल

**आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion

53 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। पिछले दो वर्षों में उनकी लाभ की क्षमता और भी कम हो गई है। आश्चर्य की बात यह है कि केवल एक वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को लगभग 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह नुकसान बहुत अधिक है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम किस तरह काम कर रहे हैं।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

इन उपक्रमों को नुकसान हो रहा है और इनकी काफी क्षमता बेकार पड़ी है। फिर भी केन्द्रीय सरकार इन उपक्रमों को धनराशि दे रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस धनराशि का सही उपयोग किया जाये। उदाहरण के तौर पर हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल को 1965-66 में 6.5 करोड़ रुपये और 1966-67 में 6.77 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। फिर भी इसे लगातार विस्तार के लिए धनराशि दी गई। इसे जितना घाटा हुआ है उससे अधिक इसका विस्तार किया गया है। इसकी स्थापित क्षमता का 60 से कम प्रतिशत का उपयोग किया गया है। एक विस्तार योजना चल रही है जिस पर 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन यह निश्चित नहीं है कि जो नई मशीनें स्थापित की जायेंगी उनके उत्पाद की मांग होगी।

हिन्दुस्तान स्टील के पास काफी स्टाक जमा हो गया है। इस्पात की मांग बहुत कम है। इसे पहले ही भारी घाटा हो रहा है। फिर भी सरकार विस्तार के लिये निरन्तर धनराशि दे रही है। भारी आलोचना के बावजूद बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिस पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे बजट संबंधी असंतुलन, घाटे की वित्त-व्यवस्था और मुद्रास्फीति पैदा हो जायेगी। अच्छा यह होता कि मौजूदा क्षमता का ठीक ढंग से उपयोग किया जाता।

विस्तार और नई क्षमता की स्थापना के लिये सरकारी उद्योगों को धनराशि का नियतन उनकी क्षमता से संबद्ध किया जाना चाहिये। ऐसी संस्थाओं को, जिनकी व्यवस्था खराब है, उदारतापूर्वक धनराशि देने पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरे, ऐसी संस्थाओं को भी, जो अपनी स्थापित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत का उपयोग नहीं कर सकते, विस्तार के लिये धनराशि नहीं दी जानी चाहिए। तीसरे, उपक्रमों को जो धनराशि दी जाती है उस पर मंत्रालय को पूरी निगरानी रखनी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौजूदा धनराशि का ठीक ढंग से उपयोग किया जाता है, वस्तु सूचियां कम की जाती हैं और अन्य चालू सम्पत्तियां उचित स्तरों तक कम की जाती हैं। इसके बाद ही कार्य संचालन पूंजी के लिए धनराशि दी जानी चाहिए।

योजना आयोग के मांग संबंधी आंकड़े बहुत गलत होते हैं। कोयला उद्योग इसका ज्वलन्त उदाहरण है। अतः योजना आयोग द्वारा पेश की गई अनुमानित मांग की मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा और यदि विशेषज्ञ नहीं हैं तो किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि स्टाक जमा न हो जाये और क्षमता बेकार न हो जाये।

गैर-सरकारी उद्योग भी कुछ सामान बनाने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के तौर पर, केबल उद्योग में काफी क्षमता का प्रयोग नहीं होता है और टेलीफोन केबल तैयार करने के लिए सरकार से बार-बार अनुमति मांगी जाती है। लेकिन सरकार स्वयं ही 14 करोड़ रुपये की लागत से टेलीफोन केबल उद्योग स्थापित करना चाहती है और इस पर अधिकांश विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इस प्रकार अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध होने की स्थिति में मंत्री महोदय को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करना चाहिए।

पूंजीगत व्यय और मशीनों की प्राप्ति उद्योगो की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। जिन मशीनों की पांच या छः वर्ष बाद आवश्यकता होती है उन्हें आरम्भ में ही खरीद लिया जाता है। इस प्रकार उन मशीनों के लिये भर्ती किये गये श्रमिकों से भी पांच या छः वर्ष तक काम नहीं लिया जा सकता। इसका नतीजा यह होता है कि उद्योग को घाटा होता है। इसलिए केवल जरूरी मशीनें खरीदी जानी चाहिए।

संसद्-सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति को सरकारी उपक्रमों की एक करोड़ से अधिक धन की मांग की जांच करनी चाहिए। सरकार इन उपक्रमों को धन देने के बारे में कोई उचित आधार निश्चित नहीं कर सकी है और इन्हें तदर्थ आधार पर धन दिया जाता है।

वित्तीय सलाहकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। यदि ये लोग अपना उत्तरदायित्व ठीक ढंग से निभाते तो यह स्थिति पैदा न होती। वित्तीय सलाहकारों को अपना कार्य और अधिक प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने की अपेक्षा उन्हें और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। सरकारी उपक्रमों को निधियों के नियतन के लिए कोई उचित मापदण्ड रखा जाना चाहिए। यह राष्ट्र हित में होगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं। सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी।

वर्तमान स्थिति के आधार पर फालतू क्षमता का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। दो वर्षों तक सूखे और मन्दी की स्थिति बनी रही। कुछ वर्ष पहले इन परियोजनाओं को चालू करते समय इन परिस्थितियों के बारे में कोई ज्योतिषी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग और भारी उद्योगों पर मन्दी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यदि 25 से 30 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण अर्थतंत्र के विकास पर विचार किया जाये तो यह मालूम होगा कि इस देश में भारी उद्योगों का होना बहुत आवश्यक है। देश के अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए ये उद्योग बहुत आवश्यक हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भविष्य के लिए शक्ति के स्रोत हैं। इन उपक्रमों की क्षमता निर्धारित हो जाने के पश्चात् अब मन्दी की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। उद्योगों की स्थिति सुधर रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना

आरम्भ होने पर विकास कार्य बहुत अच्छी तरह चल पड़ेगा और स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन होगा

नई क्षमता निर्धारित करते समय सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की क्षमता पर विचार किया जाता है। कोई भी फालतू क्षमता के पक्ष में नहीं है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच सहयोग की बार-बार मांग की जाती है। पिछले वर्ष गैर-सरकारी क्षेत्र यह मांग करता रहा है कि मन्दी की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकारी क्षेत्र में और अधिक धन लगाया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि दोनों क्षेत्रों का विकास हो। लेकिन मूल औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसार हम सरकारी क्षेत्र को ही अपने अर्थतन्त्र में प्रमुख स्थान देना चाहते हैं।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि पिछले पांच वर्षों में उद्योगों में लगाई गई पूंजी पर लाभांश कम होता गया है। "हैवी इलेक्ट्रिकल" को घाटा हो रहा है। यह घाटा पिछले तीन वर्षों से कम होता जा रहा है। भारी इंजीनियरिंग उद्योगों पर मंदी का प्रभाव होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ हो रहा है। जो उद्योग ठीक ढंग से काम कर रहे हैं उन्हें लाभ हो रहा है और जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें घाटा हो रहा है। कुछ नये उद्योगों को भी घाटा हो रहा है। हिन्दुस्तान स्टील में इस वर्ष बहुत घाटा हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को घाटा हो रहा है। सभी सरकारी उपक्रमों में से 34 उपक्रमों को इस वर्ष लाभ हुआ है। 24 उपक्रमों को घाटा हुआ है।

बोकारो उद्योग का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि इस्पात फालतू पड़ा है। लेकिन यह बात भी अनदेखी की जाती है कि इस्पात कई किस्मों का होता है। किसी किस्म का इस्पात फालतू हो सकता है किन्तु इस्पात की किसी किस्म की कमी भी हो सकती है। हम चपटे किस्म के इस्पात का आयात कर रहे हैं और 1971-72 तक इस किस्म के आयात पर 90 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बोकारो परियोजना में चपटे किस्म के इस्पात की मांग का विशेष ध्यान रखा जायेगा। देश के अर्थतंत्र के लिये बोकारो का बड़ा महत्व है। इसलिये हम इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप आने वाले कुछ वर्षों में इस्पात की मांग पूरी हो सकेगी।

कहा गया है कि योजना आयोग ने मांग के बारे में गलत आंकड़े पेश किये हैं। तीसरी योजना के मूल दस्तावेज में मांग का बहुत अधिक अनुमान लगाया गया था। इसलिये योजना की मध्यावधि में मांग का फिर से अनुमान लगाया गया था। इसके फलस्वरूप कुछ लक्ष्य कम कर दिये गये। यह महसूस किया जाना चाहिये कि योजना सदैव गणित के हिसाब से नहीं चल सकती। यह एक विशाल देश है और योजना के सम्बन्ध में असंख्य लोगों का सहयोग प्राप्त करना होता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कभी ढील भी दी जाती है तो कभी सख्ती से काम लिया

जाता है। हमारे जैसे विशाल देश में ऐसी बातें होती रहेंगी। योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों पर विचार करने के लिए एक अन्य समिति नियुक्त करने का सुझाव एक विचित्र सुझाव है। हमें अपनी संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिये। योजना आयोग में एक ऐसा तन्त्र होना चाहिये जो योजना की प्रगति पर विचार करे, उसका मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यक रूपभेद करे।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बारे में प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मांग कम हो रही है और नयी खानें खोलने के लिये जो धन रखा गया था वह खर्च नहीं किया गया। फिर भी वास्तव में इसके निर्धारित लक्ष्य बहुत गिर गये और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में मशीनें फालतू होने का कारण यह है कि मशीन आदि के लिये आर्डर दिये जाने के बाद उनको रद्द नहीं किया जा सका।

यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये नियत किये गये धन के बारे में छानबीन करने के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। यह सरकार का कार्य है। सरकार का कार्य इस प्रकार की समितियों से नहीं चल सकता है। बजट तैयार करने से पहले परियोजनाओं की जांच-पड़ताल करने का जहां तक सम्बन्ध है, हम अनुभव करते हैं कि इस दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये और हम पिछले कुछ समय से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

संभाव्यता अध्ययन की तैयारी के लिये योजना आयोग ने एक ऐसी नियमावली निर्धारित की है जिसके अन्तर्गत परियोजनाओं के तकनीकी और आर्थिक स्वावलंबन सम्बन्धी विषय आ जाते हैं। संभाव्यता अध्ययन निवेश निर्णय का आधार है। मंत्रालय तथा सरकारी उद्यम कार्यालय इन संभाव्यता अध्ययनों की बड़ी सावधानी से छानबीन करते हैं। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सरकारी उपक्रमों के इस पहलू की ओर अब हम उचित ध्यान दे रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 16 अप्रैल, 1968/27 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 16, 1968/ Chaitra 27, 1890(Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—19-10-68—600